खण्ड-348, अंक-8
शुक्रवार, 17 माघ, शक संवत् 1902
(6 फरवरी, 1981 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 348 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९८१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1081–1084
प्रश्नोत्तर	1085–1128
कानपुर जनपद के बिल्हौर निर्वाचन क्षेत्र में झुलसा रोग से आलू की फसल को क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1128
ग्राम नेवलगंज, थाना, हसनगंज जिला उन्नाव निवासी सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री जटा शंकर को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1128–1129
जनपद चमोली में नन्दा देवी वन्य जन्तु विहार (सेन्च्यूरी) के राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल कर संजय गांधी के नाम से रखे जाने पर आपत्ति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1129
श्री भगवान निवासी ग्राम नगरी, थाना सुखपुरा, जिला बलिया को पुलिस द्वारा सेशन जज अदालत परिसर से पकड़ कर हत्या किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1130
जनपद मुरादाबाद में बिलारी केन यूनियन में एस0 सी0 डी0 आई0 के आदेशानुसार छोटे गन्ना किसानों का गन्ना न खरीदे जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1130
राजीपुर, थाना वरदह, आजमगढ़ निवासी लेदा तथा सहादूर व बल्ली (हरिजन) की रिपोर्ट न लिखे जाने तथा उन्हें प्रताणित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1131
औचित्य के प्रश्न को उठाने का प्रयास (जारी) ..	1131–1132
नगर महापालिका, लखनऊ चुंगी नियमावली, 1974 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1132
औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास	1132
नगर महापालिका लखनऊ चुंगी नियमावली को देर से सदन के पटल पर रखे जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	1133
कल सदन में चौधरी चरण सिंह के सम्बन्ध में कही गयी बातों को कार्यवाही से निकालने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	1133–1134
मंत्री श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी व उनके वैयक्तिक सहायक के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	1134–1135
प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइफ कौन्सिल, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, व रुड़की विश्वविद्यालय सीनेट में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम	1135

विषय				पृष्ठ-संख्या
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस जुल्म, छात्रों की गिरफ़तारी तथा अघोषित कर्फ्यू से जन जीवन अस्त-व्यस्त होने के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	..		1136-1138
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	..		1138-1139
1981-82 के आय-व्यय क पर सामान्य चर्चा (जारी)			..	1140-1190
नियम 51 अन्तर्गत सूचनाएं	..	..	..	1190
नत्थी	..	..	..	1191

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 6 फरवरी, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 338

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० जाइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) (कानपुर)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुबसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण रंगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाव वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)

चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुलतानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
धम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
बृघनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुलतानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द अग्रवाल, श्री (हरदोई)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्मदत्त, श्री (देहरादून)

भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगल देव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरली धर मुनीम, श्री (गोंडा)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)

योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसुद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम असरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण महेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)

राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
ललू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शम्भूनाथ, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (राय बरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायन सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

नोट :—मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 6 फरवरी, 1981

तारांकित प्रश्न

तहसील रामसनेही घाट, जनपद बाराबंकी में कार्यरत कलेक्शन अमीनों की अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति

*1--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील रामसनेही घाट में कार्यरत कुछ कलेक्शन अमीनों को दिनांक 30-11-75 को निकाले जाने हेतु जिला अधिकारी, बाराबंकी द्वारा कोई नोटिसें दी गईं ? यदि हां, तो उनकी संख्या तथा निकाले जाने का कारण क्या था और क्या इस संबन्ध में संबन्धित अमीनों में से श्री मलिक हमीद उल्ला ने दिनांक 10-3-76 को माल मंत्री दिनांक 20-7-77 को मुख्य मंत्री और दिनांक 14-1-78 को मुख्य सचिव को तथा श्री गाजी खां ने दिनांक 3-1-76 को जिलाधिकारी, बाराबंकी, दिनांक 8-10-76 को राजस्व मंत्री, दिनांक 12-3-77 को मुख्य मंत्री व 24-9-77 तथा 5-6-78 को राजस्व मंत्री जी को तथा 24-11-78 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को अपने-अपने प्रत्यावेदन दिए ? यदि हां, तो उन पर अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

राजस्व उपमंत्री (श्री जैराज गौतम)--

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील रामसनेही घाट में कार्यरत 7 कलेक्शन अमीनों को जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा उनके आदेश दिनांक 24-11-75 से यह नोटिस दी गई कि लोक हित में 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 30-1-75 बाद दोपहर वे अनिवार्य रूप से सेवा से निवृत्त हो जायें और उन्हें तीन माह का वेतन नोटिस के बदले देय होगा । श्री मलिक हमीद उल्ला तथा श्री गाजी खां इन 7 कलेक्शन अमीनों में थे । श्री मलिक हमीद उल्ला का दिनांक 10-3-76 का माल मंत्री दिनांक 20-7-77 का मुख्य मंत्री तथा दिनांक 14-1-78 का मुख्य सचिव और श्री गाजी खां का दिनांक 3-1-76 का जिलाधिकारी बाराबंकी, दिनांक 8-10-76 का राजस्व मंत्री दिनांक 12-3-77 का मुख्य मंत्री व दिनांक 24-9-77 एवं 5-6-78 का राजस्व मंत्री को दिए गये कथित प्रत्यावेदन राजस्व विभाग के संबन्धित अनुभाग में तथा जिले में प्राप्त होने नहीं पाये जाते । श्री गाजी खां का दिनांक 24-11-78 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसे जिलाधिकारी, बाराबंकी दिनांक 6-3-79 को निस्तारण हेतु भेज दिया गया था ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन 7 कलेक्शन अमीनों को सेवा-निवृत्ति किया गया है, उनके नाम क्या हैं और क्या उन्होंने इनमें से यह जो आवेदन पत्र दिनांक 24-1-78 को शासन को दिया था, वह जिलाधिकारी को 6-3-79 को पहुंच गया है ? तो, जानना चाहता हूं कि इन दो सालों में उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही ?

श्री अध्यक्ष--

नाम भी जानना चाहेंगे ?

श्री प्रदीप कुमार यादव--

जी हां ।

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

मान्यवर, इनकी सेवा-निवृत्ति अनिवार्यरूप से करने का आदेश 24-11-75 को हुआ और 30-11-75 को वे सेवा-निवृत्त हुये । मान्यवर, फाइनेन्शियल हैंडबुक के रूल 56 के अन्तर्गत प्राविधान है कि अगर 50 साल की आयु प्राप्त हो जाय, तो उसके बाद एप्वाइंटिंग एथारिटी चाहे तो स्क्रीनिंग कराकर उनके कार्य को देख सकती है और उस हालत में उनकी सेवायें जो हैं, कम्पलसरी रिटायरमेंट दे सकती हैं उसमें उनको सभी वे सुविधायें मिलेंगी, सिवाय इनकी सर्विस लेंथ में पेंशन की कमी हो जायेगी ।

जहां तक नाम की बात है, ये हैं हमीदउल्ला, गाजी खां और शिवरतन बाकी जो नाम हैं, वे मेरे पास नहीं हैं ।

मान्यवर, इसके लिए होता यह है कि जो एप्वाइंटिंग एथारिटी हैं, जब ऐसी कार्यवाही कर देते हैं तो विभाग से कर्मचारियों को अपील करने का अधिकार तो नहीं, लेकिन प्रत्यावेदन करने का अधिकार है । लेकिन यह जो एप्वाइन्टिंग एथारिटी है, उसके ठीक ऊपर के अधिकारी के सामने अपना प्रत्यावेदन कर सकते हैं । परन्तु इस मामले में ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई उस तरह की कार्यवाही नहीं की । बाद में पता लगता है कि एक दरख्वास्त 6-3-79 को मिली है । वह जिलाधिकारी, बाराबंकी के पास भेजी गयी है । फिर हमीदउल्ला की अप्लीकेशन 80 में आयी है । उन्होंने सूचित किया कि मेरे पास है । तो उस पर वह कार्यवाही करेंगे ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि शासन से प्रार्थना-पत्र भेजे हुये दो साल हो गये । इस बीच में क्या कार्यवाही हुयी ? साथ ही साथ क्या इन 7 में से कोई ऐसा कलेक्शन अमीन है जिसको पुनः सेवा में लिया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, ऐसी कोई जानकारी नहीं है । यह तो अप्लीकेशन देने की तारीख माननीय सदस्य ने बतायी है । हमारे यहां विभाग में कोई प्रार्थना-पत्र आया हो, मालूम नहीं पड़ता । सिर्फ एक प्रार्थना-पत्र 79 में आया है जिसको वहां भेज दिया गया है । दूसरा 80 में है, वह उनको कार्यवाही के लिए है ।

श्री भोखा लाल--

मान्यवर, एक प्रश्न माननीय मंत्रीजी से अमीनों के रखे जाने की नीति सम्बन्धी पूंछना चाहता हूं कि कृषि विभाग के बकायों के लिए माल विभाग ने कुछ अमीनों की तैनाती की थी और उन्होंने 5/6 साल तक काम किया । बकाया खत्म हो गया, तो वे टर्मिनेट हो गये । तो मैं जानना चाहता हूं कि अमीनों की जो जगहें रिक्त होती हैं वहां कृषि अमीनों को रखने पर प्राथमिकता देंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

उनको हमेशा प्राथमिकता दी जाती है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या यह सही है कि ये अमीन नसबन्दी के केस नहीं दे पाये थे इसलिए इनको टरमिनेट किया गया था ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि 1975 की यह कार्यवाही है उसके बाद 77, 78, 79 कई वर्ष बीत गये, जैसा कि प्राविधान है अगर उन्होंने मियाद के अन्दर प्रतिवेदन दिया होता, ठीक ऊपर के अधिकारियों को, तो कार्यवाही होती ।

श्री राम स्वरुप वर्मा--

मेरी सूचना है कि नसबन्दी में केस नहीं दे पाये थे इसलिए इनको टरमिनेट किया गया, इसके बारे में क्या मंत्री जी स्पष्ट रूप से बतायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

इस बारे में कोई सूचना नहीं है ।

श्री ऊदल--

मैं जानना चाहता हूं कि कम्पलसरी रिटायरमेन्ट, गबन, दुर्व्यवहार, चरित्र-हीनता आदि पर किया जाता है, तो क्या इस तरह की कोई जांच की गई थी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

स्क्रीनिंग का नियम है कि 50 वर्ष की सेवा के बाद की जा सकती है । अन्तिम 10 वर्ष की सेवा को देखा जाता है कि इसने कर्मचारी का काम लगातार संतोषजनक रहा है या नहीं, इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बैठाई जाती है और उसकी संस्तुति पर कम्पलसरी रिटायरमेन्ट के आदेश दिये जाते हैं ।

श्री राम सागर--

अमीनों की तरफ से जो 24-9-77 को पत्र मिला था, उसे जिलाधिकारी के पास निस्तारण हेतु भेज दिया है, मैं जानना चाहता हूं कि इतने लम्बे समय तक उसके निस्तारण न किए जाने का क्या कारण है और यथा-शीघ्र निस्तारण के लिए जिलाधिकारी, बाराबंकी को निदेश देंगे ?

श्री बाजनाथ कुरील--

इसकी जानकारी की जायेगी कि इस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं ।

*2--श्री नन्द किशोर सिंह--

(9वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

ग्राम खांडामऊ में अतिवृष्टि से गिरे हुए मकानों हेतु अनुदान का आवंटन का आधार

*3--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद कानपुर की तहसील व ब्लाक बिल्हौर के गांव खांडामऊ में अतिवृष्टि से गिरे हुए मकानों की सरकारी सहायता माह अगस्त, सितम्बर, 1980 में ऐसे अनेकों फर्जी लोगों को दी गई कि जिनके मकान गिरे ही नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दंडित करेगी ?

श्री जैराम गौतम--

जी हां।

ग्राम खांडामऊ में 18 व्यक्तियों को बिना उनके मकान गिरे ही अनुदान दे दिया गया था। जांचोपरान्त सम्बन्धित लेखपाल तथा प्रधान जिन्होंने इन 18 व्यक्तियों के घर गिरने की गलत तस्दीक की थी, को निलम्बित कर चार्जशीट दे दी गई है।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह खांडामऊ गांव में अनुदान किस तारीख को बांटा गया था और गलत अनुदान देने की जानकारी कब हुई, कैसे हुई और किसको हुई और लेखपाल व प्रधान कब निलम्बित किए गए ?

मान्यवर, मैं अपने प्रश्न को पुनः स्पष्ट कर दूं--गलत अनुदान प्रश्नगत गांव में कब बांटा गया था और यह जानकारी कि 18 व्यक्तियों को गलत अनुदान दिया गया है यह कब हुई, कैसे हुई, किसके द्वारा हुई और मान्यवर, लेखपाल और ग्राम प्रधान कब निलम्बित हुए ?

श्री अध्यक्ष--

ऐसा तो नहीं पूछना चाहते हैं कि क्यों हुई ?

(हंसी)

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, गांव खांडामऊ में जो आवंटन हुआ था तो 8-9-80 को 90 व्यक्तियों को आवंटन किया गया था अर्थात् अनुदान दिया गया था और इसकी चैकिंग परगनाधिकारी बिल्हौर ने की थी और वह तुरन्त ही, ज्यादा दिन नहीं बीते, क्योंकि परगनाधिकारी ने 8 सितम्बर को तो वितरित हुआ है और 18 को उनको निलम्बित होने के आदेश दे दिए। इसका मतलब 5-6 रोज के बीच में यह चैकिंग हुई और जो इसमें दोषी व्यक्ति पाये गये हैं, वह हैं लेखपाल और ग्राम प्रधान।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, यह तो मैंने पूछा ही नहीं।

श्री बैजनाथ कुरील--

आपने यही तो पूछा कि कब बांटा गया और कब चैकिंग हुई। तो 8-9-80 को बांटा गया है और 18-9-80 को कार्यवाही की।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया मैंने यह जानना चाहा था मंत्री जी से कि यह गलत अनुदान दिये जाने की जानकारी कब हुई, कैसे हुई, किसको हुई ?

कई सदस्य--

और क्यों हुई ?

(हंसी)

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, मैं यह बता रहा था कि यह जो अनुदान बांटा गया है इसमें एक यह भी रखा गया है कि इसकी चैकिंग होती रहे कि ठीक बंट रहा है या नहीं, तो इसकी 40 फीसदी तो चैकिंग सुपरवाइजर, कानूनगो, नायब तहसीलदार आदि करते हैं लेकिन 5 फीसदी केसेज में एस0 डी0 एम0 स्वयं जांच करेंगे ऐसे निदेश हैं तो इत्तफाक से उस गांव में एस0 डी0 एम0 खुद पहुंचे तो लोगों ने बताया कि कुछ गड़बड़ी हुई । यह मालूम हुआ कि 18 ऐसे व्यक्तियों को पैसा दे दिया गया है, जिनके मकान नहीं गिरे हुए थे तथा उन 18 व्यक्तियों के सम्बन्ध में दोषी पाये गये लेखपाल और प्रधान और उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी फिक्स हुई और उन्हीं के खिलाफ कार्यवाही हुई ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, क्या वह सही नहीं है कि इसी गांव के निवासी रामेश्वर कटियार ने वहां के परगनाधिकारी को लिखित दिया कि हमारे गांव में 18 लोगों को गलत अनुदान दिया गया है, उनके मकान नहीं गिरे हैं । क्या यह सही नहीं है कि मेरे चुनाव क्षेत्र के लगभग हर गांव में यही हुआ है और अपात्र लोगों को अनुदान दिए गए हैं । मैंने इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री और जिलाधिकारी, कानपुर को लिखा है लेकिन कोई जांच नहीं हुई है । मान्यवर, इसमें मेरे क्षेत्र के परगनाधिकारी का कमीशन तय रहा है । तो मेरी जानकारी को सही मानकर क्या मंत्री जी मेरे चुनाव क्षेत्र के पूरे गांवों में इस बात की जानकारी करेंगे कि इस मामले में कमीशन के आधार पर जिसमें एस0 डी0 एम0 शामिल है, लोगों को अनुदान बांटा गया है, क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न जो था वह ब्लाक बिल्हौर के गांव खांडामऊ के सम्बन्ध में था । उसका उत्तर दे दिया गया है । आपने फिर अपनी कांस्टीट्यूयेंसी के बारे में पूछा है, इसको अलग से कर दीजिएगा । वह पूरी जाँच करके इसका उत्तर दे देंगे ।

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरे जिले में अनुदान नहीं बंटा है । क्या मंत्री जी पैसा बंटवा देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज फर्म यू0 पी0 के कार्यालय में विचाराधीन विकेन्द्रीकरण की योजना

*4—श्री जंग बहादुर—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की जनता के कष्ट निवारण हेतु रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज फर्म यू0 पी0 के कार्यालय के विकेन्द्रीकरण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है और इसके सम्बन्ध में मई, 1980 में कोई प्रस्ताव रजिस्ट्रार द्वारा भेजा गया है ? यदि हां, तो कब तक उस पर निर्णय लेकर कार्यान्वित किया जायेगा ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)--

जी हां।

मामला शासन के विचाराधीन है। विचारोपरान्त निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र की जायगी।

श्री जंग बहादुर--

मान्यवर, रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज फर्म यू0 पी0 के कार्यालय में 7 हजार एप्लीकेशंस प्रति वर्ष आती हैं। हर दो वर्ष में उसका रिनुअल करना पड़ता है। वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है जिससे असुविधा होती है। मैं जानना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार ने जो प्रपोजल भेजा है वह क्या है ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार ने संस्तुति भेजी है कि इसका विकेन्द्रीकरण किया जाय। शासन ने लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि इसका विकेंद्रीकरण किया जाय तो एक मेरठ, बरेली और वाराणसी में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रजिस्ट्रार ने भेजा है।

एक सदस्य--

गोरखपुर में भी।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अगर जरूरत पड़ेगी तो गोरखपुर में खोली जा सकती है। यह विचार किया जा रहा है कि लोगों की सुविधा के लिये विकेन्द्रीकरण कर दिया जाय।

श्री जंग बहादुर--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि कार्यवाही की जायगी तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जायगा ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह बहुत शीघ्र, इसमें कुछ कानूनी अड़चनें हैं, बहुत ही जल्दी इसको कार्यान्वित करा दिया जायगा।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में तीन स्थान बताये जहां पर कार्यालय खोले जायगें। तो इन तीन स्थानों को किस आधार पर लिया गया और आगरा को क्यों छोड़ दिया गया ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, पश्चिम में मेरठ ले लिया गया है, पूर्व में वाराणसी और बीच में बरेली को लिया गया है। आगरा मेरठ के नजदीक है।

अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति द्वारा बरती गयी अनियमितताये

*5—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं, नियमों का उल्लंघन आदि के विरुद्ध दिनांक 19-9-80 को दिये गये प्रार्थना पत्र पर जिस पर निबन्धक, फर्मस सोसायटीज एवं चिट फंड, उ० प्र० को जांच कराने के आदेश दिये गये थे, जांच की अब तक क्या स्थिति है ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

सूचना एकत्रित की जा रही है। इसमें सूचना एकत्रित की जा रही है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि शिकायतें बहुत लिखी गयी हैं जिसके बारे में जांच की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

आपका उत्तर तो हो गया।

श्री राम आसरे वर्मा—

मंत्री जी ने जवाब दे दिया है लेकिन अपराध निरोधक समिति के ऊपर अपराध लगाने में मंत्री जी को तकलीफ हो गयी है। इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि मंत्री जी अपराध निरोधक समिति द्वारा जो अनियमितताये बरती गयी हैं, लाखों रुपये का घोटाला है, इसलिये हल्के तौर से शासन इसको न ले। 19-9-80 को हमने पत्र लिखा था और 12-11-80 को सवाल दिया गया। लखनऊ से सम्बन्धित यह है इसलिये स्थानीय सवाल होते हुय भी अभी तक 3 महीने में सूचना ही एकत्र नहीं हो पायी। अत: मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक इसको सूचना एकत्र करके सदन को अवगत करा देंगे ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

जल्दी ही। बहुत से आरोप लगाये हैं जिनकी जांच की जा रही है। यदि वह सही होंगे तो समिति के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उसमें एक कम्पनी का जिक्र है या प्रदेश में कई चिट फंड की कम्पनियां बनायी गयी हैं जो इस तरह का धंधा करती हैं। इसलिये क्या नया कानून बनाने का मंत्री जी विचार कर रहे हैं ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

फर्म्स सोसायटीज एवं चिट फंड, उ० प्र० का रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 20 के अन्तर्गत इसका रजिस्ट्रेशन है और चिट फंड कम्पनी से यह सम्बन्धित नहीं है और इसके लिये नया सवाल कर सकते हैं।

श्री मोहन लाल तिलकराम बतरा का शराब का अनियमित लाइसेन्स व जाँच

*6—श्री रियासत हुसैन—

क्या आबकारी मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में श्री बैध प्रकाश तिलकराम बतरा के नाम शराब का लाइसेन्स था परन्तु 78-79, 79-80 में श्री बैध प्रकाश तिलकराम बतरा की मृत्यु हो जाने के कारण एक श्री मोहन लाल तिलकराम बतरा ने इस लाइसेन्स को अनियमित रूप से अपने

नाम कर लिया ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री मोहन लाल तिलकराम बतरा द्वारा अनियमित रूप से हासिल किया गया लाइसेन्स निरस्त करने की कृपा करेगी ?

आबकारी मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)—

सहारनपुर जनपद में कोई ऐसा शराब का लाईसेन्स नहीं था जिसमें नाम का परिवर्तन किया गया हो । विकृत स्प्रिट के थोक बिक्री का एफ0 एल0–16 प्रपत्र में लाईसेन्स सर्वश्री वेद प्रकाश, तिलकराज बतरा के नाम से था किन्तु यह सही नहीं है कि श्री तिलकराम बतरा की मृत्यु हो जाने के कारण मोहन लाल तिलकराज बतरा के नाम अनियमित रूप से लाईसेन्स दे दिया गया । श्री तिलकराज बतरा जीवित हैं और उनका नाम लाईसेन्स में बरकरार है ।

वस्तु स्थिति यह है कि श्री वेद प्रकाश ने मई, 1979 में यह प्रार्थना पत्र दिया था कि उनकी अस्वस्थता के कारण उनके भतीजे श्री मोहन लाल बतरा का नाम उनके स्थान पर लाईसेन्स में कर दिया जाये । इस प्रार्थना पत्र पर दिनांक 14 मई, 1979 को श्री मोहन लाल बतरा ने अपनी स्वीकृति भी अंकित की थी जिसके आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी के प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 25 जून 1979 द्वारा उक्त लाईसेन्स सर्वश्री वेद प्रकाश तिलकराज बतरा के स्थान पर सर्वश्री मोहन लाल तिलकराज बतरा के नाम कर दिया गया ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इस उत्तर और प्रश्न दोनों में फ्राड किया है । क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि वेद प्रकाश जिनकी मृत्यु हो गयी, उत्तर में वह बाई कास्ट ब्राह्मण हैं, मेरठ के रहने वाले हैं, यह उत्तर में कहा गया है । श्री तिलकराम बतरा साझेदार थे जिन्होंने मोहन लाल को वेद प्रकाश का भतीजा बनाकर फर्जी दस्तखत कराकर कलेक्टर की सिफारिश से इक्साइज कमिश्नर से लाइसेन्स में मोहन लाल का नाम तिलकराम बतरा के साथ जोड़ दिया गया । मोहन लाल देश के डिवीजन के बाद हिन्दुस्तान में आये हैं । यह भतीजे वाली बात निराधार है । क्या मंत्री जी इस 420 में जिस तरह वेद प्रकाश के मरने के बाद तिलक राज बतरा ने अपने भाई मोहन लाल को वेद प्रकाश का भतीजा बनाकर कलेक्टर की सिफारिश से इक्साइज कमिश्नर से लाइसेन्स में नाम बदल दिये गये जो कि नियम के विरुद्ध है और केवल गवर्नमेन्ट ही कभी वेसे नाम में कर सकती है । तो इस 420 में क्रिमिनल कार्यवाही उनके खिलाफ क्या मंत्री जी करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, इसे मैंने जैसा कि माननीय सदस्य मुरादाबाद कह रहें हैं, आपकी दृष्टि से देखा था और जब जानकारी चाही तो यह नजर आया कि श्री बतरा जिन्दा हैं और अभी भी हैं, यही इससे नजर आया । यह बात सही है कि शासन ने ही उसको लाइसेन्स दिया है और आबकारी आयुक्त ने कलेक्टर की सिफारिश से अपने स्तर से ही स्वीकृत दे दी थी । इस सम्बन्ध में शासन विचार कर सकता था अगर कोई पार्टी इसमें अपनी अपील शासन के समक्ष प्रस्तुत करती, लेकिन एसा नहीं हुआ श्रीमन् । जो लाइसेन्स बदला गया । उसमें उनका नाम काट कर श्री मोहन लाल तिलक राम बतरा का नाम कर दिया गया । उनके नाम आया कि कुछ रिकवरी थी जिसके बिना पर वह हाई कोर्ट चले गये । हाई

कोर्ट में मामला जैसे ही समाप्त हो जायेगा और हमारे सामने लाया जायेगा तो हम फिर विचार करेंगे ।

श्री रियासत हुसैन—

जैसा कि मान्यवर, मैंने कहा था कि क्वेश्चन पर आप निगाह डालें कि जनपद सहारनपुर में श्री वेद प्रकाश तिलक राम बतरा के नाम शराब का लाइसेन्स था परन्तु 1978–79, 1979–80 में वेद प्रकाश तिलक राम बतरा की मृत्यु हो जाने के कारण, इन दोनों को जोड़ दिया गया । वहीं दोनों पार्टनर हैं। मैंने प्रश्न पूछा था कि वेद प्रकाश मर गये और आप कह रहे हैं कि तिलक राम जिन्दा हैं । वेद प्रकाश जी मर गये और तिलक राम जी ने अपने भाई मोहन लाल के नाम वेल्थ ड्यूटी दे कर उनसे उनके फर्जी दस्तखत करा करके उनको उनका भतीजा बना दिया । मोहन लाल ने यह 420 की और श्रीमन्, जो माननीय मंत्री जी ने रिकवरी वाली बात कही, तो उसी मोहन लाल ने 50 हजार गांवों की एक्सान ड्यूटी दी और हाई कोर्ट में यह कह कर स्टे ले लिया कि जो वेद प्रकाश तिलक राम फर्म थी वह उसी का वारिस है । यह कह कर 50 हजार रुपये का स्टे ले लिया । इस तरीके से श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से स्पष्ट दो बातें कह देना चाहता हूं कि एक तो फर्जी दस्तखत बनाये गये, दूसरे तिलक राम खत्री बतरा फेमिली से है उसे पण्डित कर दिया और 50 हजार रुपया जो वेल्थ फीस थी, उससे स्टे ले लिया । इसमें अप और एक्साइज कमिश्नर जैसा कि आपने स्वयं कहा कि उनकी कोई पार्टी नहीं थी, सिर्फ शासन दे सकता था । यह सारा गड़बड़ घोटाला इसमें है । क्या मंत्री बतलायेंगे कि इसमें जो भी अधिकारी इन्वाल्व हैं जिन्होंने इतना गड़बड़ किया है, इससे सम्बन्धित जो भी अधिकारी होगा तो क्या मंत्री जी उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और सख्त से सख्त दण्ड उसे देंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, जैसा कि सदस्य मुरादाबाद कह रहें हैं, इसकी नये सिरे से जो तथ्य प्रकाश में आये हैं, जांच करानी होगी । जाँच कराने में मुझे कोई हर्ज नहीं प्रतीत होता है, जांच की रिपोर्ट आ जाने पर आगे की कार्यवाही करना सम्भव होगा और जिससे कहें उसी से करवा दी जायेगी ।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस मामले को देखने से इसमें कुछ भ्रष्टाचार और साजिस की बू आ रही है, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब इस प्रश्न के माध्यम से यह जानकारी शासन के समक्ष पहुंच गयी कि इस तरीके से यह हुआ है क्या कोई हाई कोर्ट का ऐसा स्टे शासन की कार्यवाही पर किया गया है कि शासन इसके विरुद्ध कोई दुबारा जांच नहीं कर सकती है । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के ड्यूज की रिकवरी रोकने के लिए उन्होंने इस तरह की साजिश की हो ?

श्री अध्यक्ष—

आप के तथा श्री रियासत हुसेन के प्रश्नों के आधार पर ही सारी जांच करने का आश्वासन मंत्री जी दे चुके हैं ।

*7—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[7वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*8—श्री पंचानन—

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ग्राम पचपेड़ा, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली में हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

*9—श्री चेतराम गंगवार—

क्या विद्युत् मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम पचपेड़ा, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली में वर्ष 1977-78 में हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण हुआ था ? यदि हां, तो बिजली इस ग्राम को अब क्यों नहीं दी जा रही है ? तथा कब तक लाइन ठीक कराकर हरिजन बस्ती को बिजली उपलब्ध करा दी जायगी ?

विद्युत् मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

ग्राम पचपेड़ा तहसील नवाबगंज जिला बरेली में हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 14 सितम्बर, 1976 को किया गया था ।

ग्राम की एल0 टी0 लाइन का लगभग आधा भाग आंधी और बरसात में नष्ट हो जाने के कारण ग्राम को बिजली नहीं दी जा रही है ।

लाइन ठीक कराकर हरिजन बस्ती को बिजली संभवतः 31 मार्च, 1981 तक उपलब्ध करा दी जायगी ।

श्री चेतराम गंगवार—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से यह जानना चाहता हूं कि मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने बताया 1976 सितम्बर में यह लाइन बनाई गई थी । उसके बाद मेरी जानकारी के अनुसार मई, 1977 में इसको उखाड़ वहां के एक्ज्यूक्यूटिव इंजीनियर और उनके कर्मचारीगण ट्रकों में बल्ली व तार सब भर कर ले गये । मैं इसी गांव में रहता हूं । वहां हरिजन बस्ती की तादाद बहुत ज्यादा है । करीब डेढ़ सौ परिवार वहां हैं । उन्होंने कहा कि चूंकि कांग्रेस विधायक का घर था इसलिए अब लाइन नहीं रहेगी । पिछले सत्र में मैंने प्रश्न किया तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि आज ही कोई आदेश देंगे जिससे कि उस हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण फौरन अविलम्ब कर दिया जाय ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मैंने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि 31 मार्च तक हो जायगा ।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, यह प्रश्न मैंने 17-11-80 को किया । दो महीने हो गया । मई, 77 को इस लाइन को समाप्त कर दिया गया । इस तरीके से साढ़े तीन वर्ष हो रहे हैं । तीन महीने हो गये । मंत्री जी तीन महीने का और बहाना कर रहे हैं । मैं चाहूंगा कि स्पष्ट उनको आदेश दे दें जिससे कि विद्युतीकरण अविलम्ब हो जाय । मान लीजिए मार्च, 1981 तक विद्युतीकरण नहीं किया गया तो क्या माननीय मंत्री जी उनके खिलाफ कोई ऐक्शन लेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, इसमें माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत करूंगा कि वहां पर नदी और नहर पड़ती है । उस वक्त लकड़ी के खम्भों पर विद्युतीकरण की

लाइन बिछाई गई थी । मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि 31 मार्च तक इसे पूरा करने की चेष्टा की जायगी और कोई लापरवाही किसी को बरतने नहीं दी जायगी ।

बुलन्दशहर–घमड़ा–कीरत मार्ग की मरम्मत

*10--श्री किरनपाल सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना समिति, बुलन्दशहर का बुलन्दशहर–घमड़ा–कीरत मार्ग जो क्षत–विक्षत पड़ा हुआ है, की कोई मरम्मत गत 5 वर्षों से नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो कब करायी जायेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां, बुलन्दशहर–घमड़ा–कीरत मार्ग की मरम्मत धनाभाव के कारण नहीं करायी जा सकी । मरम्मत तथा रखरखाव हेतु अब इस मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

श्री किरनपाल सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कब यह मार्ग स्थानान्तरित किया गया ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

28 नवम्बर, 1980 को ।

श्री किरनपाल सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस मार्ग के रखरखाव के लिए लेने से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मना कर दिया है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि इस मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने रखरखाव के लिये लेने से इन्कार कर दिया है । मैं इसके बारे में जो मौजूदा स्थिति है उसके सम्बन्ध में बताऊं ....

श्री अध्यक्ष--

स्थिति आप न बतायें, प्रश्न करें ।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग है और 20 किलोमीटर लम्बा है बुलन्दशहर से सहजपुर । बुलन्दशहर से घमड़ाकीरत का जो मार्ग है वह गन्ना समिति का है और बाकी पी० डब्ल्यू० डी० का है । वह टूटा हुआ है । पी० डब्ल्यू० डी० उसको नहीं बनवा रहा है । इसकी वजह से सारा मार्ग अवरुद्ध है । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस मार्ग को वे पी० डब्ल्यू० डी० में पूर्ण रूप से स्थानान्तरित करने के आदेश देंगे क्योंकि उसने कहा है कि जब पूर्ण रूप से स्थानान्तरित यह मार्ग हमारे पास हो जायेगा तभी हम इसको बनवायेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

माननीय, मैंने उत्तर में कहा है कि इसको स्थानान्तरित कर दिया गया है और वह पूर्ण रूप से ही कर दिया जाता है। आंशिक रूप से स्थानान्तरित करने का सवाल नहीं उठता है।

*11—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[10वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*12—श्री मित्रसेन—

[6ठे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*13—श्री मोतीलाल देहलवी—

[10वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

शारदा शुगर इन्डस्ट्रीज लि0, पलिया कलां, जिला खीरी में कृषकों के शेयर सार्टीफिकेट

*14—श्री भीखालाल—

क्या गन्ना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारदा शुगर इन्डस्ट्रीज लि0, पलिया कलां जिला खीरी ने शेयर देने के नाम पर लगभग एक लाख सत्तर हजार रुपये कृषकों से जमा कराया है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित कृषकों को शयर सार्टिफिकेट दे दिये गये ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री भीखा लाल—

क्या माननीय मंत्री जी इतना आश्वासन देंगे कि सूचना एकत्रित करके इसी बजट सत्र में इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न 15 दिन में फिर आयेगा।

श्री भीखा लाल—

माननीय, मैं आश्वासन चाहता हूं कि इसी सत्र में अवश्य यह आ जाय।

ग्राम सरैया, थाना कुडवार के श्री राम दुलारे दुबे की बिजली करेन्ट से मृत्यु तथा आश्रितों को मुआवजा

*15—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम–प्रतापपुर, थाना कुडवार, जिला सुल्तानपुर में बिजली के टूटे तार से करेन्ट लग जाने के कारण श्री राम दुलारे दुबे की मृत्यु दिनांक 19 जुलाई, 1979 को हो गई थी किन्तु उनके परिवार को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो सरकार मुआवजा तुरन्त दिलवाने तथा विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

ग्राम सरैया थाना कुडवार के निकट दिनांक 19 जुलाई, 1979 को सायंकाल श्री राम दुलारे दुबे की बिजली का झटका लगने से मृत्यु हो गई थी। मृतक के आश्रितों को 5,000 (पांच हजार रुपये) मुआवजा दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। मुआवजा स्वीकृत करने में विलम्ब होने का कारण मृतक की मेडिकल रिपोर्ट का न प्राप्त होना था, जिसके लिये परिषद् का कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो मुआवजा देने की बात कही गई है उसके आदेश कब दिये गये हैं और क्या उसको मुआवजा मिल गया है ? दूसरे इसके सम्बन्ध में मेडिकल रिपोर्ट किस तारीख को शासन को प्राप्त हुई है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, बिजली का झटका लगने से उसकी मृत्यु 19 जुलाई, 1979 को हो गई थी और मुआवजा देने का आदेश मैंने दिया था 4 फरवरी, 1981 को। मेडिकल रिपोर्ट कब प्राप्त हुई, इसकी जानकारी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस प्रश्न के पहले हिस्से के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजली के तार टूट गये थे और गिर गये थे, इसके सम्बन्ध में शासन को कब जानकारी मिली और क्या यह सही नहीं है कि पैट्रोल करने वाले जो लोग होते हैं उन्होंने शासन को इसकी जानकारी नहीं दी ? यदि हां, तो क्या आप सूचना एकत्र कराकर सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यदि मंत्री जी के पास इसकी सूचना नहीं है तो क्या वे इस दृष्टि से सूचना एकत्र करायेंगे कि दोषी व्यक्ति कौन थे। क्योंकि मैं यह बात जानता हूं कि तार टूट जाते हैं और विभाग के पास कोई जानकारी नहीं रहती है। तो क्या इस मामले की जांच करके आप दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, हमने व्यवस्था की है कि जहां तार टूट जायं और जहां जानवरों को खतरा हो उसको पेट्रोलिंग बढ़ाई जाय। उसके बाद भी अगर ऐसी कोई घटना होगी तो उसको देख लिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, जिस घटना से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और शासन को 5 हजार रुपया देना पड़ा, उसकी जांच के बारे में मैं कह रहा हूं। मैं आपको बाध्य तो नहीं कर सकता हूं कि आप क्या उत्तर दें लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर तो आना ही चाहिए।

श्री ब्रह्मदत्त--

जो सामान्य व्यवस्था है उसके अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

वे इस विशेष घटना के बारे में पूछना चाहते हैं।

श्री ब्रह्म दत्त--

यदि कोई स्पेसिफिक तथ्य उपलब्ध हो जाय तो हम उसके बारे में जांच कर सकते हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय, 30 अगस्त को मैंने यह सवाल दिया और जब सवाल दिया तो यह कागज आपके विभाग में पहुंचा और आपके विभाग ने आदेश जारी किये। मेरी जानकारी में है कि जिस व्यक्ति कि मृत्यु हुई उसके परिवार के लोगों ने शासन के चीफ इंजीनियर और बोर्ड के चेयरमेन से कई बार सम्पर्क किया लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन दोषी अधिकारियों को छानबीन करके दंड देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मैं तो माननीय सदस्य को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उनकी वजह से मुआवजा मिल गया। जहां तक दूसरा भाग है उसका कोई सवाल नहीं है। एक प्रक्रिया होती है उसका पालन करना ही पड़ता है।

(श्री हुकम सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री यदुनाथ--

माननीय, मैं दो मिनट लूंगा। बिजली की लाईन में तीन फेज होते हैं मैं जानता हूं। मैं इंजीनियर हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जांय। मैंने आपको नहीं बुलवाया।

श्री हुकम सिंह--

मृतक के आश्रितों का कोई प्रार्थना-पत्र आपके विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुआ....

श्री यदुनाथ--

माननीय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया....

श्री अध्यक्ष--

(व्यवधान)

माननीय यदुनाथ सिंह जी, आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

आप बैठ जायं मैं (व्यवधान) माननीय नेता विरोधी दल और सभी माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि इस सदन में जो गम्भीर प्रक्रिया चलती है और जो सदन का गौरव बढ़ाने के लिए और प्रदेश का कार्य करने के लिए समय होता है उसमें कोई एक व्यक्ति इस तरह से व्यवधान बार-बार डालता है तो उससे सदन का अवमान होता ही है, उससे ज्यादा बढ़ कर यह जनहित में नहीं है, जनतन्त्र के हित में नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस दल के भी सदस्य हों कृपया वह दल इन्हें अनुशासित करने का प्रयत्न करे। अगर सम्भव न हो तो नियमों के अन्तर्गत जिस कार्य को मैं कतई किसी भी स्थिति में करने के लिए तैयार नहीं हूं मुझे दुख के साथ उस अस्त्र को उठाना पड़ेगा जिसके लिए मुझे अत्यन्त दुख होगा।

श्री यदुनाथ--

दो मिनट तो दे दीजिये।

श्री हुकम सिंह--

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि मृतक के आश्रितों की ओर से आपके विभाग को जिसमें चीफ इंजीनियर भी शामिल हैं, को कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हुआ, तो उन आवेदनों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ उसी के आधार पर छानबीन की गयी और मेडिकल रिपोर्ट भी प्राप्त हुई जिसके आधार पर यह मुआवजा दिया गया है।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, जो मुआवजा देने की बात कही गई है उसका आधार क्या है क्या इससे ज्यादा रुपया नहीं दिया जा सकता है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

विद्युत् परिषद् में जो वर्तमान व्यवस्था है, उसके आधार पर जो अधिकतम मुआवजा दिया जाता रहा है, उसी आधार पर वही उसको दिया गया है।

श्री चेतराम गंगवार--

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस लाईन को वाच करने के लिए कर्मचारियों का कोई गैंग मुकर्रर था ? यदि हां, तो उसको उसकी सूचना क्यों नहीं दी ? क्या इसकी जांच करा कर उस गैंग के कर्मचारियों से खिलाफ आप कोई ऐक्शन लेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

हमारी लाइनें इतनी लम्बी हैं और गैंग के कर्मचारियों की संख्या इतनी कम है कि हम इस तरह से ऐक्शन लेन लगें तो सारा खत्म हो जाएगा। यों इस व्यवस्था को समुचित बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

इनका प्रश्न है कि गैंग के कर्मचारियों ने इसके सम्बन्ध में कोई सूचना विभाग को दी या नहीं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

इस समय इसकी सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री यदुनाथ--

मान्यवर, मैं आपके आदेश से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस दुर्घटना में दुबे जी की मृत्यु हुई, उसमें इलेक्ट्रिक लाईन तीन फेज की थी या दो फज की ? लाल, पीला और नीला तीन फेज होते हैं । यह तीनों फेजों के कारण मरा है या दो फेज के कारण मरा है, क्योंकि दो फेज में भी मृत्यु हो सकती है और तीन में भी । हो सकता है कि इसकी टेक्निकल बात माननीय सदस्यों की समझ में न आती हो ?

श्री ब्रह्मदत्त--

सामान्यतः हमारे प्रदेश में तीन फेज की ही बिजली उपलब्ध है । बहुत जगह दो फेज की लगी है ।

(प्रश्न संख्या 17 पुकारे जाने पर ।)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

(व्यवधान)

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह कुछ कार्यवाही का अंग नहीं होगा ।

*16--श्री निर्भय नारायण सिंह--

[मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने के फलस्वरूप हटाया गया ।]

प्रदेश की गन्ना समितियों को मिलने वाली कमीशन की दर में वृद्धि का विचार

*17--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की गन्ना समितियों को गन्ने पर मिलने वाले कमीशन में कुछ वृद्धि करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितना प्रति कुन्टल ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

प्रदेश की गन्ना समितियों व गन्ना विकास परिषदों को गन्ने पर मिलने वाले कमीशन की दर बढ़ाये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

केन यूनियन सिम्भावली (गाजियाबाद) के अध्यक्ष एवं संचालक मंडल के विरुद्ध जांच

*18--श्री मन्जूर अहमद--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन (गन्ना) यूनियन सिम्भावली (गाजियाबाद) के अध्यक्ष एवं संचालक मंडल की जांच शासन द्वारा हुई

नोट [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

थी जिस पर शासन ने गबन सिद्ध होने पर संचालक मंडल को निलम्बित करके प्रशासक नियुक्त किया था ? यदि हां, तो क्या-क्या अनियमितताएं पायी गयीं और उस समय का अध्यक्ष कौन था ? उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री भानु प्रताप सिंह-

प्रश्नगत समिति के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र की जांच कराने के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि तत्कालीन प्रबन्ध कमेटी ने उपविधियों, नियमों एवं अधिनियमों में निर्धारित कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहने अथवा उनकी अवहेलना कर अनियमितताये की गयी है, फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 35 के अधीन निबन्धक द्वारा तत्कालीन प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त कर प्रशासक नियुक्त किया गया है ।

जांच में पायी गयी अनियमितताओं का सारांश निम्नवत् है--

1--बेसिक कोटे से अधिक गन्ना तुलवाया जाना तथा नियमतः उसका समायोजन न किया जाना ।

2---स्वीकृत संख्या से अधिक लिपिकों की नियुक्ति ।

3---खाद वितरण में अनियमितता ।

4--कुछ कृषकों को बिना ऋण की वसूली किये ही गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाना तथा कुछ का नाम डिमान्ड लिस्ट में न लिखा जाना ।

5---3 संचालकों को अधूरी कार्यवाही करके हटाना ।

6--कुछ सोसायटी लिपिकों को अनियमित प्रकार से बहकाना ।

7--बिना प्रोनोट के 32 कट्टे खाद दिया जाना तथा जिलाधीश के आदेश का उल्लंघन करके चेयरमैन को 76 कट्टे खाद दिया जाना ।

तत्कालीन प्रबन्ध कमेटी के अध्यक्ष श्री कुंवर वीरेन्द्र सिंह थे ।

इन अनियमितताओं के लिए सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि प्रबन्ध कमेटी को कितने साल पहले हटाया गया था ? अब तलक कोई कार्यवाही, उनके खिलाफ जो अनियमिततायें पाई गई थीं, किन कारणों से नहीं की गई ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, इसको अप्रैल, 1975 में सुपरसीड किया गया ।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, सन् 1975 से अब तलक जो उस समिति के अध्यक्ष थे, उस समिति के अध्यक्ष और कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की और अगर नहीं की, तो क्या कारण है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में शिशुपाल सिंह, गोदाम लिपिक को दोषी पाया गया। उनसे 7926 रु0 की रिकवरी करने के आदेश दिए गए जिनमें से 4617 रु0 अब तक वसूल किये जा चुके हैं। वही इस मामले में दोषी नजर आते थे।

श्री मन्जूर अहमद--

मैं कह रहा हूं कि इस समिति के जो प्रबन्धक या कर्मचारी दोषी पाये गए उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज कराया गया या नहीं और यदि नहीं किया गया, तो कब करायेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, एक ही कार्यवाही की गई, जो सारे का सारा बोर्ड भंग कर दिया गया और इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है ?

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मन्त्री जी ने अभी बताया कि सन् 1975 में सुपरसीड हो गया तो सन् 1975 में जिन कारणों से वह बोर्ड सुपरसीड किया गया, भंग किया गया और जो शिकायत साबित हुई उनके मुताबिक कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है ?किस अधिकारी ने सन् 1975 से लेकर अब तक उसके मुताबिक कार्यवाही नहीं की, क्या उस अधिकारी को भी आप बताने की कृपा करेंग और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जैसा कि मैंने अभी पहले अपने उत्तर में कहा कि बोर्ड को भंग कर दिया गया है और दूसरी बात मान्यवर, यह कही कि जिस लिपिक को, जिसके चार्ज में यह गोदाम था, उसको दोषी पाया गया और चूंकि वह दोषी पाया गया अगर उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही करते या क्रिमिनल अगर कोई रिपोर्ट लिखाते या उसके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराते तो उससे हम रिकवरी नहीं कर सकते थे। उससे यह 7926 रु0 वसूल नहीं हो सकता था। इसलिए इस इन्टरेस्ट को देखते हुए अधिकारियों ने यह उचित समझा कि उससे रुपया ही वसूल कर लिया जाय। अतः उससे 1000 रु0 एकमुश्त जमा करा लिया गया था और शेष 150 रु0 महीने के हिसाब से काटा जा रहा है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यह लिपिक से सम्बन्धित मामला नहीं है। चेयरमैन ने अनधिकृत रूप से सीमेंट ले लिया और इसी प्रकार के तरह-तरह के चार्जेज हैं जिनके आधार पर बोर्ड को सुपरसीड कर दिया गया। तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन चार्जेज के ऊपर क्रिमिनल ओफैन्स में जाना चाहिए था तो ऐसा न करने और जो एम्बेजलमट हुआ है उसके ऊपर कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं और किसकी वजह से उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

इसमें सीमेंट के बोरे दिए जाने का कोई प्रश्न नहीं था। केवल 32 बोरे खाद बिना प्रोनोट के बेचे जाने का प्रश्न था। इसमें यही विशेष बात है। इस

समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई ? पत्रावली जो मेरे पास है उससे विदित होता है कि जो कार्यवाही की गई थी वह समुचित और ठीक है ।

श्री मन्जूर अहमद--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर में ही है कि कलेक्टर के आदेशों का उल्लंघन करके 67 कट्टे सीमेंट चेयरमैन ने ले लिए और उन्होंने अपने आदेशों से अनुचित ढंग से लिपिक रखे । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि चेयरमैन के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए शासन ने क्या कदम उठाए और आगे क्या उठाने जा रहा है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

कार्यवाही की जा रही है । जो लिपिक रखे गए थे उस मामले को एक्जामिन किया जा रहा है । यदि वे अनियमित ढंग से रखे गए तो उनको निकाला जाएगा । लेकिन मामले को एक्जामिन करने के बाद ही उनको निकाला जा सकता है । जहां तक चेयरमैन का प्रश्न है इससे अधिक और क्या हो सकता था कि जिस बोर्ड के वे अध्यक्ष थे उस सारे के सारे बोर्ड को ही भंग कर दिया गया है ।

श्री पंचानन--

उत्तर में कुछ अनियमित ढ़ंग से लिपिक रखने की बात कही गई है । उनको भुगतान भी किया गया है और फिर छानबीन कराने के बाद हटा देने की बात भी कही जा रही है । तो पहले जो 5 साल से अनियमित ढंग से भुगतान किया गया उसके लिए दोषी व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और आगे जो हो रहा है, उसके लिए भी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

ऐसा लगता है कि माननीय पंचानन राय जी ने मेरा उत्तर ठीक से पढ़ा नहीं है और उन्हें उससे कुछ भ्रम पैदा हो गया है । माननीय पंचानन जी ने जो प्रश्न उठाया वह मेरे उत्तर से सम्बन्धित नहीं है । मैंने यह कहा था कि जो लिपिक रखे गए थे, वे गलत ढंग से रखे गए थे और बिना जांच के पूरी हुए आदेश दे दिया जाय कि उनको फौरन निकाल दो, यह उचित नहीं प्रतीत होता ।

श्री मोहन सिंह--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस समय के अध्यक्ष आपकी सत्ता पार्टी में विधान सभा के सदस्य हैं और क्या वे अपनी सदस्यता का उपयोग करके मामले में प्रेशर डाल रहे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मेरे दल के सदस्य अवश्य हैं ।

(विरोध पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गईं ।)

इस प्रश्न के आने के बाद वे मुझ से मिले भी नहीं और चूंकि वे मिले भी नहीं इसलिए यह कहना कि कोई प्रेशर डाला जा रहा है, उचित और ठीक नहीं है ।

श्री गनेश शंकर खन्ना, निवासी चौक, शाहजहांपुर से बकाया देयों की वसूली

*19-श्री नाजिर अली (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बताएंगे कि श्री गनेश शंकर खन्ना पुत्र श्री बालकराम खन्ना, निवासी चौक, शाहजहांपुर के नाम के ऊपर एक लाख इक्कहत्तर हजार तीन सौ अट्ठाईस रुपया व छिहत्तर पैसे (1,71,328.76) की रिकवरी तहसील सदर शाहजहांपुर के सुपुर्द डेढ़ साल पहले की गई थी ? यदि हाँ, तो उसकी वसूली अथवा अन्य कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां ।

रु० 1,71,327.76 की धनराशि से सम्बन्धित मांग पत्र प्राप्त हुआ था । बकाया देयों की वसूली के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा दिनांक 15-6-78 को साइफीशत जारी किया गया तथा बकाएदार की अचल सम्पत्ति की कुर्की दिनांक 1-8-78 को की गई । वसूली के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही आपत्ति व अपीलों के न्यायलय में दायर किए जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित पत्रावली के उक्त न्यायालयों में लम्बित रहने के कारण अभी तक न की जा सकी ।

जिला नैनीताल में प्राग तथा इस्कार्ट फार्म द्वारा अनधिकृत भूमि पर कब्जा

*20-श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल प्राग फार्म स्टाक फार्म क्रमशः 4 हजार एकड़ तथा 100 एकड़ का है ? यदि हां, तो इस पर सीलिंग ऐक्ट क्यों नहीं लागू किया गया ? क्या यह सत्य है कि प्राग फार्म ने एक हजार एकड़ ही लिया था तीन हजार एकड़ सरकारी जमीन तथा गरीब किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया है ? इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जंराज गौतम—

जिला नैनीताल में प्राग फार्म 3798.64 एकड़ तथा इस्कार्ट फार्म [स्टाक फार्म नहीं जैसा प्रश्न में है] 1224.60 एकड़ का है । उक्त दोनों फार्मों पर सीलिंग ऐक्ट लागू है । यह सही नहीं है कि प्राग फार्म ने 1000 एकड़ ही लिया था और 3000 एकड़ सरकारी जमीन तथा किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया है । प्राग फार्म का ग्राम कोटखरा में केवल 30.46 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा है, जिसके विरुद्ध बेदखली बाद दायर किया गया था और अब यह मामला उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है ।

श्री ऊदल—

क्या माल मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्राग फार्म 3798.64 एकड़ और इस्कार्ट फार्म 1224.60 एकड़ जो कहा गया है, तो सीलिंग ऐक्ट लागू होने पर उनकी जमीन कितनी निकाली गई और किन-किन लोगों को वितरित की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, इसमें दो हिस्से हैं । एक तो 1794.47 एकड़ का जिसकी नोटिस 10-11-80 को दी गई । नोटिस में यह कहा गया था कि तुम्हारी जमीन

सीलिंग में है । दूसरे का 1809.22 एकड़ है । इनको 12-11-80 को नोटिस दी गई । ये मुकदमें में चले गए । मुकदमें की तारीख 11-2-81 लगी हुई है ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

जनपद हरदोई में अतिवृष्टि से गांवों को क्षति

**1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद के समस्त गांवों में अतिवृष्टि के कारण 50 फीसदी से अधिक क्षतिग्रस्त होने की घोषणा जिलाधिकारी द्वारा गत सितम्बर-अक्तूबर, 1980 में की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जैराज गौतम--

जी नहीं । ऐसी घोषणा करने का नियम नहीं है । न ही हरदोई जनपद के समस्त गांवों को अतिवृष्टि के कारण 50 फीसदी से अधिक क्षति हुई है । जिला हरदोई में 2061 गाँव है जिसमें 1889 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक हानि हुई है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, हरदोई जनपद में 4 तहसीलें हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि किस तहसील मे कितने गांव अतिवृष्टि से प्रभावित हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, हरदोई जनपद में 4 तहसील हैं, हरदोई, शाहाबाद, संडीला, बिलग्राम । इनमें जो मकानों के क्षतिग्रस्त होने का सवाल है, वह इस प्रकार है--हरदोई तहसील में 4804 और दूसरी तहसील शाहाबाद में 3135, संडीला में 2430 और बिलग्राम में 410 ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि अलग-अलग तहसील में गांव की कितनी संख्या हैं जो अतिवृष्टि से प्रभावित हैं ? गांव की संख्या मैंने पूछा था, मान्यवर ।

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, यह मुद्दा तो इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने पूरे जिले का बता दिया है कि जिला हरदोई में 2061 गांव है, जिसमें से 1889 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक हानि हुई ह ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जिन गांवों में 50 फीसदी से ज्यादा क्षति हुई है उनमें जोतवार क्षति के हिसाब से लिस्ट बन गयी है और उसी हिसाब से लगान में छूट दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मैं इस सम्बन्ध में पहले भी कह चुका हूं कि जो रिलीफ खतौनी बनता है उसमें थोड़ा समय लगता है। हो सकता है कुछ जगहों पर वह न आई हो लेकिन शासन के ऐसे आदेश हैं कि जहां पर 50 फीसदी से ज्यादा क्षति हुई है वहां पर वह रिलीफ का कार्य शुरू कर दें। रिलीफ देने का जो ढांचा बना हुआ है उस सम्बन्ध में मैंने पहले भी कहा था कि 75 फीसदी से ऊपर यानी 12 आने नुकसान हुआ हो तो पूरी को पूरा रिलीफ हो जायगी और 10 आने से 12 आने हो तो 10 आने और 8 आने से 10 आने हो तो 6 आने रिलीफ दी जायेगी और उससे कम है तो उसे कुछ किस्तों में वसूल करने की व्यवस्था है।

श्री राम आसरे वर्मा—

अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों को अनुदान तथा तकावी दिये जाने के बारे में शासन ने आदेश दिये हैं लेकिन जिन प्रभावित गाँवों को अभी तक अनुदान या तकावी नहीं दी गयी है उनके लिये कब तक राहत की व्यवस्था कर दी जायगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

काम बहुत बड़ा था और अब भी वह जारी है। बहुत जगह यह काम हो भी चुका है लेकिन मकान जो गिरे वह दो या तीन बार में गिरे और तीन बार उनकी लिस्ट बनी। इस प्रकार सप्लीमेंटरी लिस्ट बनती जा रही हैं और इस प्रकार वह काम जारी है। जिसका पूरा मकान गिर गया है अथवा कुछ बाकी रह गया है सबको ही अनुदान मिलेगा और अगर कोई माननीय सदस्य सूचना देंगे, कि हमारे यहां काम नहीं हो रहा है तो हम उसे दिखवा लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जैसा सरकार ने बताया अगर रिलीफ खतौनी नहीं बनी है तो शासन ने रेडियोग्राम के जरिये स्पष्ट कर दिया है कि गांव का एवरेज निकाल लिया जाय और रिलीफ दे दी जाय लेकिन मैंने रेडियोग्राम और जी० ओ० पढ़ा है उसमें एवरेज निकालने का प्राविधान नहीं किया गया है जिसके कारण शासन के आदेश होने के बावजूद भी छूट नहीं मिल रही है। तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी अगर रिलीफ खतौनी नहीं बनी है तो कोई ऐसा प्राविधान किया जायगा जिससे छूट का वास्तविक लाभ काश्तकार को मिल सकें ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वह आदेश जारी हो चुके हैं लेकिन अफसोस की बात है कि वह माननीय सदस्य की नजर में नहीं आया। रेडियो पर भी प्रसारण हुआ है, प्रेस में भी प्रकाशित हुआ है। लेकिन जैसा मैंने कहा अगर उनकी नजर में नहीं आया ऐसा केस आता है और वहां रिलीफ नहीं जा रही है तो मेरी नोटिस में लायेंगे। मैं उसे विशेष रूप से दिखवा लूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

जिस संदर्भित आदेश का जिक्र माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने किया है वह किस तारीख को जारी किया गया था ?

श्री बंजनाथ कुरील--

यह बहुत पहले के आदेश हैं। 76 के हैं, उसके बाद 79 में रिवाइज हुए। और अब जून 80 में फिर से रिवाइज हुए। यह तो रिलीफ देने के तरीके हैं।

नलकूप उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में विलम्ब से भुगतान करने पर जुर्माना

**2--श्री विजय सिंह राना--

क्या विद्युत् मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि ट्यूबवेल के विद्युत् के उपभोग पर हर महीने बिल अदा न करने पर प्रदेश के किसानों को उस पर छूट के अलावा 2 प्रतिशत का जुर्माना अदा करना पड़ता है ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

निजी नलकूप उपभोक्ताओं को परिषद् में प्रचलित वर्तमान विद्युत् दरों पर कोई छूट का प्राविधान नहीं है। यदि कोई उपभोक्ता समय पर अपने बीजक का भुगतान नहीं करता है, तो देर से भुगतान की अवधि के लिए 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से सरचार्ज का प्राविधान है, ताकि उपभोक्ता समय पर अपने बीजक का भुगतान कर दें।

श्री विजय सिंह राना--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में : क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो 2 प्रतिशत का जुर्माना है, यह प्रतिमाह में एक बार लग जाता है या प्रति माह बढ़ता जाता है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, जब तक भुगतान नहीं होगा, प्रति माह लगेगा।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, यह जो व्यवस्था है दन्डात्मक व्यवस्था है। मैं चाहता हूं कि इस दन्डात्मक व्यवस्था को कालावधि में कर दें। जो किसान समय से बिल देता है, उसको छूट दी जानी चाहिये और जो नहीं देता, उसकी छूट कट जानी चाहिये।

श्री मोहन सिंह--

16 फरवरी को घोषणा कर देंगे।

श्री ब्रह्मदत्त--

उस समय जो घोषणायें की जायेंगी, तो माननीय सदस्य चौक जायेंगे।

मान्यवर, अभी जो माननीय राना साहब ने प्रश्न किए हैं वह व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों से बिल का भुगतान न करने पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह दन्ड चार्ज किया

जाता है, तो क्या यह दण्ड जो इण्डस्ट्री लगाये हैं, उनसे भी चार्ज किया जाता है अथवा नहीं ?

दूसरा प्रश्न इसी के साथ है कि यह मानते हुये कि किसान की आमदनी प्रतिमाह नहीं होती, बल्कि वर्ष में 2 फसलों में होती है । तो क्या यह जो दण्ड लगाने की प्रक्रिया है, इसको प्रतिमाह न रख कर 6 माह में रखा जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त--

उसके बारे में चेष्टा की जायेगी कि जब किसानों के पास पैसा हो, तब लिया जाय ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

उद्योग वाला तो बताया ही नहीं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, खेतों के लिए बिजली देना और लघु उद्योग के लिए बिजली देना- दोनों अलग-अलग हैं । किसान को फिक्सड चार्ज लगाया जाता है और उनसे मिनिमम चार्ज किया जाता है और पेनाल्टी भी ली जाती है । दोनों की एक प्रक्रिया नहीं अपनायी जा सकती है । तो, फिक्सड चार्ज और मिनिमम चार्ज में अन्तर है ।

श्री धनीराम वर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से कि किसानों को निर्धारित समय से बिजली देने का प्राविधान 6 घंटे और 8 घंटे कर रखा है । लेकिन किसानों को नियमित समय में बिजली नहीं मिलती है । जब बिजली नहीं मिलती, तो सिंचाई विधिवत नहीं हो पाती । तो क्या माननीय मंत्री महोदय घोषणा करेंगे कि जिन क्षेत्रों में नियमित रूप से बिजली नहीं मिलती, उस क्षेत्र के किसानों को विद्युत् बिल में छूट प्रदान करगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, सामान्य जो दरें प्रचलित हैं, उसमें दो घंटे भी बिजली उपलब्ध करा दी जाय तो पैसा पूरा हो जाता है । जहां इतनी भी बिजली उपलब्ध न हो, वहां दिक्कत होती है ।

श्री मित्रसेन--

प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता । आप लिखकर दे दें, मैं उसे देख लूंगा ।

श्री किरनपाल सिंह--

जो यह दन्डात्मक व्यवस्था है वह किसानों के अलावा और लोगो पर भी लागू होती है जो समय से भुगतान नहीं करते ?

(विद्युत् मंत्री के सदन से बाहर चले जाने के कारण विपक्ष द्वारा शोर)

कई सदस्य--

यह सदन का अवमान है, जानबूझ कर सदन से बाहर चले गये ।

श्री अध्यक्ष--

12.20 तक प्रश्नों का समय था और 12.20 तक इसके उत्तर हो सकते हैं और हो रहे हैं । चूंकि मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं इसलिए सभी मंत्री मौजूद हैं ।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह--

जो दन्डात्मक व्यवस्था है वह किसानों के अलावा और लोगों पर भी है ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

है, मान्यवर ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह सभी कन्ज्यूमर्स पर है या एक पर । क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने कहा है "है" ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माननीय, कोई बिजली का बिल का भुगतान नहीं करता है तो उसके संबंध में हर उपभोक्ता के साथ यही कदम उठाया जाता है और कार्यान्वित किया जाता है जैसे बिजली काट देना आदि ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष--

एक प्रश्न नेता विरोधी दल ने पूछा है कि किसानों के अलावा, अगर समय से बिलों के भुगतान नहीं होते और भी कन्ज्यूमर्स पर यह दन्डात्मक व्यवस्था है या नहीं ? मुख्य मंत्री जी इसकी जानकारी कर लें और इसका उत्तर जानकारी करने के पश्चात् दें । मैं ऐसी स्थिति में इस प्रश्न को स्थगित करता हूं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

आज्ञा शिरोधार्य है ।

श्री मित्रसेन--

सहकारिता मंत्री क्या फरार हैं ...?

श्री अध्यक्ष--

मंत्रियों के विभाग परिवर्तित हुए हैं इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप अलग से लिख कर दे दें मैं आपको बता दूंगा ।

श्री मित्रसेन--

यह पहले सत्र का है ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्रियों के विभागों में भी तो अभी परिवर्तन हुआ है ।

(हंसी)

अतारांकित प्रश्न

मनकापुर में विद्युत् वितरण सब डिवीजन का मुख्यालय बनाने की योजना

1--श्री मसरूर जाफरी--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् विभाग गोंडा द्वारा उतरौला कस्बे में 132 के0 वी0 सब स्टेशन निर्माण हेतु योजना शासन को 3 वर्ष पूर्व भेजा है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण होगा ? तहसील मुख्यालय पर शासन द्वारा विद्युत् सब स्टेशन बनाने का आदेश है परन्तु किन कारणों से उतरौला मुख्यालय पर सब डिवीजन न बनाकर मनिकापुर बनाया गया है ? क्या उतरौला तहसील के मुख्यालय पर सब डिवीजन बनाने की योजना है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मनकापुर में विद्युत् वितरण सब डिवीजन का मुख्यालय बनाने का कारण अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को तुलनात्मक दृष्टि से अधिक सुविधा प्रदान करना है ।

जी नहीं ।

बांदा जिले के रजिस्ट्री विभाग में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

2--श्री ऊदल--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायगें कि बांदा जिले के करवी क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक श्री राम सजीवन ने प्रश्नकर्त्ता एवं श्री मित्रसेन यादव, विधायक द्वारा अग्रसारित एक शिकायती पत्र बांदा जिले के रजिस्ट्री विभाग में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिनांक 4 जलाई, 1980 को उनके पास भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या इसी सम्बन्ध में बांदा जिले के पुरानी बाजार करवी के श्री अब्दुल हकीम खां ने दिनांक 4 जून, 80 को एक शिकायती पत्र वित्त सचिव, उ0 प्र0 शासन महानिबन्धक निरीक्षक, इलाहाबाद, जिलाधिकारी, बांदा एवं जिला निबन्धन अधिकारी, बांदा को भेजा था ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां । मामले में जांच करायी गयी परन्तु चूंकि शिकायत-कर्ता ने भ्रष्टाचार का कोई विशिष्ट दृष्टान्त अथवा विवरण न तो अपने पत्र में लिखा है और न ही जांच अधिकारी द्वारा ज्ञात करने पर उपलब्ध कराया, अतः सामान्य प्रकार के आरोपों की मौके पर जांच करना सम्भव नहीं पाया गया ।

जी हां । श्री अब्दुल हकीम खां के शिकायती पत्र पर जिला निबन्धक, बांदा ने जांच की है । जांच से ज्ञात हुआ कि श्री राम खेलावन बसीका नवीस का

लाइसेन्स तत्कालीन जिला निबन्धक न, जो वसीका नवीसों को लाइसेन्स देने के सक्षम अधिकारी हैं, 1968 में लाइसेन्स खारिज करने के बाद, 1969 में लाइसेन्स पुनः जारी किया। श्री राम खेलावन के पूर्व लाइसेन्स को रद्द करने और दुबारा लाइसेन्स दिये जाने के कारणों का पता, रिकार्ड्स उपलब्ध न होने के कारण जांच में नहीं लग सका। श्री हकीम खां ने अपने शिकायती पत्र में कम अदा की गयी स्टाम्प ड्यूटी के कुछ दस्तावेजों का भी उल्लेख किया है जिनमें जांच करने पर केवल 4 दस्तावेजों में सिंचित भूमि को असिंचित भूमि दिखाने के कारण स्टाम्प शुल्क की कमी पायी गयी। इसके सम्बन्ध में इंडियन स्टाम्प ऐक्ट के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेश दे दिये गये हैं।

जिला गोंडा में मनकापुर तहसील बनाने का विचार

3--श्री छेदी लाल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा में तहसील उतरौला के अन्तर्गत परगना मनकापुर में नयी तहसील खोले जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त तहसील कब तक खोली जायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रदेश की विषम वित्तीय स्थिति के कारण जिला गोंडा में मनकापुर तहसील बनाना अभी सम्भव नहीं है।

4--श्री छेदी लाल--

क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि मनकापुर परगना में मनकापुर के नाम से नयी तहसील खुलने हेतु आवश्यक जमीनों का प्रबन्ध हो चुका है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रश्न नहीं उठता।

तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में हरिजनों को पट्टे पर मिली जमीन पर कब्जा

5--श्री मोहन सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में जून, 1980 से दिसम्बर, 1980 के बीच कितने हरिजनों को पट्टे पर मिली जमीन पर कब्जा दिलाया गया और भूमिहीन हरिजनों का अनधिकृत भूमि पर कब्जा किये हुए लोगों के विरुद्ध मुकदमें कायम किये गये ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जून, 1980 से दिसम्बर, 1980 के बीच 1,755 हरिजनों को पट्टे पर मिली जमीन पर कब्जा दिला दिया गया है तथा 44 हरिजनों को उनकी भूमि पर अनधिकृत रूप से किये गये कब्जों को हटा कर उन्हें स्थल पर कब्जा दिला दिया गया। किसी के विरुद्ध मुकदमा कायम करने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।

देवरिया जिले में बरहज तहसील के निर्माण पर विचार

6--श्री मोहन सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिले में आबादी के बढ़ते दबाव को देखते हुए बरहज को तहसील बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री बंजनाथ कुरील--

वित्तीय संसाधन की कठिनाई के संदर्भ में प्रस्ताव स्वीकारना सम्भव नहीं है ।

जनपद जौनपुर के जलालपुर विकास क्षेत्र में गांवों का विद्युतीकरण

7--श्री प्रभुनरायाण सिंह--

क्या विद्युत मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ? क्या इस क्षेत्र के शेष गांवों का शीघ्र विद्युतीकरण किया जायगा यदि हां, तो कब तक ?

श्री ब्रम्हदत्त--

81 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । जलालपुर विकास क्षेत्र के शेष गांवों का विद्युतीकरण कनेक्शन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर निर्भर करता है ।

जनपद कानपुर के कतिपय गांवों में बाढ़ के कारण मकानों को क्षति

8--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत ब्लाक बिल्हौर व ब्लाक ककवन तथा ब्लाक रसूलाबाद से संबंधित गांवों में वर्षा व बाढ़ के कारण दिनांक 1 जुलाई, 1980 से 25 अगस्त, 1980 तक कितने मकान गिरे हैं ?

श्री बंजनाथ कुरील--

जनपद कानपुर के अन्तर्गत ब्लाक बिल्हौर, ककवन तथा रसूलाबाद के गांवों में वर्षा व बाढ़ के कारण दिनांक 1 जुलाई, 1980 से 25 अगस्त, 1980 तक कुल 26, 187 मकान गिरे हैं ।

राज्य विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत विद्युत् सेवा आयोग का गठन

9--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या विद्युत् मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विद्युत् परिषद् ने 1978 में विद्युत् सेवा आयोग का गठन किया था ? यदि हां, तो इस सेवा आयोग का क्या कार्य है और इस पर क्या वार्षिक व्यय होता है ?

श्री ब्रम्हदत्त--

जी हां ।

विद्युत् सेवा आयोग राज्य विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत उन सभी अराजपत्रित तृतीय श्रेणी के पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन करता है जिनके वेतनमान का न्यूनतम 340 रु० प्रतिमाह या अधिक है तथा उन अराजपत्रित पदों, जिनके वेतनमान का न्यूनतम 485 रु० या अधिक है, पर प्रोन्नति के लिये चयन का कार्य करता है ।

सेवा आयोग पर हुये वार्षिक व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	व्यय
	रु०
(1) 1978-79 (8/78 से 3/79 तक) ..	2.17 लाख
(2) 1979-80 ..	4.19 लाख
(3) 1980-81 (11/80 तक) ..	5.12 लाख

चीनी मिलों को चलाने की प्रदेश सरकार द्वारा उद्घोषणा

10-श्री कुबेर भंडारी--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कृषि मंत्री, भारत सरकार की उद्घोषणा के अनुसार कि चीनी मिलें माह अक्तूबर, 1980 के अनुसार चीनी मिलें चलाने की तिथि उ० प्र० शासन ने निश्चित किया है, ? यदि हां, तो बीमार चीनी मिलों के चलाने की नीति सरकार ने निश्चित कर ली है ? यदि हाँ, तो क्या वस्तुस्थिति से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

केन्द्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार की माह अक्तूबर, 1980 को उद्घोषणा के अनुसार चीनी मिलों को चलाने की प्रदेश सरकार द्वारा कोई तिथि निश्चित नहीं की गयी परन्तु प्रदेश की सभी चीनी मिलों को पेराई सत्र 1980-81 में शीघ्रातिशीघ्र चलाने के लिए प्रेरित किया गया जिसके फलस्वरूप माह अक्तूबर, 1980 में 8, नवम्बर में 59, दिसम्बर में 21 तथा जनवरी 81 में 1 चीनी मिल चली । इस प्रकार प्रदेश की सभी चीनी मिलों ने जिसमें बीमार चीनी मिलें भी शामिल हैं, वर्ष 1980-81 में गन्ना पेराई प्रारम्भ की ।

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उतरौला, जनपद गोण्डा के न्यायालय में निस्तारण हेतु अवशेष मुकदमें

11-श्री मसरूर जाफरी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उतरौला, जनपद गोंडा बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय पर परगना उतरौला ग्राम पालापुर के कितने मुकदमें बगैर फैसले के रुके हैं ? और कितने वर्षों से रुके हैं और किन कारणों से अभी तक फैसला नहीं हुआ है ? इनका फैसला कब तक होने की आशा है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उतरौला, जनपद गोण्डा के न्यायालय में ग्राम पालापुर के केवल 2 मुकदमें निस्तारण हेतु अवशेष हैं ।

इन मुकदमों का दायरा क्रमशः 16 मई 1978 तथा 14 मई, 1980 को हुआ । इनमें से प्रथम वाद में खण्ड विकास अधिकारी, उतरौला के कार्यालय से बहस हेतु समय से आवश्यक अभिलेख प्राप्त नहीं हुये । इसके अतिरिक्त पक्षों ने समय-समय पर अन्तरिम अभिलेखों के विरुद्ध निगरानियां भी दायर कीं । फलस्वरूप अपील अनिस्तारित रही । द्वितीय वाद एकतरफा सुनवाई के कारण उप संचालक चकबन्दी, गोन्डा के न्यायालय से प्रत्यावर्तित किया गया तथा इसी आदेश के विरुद्ध वाद उक्त न्यायालय में दायर हो गया है । अतएव अपील अनिस्तारित है । इन दोनों अपीलों की निगरानियों के निस्तारण के पश्चात् यथाशीघ्र निस्तारित किये जाने की सम्भावना है ।

चकबन्दी अधिकारी, अन्तिम अभिलेख उतरौला के न्यायालय में अनिर्णीत मुकदमें

12-श्री मसरूर जाफरी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उतरौला अन्तिम अभिलेख में चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय पर परगना उतरौला, ग्राम पालापुर के कितने मुकदमें बगैर फैसले कितने वर्षों से किन कारणों से रुके हैं ? और निर्णय कब तक होने की आशा है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

चकबन्दी अधिकारी, अन्तिम अभिलेख, उतरौला के न्यायालय में चकबन्दी के 6 वाद अनिस्तारित हैं । इनमें से एक-एक वाद वर्ष 1975, 1976, 1979 तथा 1980 में दायर हुआ तथा अवशेष 2 वाद वर्ष 1977 में दायर किये गये । ये वाद पक्षों द्वारा सबूत प्रस्तुत करने हेतु बार-बार समय मांगने तथा अन्तरिम आदेशों के विरुद्ध निगरानियां दायर होने के फलस्वरूप अनिस्तारित रहे । इन वादों के यथाशीघ्र निस्तारित किये जाने की सम्भावना है ।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश में लेखाधिकारी के पद से सेवा निवृत व्यक्तियों के फंड का भुगतान

13--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश में लेखाधिकारी पद से अप्रैल, 1978 में मृत्यु अथवा अन्य कारण से कौन-कौन व्यक्ति सेवा निवृत्ति हुए ? क्या उन्हें पेंशन, ग्रेचुएटी, जी० पी० फंड एवं सी० डी० एस० का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर में लेखाधिकारी के पद से माह अप्रैल, 1978 में केवल स्वर्गीय श्री विश्वनाथ टंडन की दिनांक 16-4-78 को मृत्यु हुई । उक्त अवधि में उक्त निदेशालय से किसी अन्य लेखाधिकारी की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई सेवा निवृत्त हुआ । स्वर्गीय श्री टंडन के उत्तराधिकारी को मिली पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान के आदेश महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 27-11-78 तथा 28-10-80 को निर्गत किए जा चुके हैं तथा सी० डी० एस० का भी भुगतान किया जा चुका है । जहां तक जी० पी० एफ० में जमा धनराशि के भुगतान का प्रश्न है, औपचारिकताएं पूरी कराई जा रही हैं ।

विकास खंड खैराबाद, के ग्राम जवाहरपुर का विद्युतीकरण

14--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खंड खैराबाद के ग्राम जवाहरपुर के विद्युतीकरण के बारे में राज्य मंत्री बिजली को दिये गये मांग-पत्र दिनांक 23-11-80 के बारे में की गई कार्यवाही की प्रगति क्या है ? विद्युतीकरण कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त--

सीतापुर जिले के विकास खंड खैराबाद के ग्राम जवाहरपुर के विद्युतीकरण हेतु ग्राम में सर्वेक्षण कार्य हो रहा है ।

संभवतः जून, 1981 के अन्त तक उक्त विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जावेगा ।

मोहल्ला लालकुर्ती, शहर सीतापुर में विद्युत् आपूर्ति

15--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत् मंत्री यह कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के मांग-पत्र दिनांक 23-11-80 के बारे में कि "सीतापुर नगर के मोहल्ला लालकुर्ती को नगरपालिका सीमा में मानकर बिजली आपूर्ति की जाय" के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? बिजली देना कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मोहल्ला लालकुर्ती शहर सीतापुर से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर है और इस क्षेत्र की विद्युत् आपूर्ति 11 के० वी० कटौती पोषक जो कि ग्रामीण पोषक है के द्वारा की जाती है । इस मोहल्ले की विद्युत् आपूर्ति सीतापुर नगर के बराबर कर सकना परिषद् के लिए इस समय सम्भव नहीं है ।

जनपद इटावा एवं कानपुर में बिक्री-कर की धनराशि का फर्जी चालान

16--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इटावा में वर्ष 1978-79 में तथा जनपद कानपुर में वर्ष 1979 में बिक्री-कर की जमा धनराशि के फर्जी चालान पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो वह कितनी धनराशि के और किस-किस वर्ष से सम्बन्धित थे इस सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्मदत्त--

1--जनपद इटावा में वर्ष 1978-79 में बिक्री-कर की धनराशि का कोई फर्जी चालान नहीं पकड़ा गया ।

2--सन् 1979 में कानपुर में 6,51,473,470 के फर्जी चालान पकड़े गये हैं । ये चालान किस वर्ष से सम्बन्धित है, इसकी जांच पूरी हो जाने के पश्चात् ही अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा ।

जनपद कानपुर के ब्लाक बिल्हौर, ककवन, रसूलाबाद के गांवों को आर्थिक सहायता

17--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद कानपुर के ब्लाक बिल्हौर व ब्लाक ककवन तथा ब्लाक रसूलाबाद के गांवों के ऐसे किन-किन लोगों को कितनी-कितनी सरकार द्वारा घोषित आर्थिक सहायता दी गई ? जिनके मकान वर्षा एवं बाढ़ के कारण 1 जुलाई, 1980 से 25 अगस्त, 1980 के मध्य गिर गये थे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद कानपुर में वर्षा एवं बाढ़ के कारण 1 जुलाई, 1980 से 25 अगस्त, 1980 के मध्य ब्लाक बिल्हौर व ककवन तथा ब्लाक रसूलाबाद में 9,441 लोगों को गृह निर्माण अनुदान हेतु कुल 12,22,050 रु0 आर्थिक सहायता दी गई । जिनमें से ब्लाक बिल्हौर व ककवन में 6,173 व्यक्तियों को 8,54,900 रु0 तथा ब्लाक रसूलाबाद में 3,268 व्यक्तियों को 3,67,150 रु0 की आर्थिक सहायता दी गई ।

चीनी मिल हरदोई पर गन्ना काश्तकारों का गन्ना आपूर्ति की बकाया धनराशि

18--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि चीनी मिल हरदोई पर वर्ष 1979 सीजन तक का गन्ना काश्तकारों का गन्ना आपूर्ति का कुल कितना रुपया बकाया है । काश्तकारों को दिलाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ? तथा भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

हरदोई चीनी मिल का किसानों का सत्र 79-80 का गन्ना आपूर्ति का कोई रुपया बकाया नहीं है इससे पूर्व वर्षों का 102·31 लाख रुपया बकाया है जिसमें से सीजन 1977-78 का 99·76 लाख रुपया उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विवादग्रस्त है । शेष धनराशि भुगतान हेतु प्रयास जारी है ।

ग्राम बिजवार, जनपद सीतापुर में विद्युत् आपूर्ति

19--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के ग्राम बिजवार हुसैनगंज को औद्योगिक फीडर पर करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा राज्य मंत्री बिजली को दिये गये मांग पत्र दिनांक 23-11-80 के बारे में अब तक शासन द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

बिजवार ग्राम जनपद सीतापुर की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 1187 है । अतः परिषद् की वर्तमान नीति के अनुसार इस ग्राम की विद्युत् आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों की तरह की जाती है । इस ग्राम की विद्युत् आपूर्ति हुसैनगंज उप

संस्थान से निकले 11 के0 वी0 लहरपुर ग्रामीण पेषक के द्वारा की जाती है और इसको औद्योगिक फीडर पार कर सकना परिषद् के लिये संभव नहीं है ।

गोरखपुर जिले के आनन्दनगर स्थित चीनी मिल पर बकाया धनराशि

20 –श्रीमती गौरी देवी––

क्या गन्ना मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के आनन्दनगर स्थित चीनी मिल में गन्ना किसानों का आज तक कितना रुपया बकाया है ? और उक्त बकाये की धनराशि किसानों को दिलाने हेतु सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह––

गोरखपुर जिले के आनन्दनगर स्थित चीनी मिल पर दिनांक 15-1-81 तक किसानों का रु0 7·90 लाख रुपया बकाया है जिसमें 7·84 लाख रुपया वर्तमान सत्र 80-81 का है । बकाया धनराशि किसानों को दिलाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

छोटी फ्लोर मिल को गेहूं खरीद पर क्रय कर से मुक्त करने का विचार

21– श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या छोटी फ्लोर मिल को गेहूं खरीद पर क्रय कर तथा आटे पर बिक्रीकर से मुक्त करने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस बारे में शासन द्वारा निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त––

छोटी फ्लोर मिल्स को भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त गेहूं पर देय क्रय कर से मुक्त करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

मामले में निर्णय हेतु भारतीय खाद्य निगम से कुछ सूचना मांगी गई है ।

गाजीपुर जनपद के राज्य कर्मचारियों को आवासीय भत्ता देने का मांग

22—श्री राम नारायण––

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में केन्द्रीय कर्मचारियों को आवासीय भत्ता प्रदान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को उसी प्रकार आवासीय भत्ता देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री ब्रह्म दत्त––

जी हां । राज्य सरकार के वर्तमान आदेशों के अनुसार एक लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को ही मकान किराया भत्ता अनुमन्य है । नगरों की जनसंख्या का आधार 1971 की जनगणना की रिपोर्ट है । क्योंकि उक्त रिपोर्ट के अनुसार गाजीपुर नगर की जनसंख्या एक लाख से कम है, अतः वर्तमान आदेशों के अनुसार गाजीपुर नगर में कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता स्वीकृत करना सम्भव नहीं है ।

बांदा जनपद में नलकूपों को दिया गया कनेक्शन

23--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में कितने नलकूपों में विद्युत् कनेक्शन करना है और क्या यह सत्य है कि बहुत समय से इन नलकूपों को विद्युत् से संबंधित नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

दिनांक 31-12-80 तक बांदा जनपद में नलकूपों के 34 मामले ऐसे थे जिनमें संबंधित व्यक्तियों ने समस्त औपचारिकतायें पूरी कर दी थीं और कनेक्शन दिया जाना था ।

बांदा जनपद में नलकूपों को कनेक्शन दिये जाने का कार्य निरन्तर चल रहा है तथा वित्तीय वर्ष 1980-81 में अप्रैल से दिसम्बर, 1980 के दौरान 59 नलकूपों को बिजली दी जा चुकी है ।

31-12-80 तक लम्बित 34 मामलों में से 8 मामले 31-3-80 के पूर्व के, 9 मामले अप्रैल-जून, 1980 की अवधि के, एक मामला जुलाई-सितम्बर, 1980 की अवधि का तथा 17 मामले अक्तूबर-दिसम्बर, 1980 की अवधि के हैं । लम्बित मामलों में कनेक्शन यथाशीघ्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

24--श्रीमती गौरी देवी--

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित] ।

25--श्री पंचानन--

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित] ।

26--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित] ।

उन्नाव जनपद में अतिवृष्टि, बाढ़ से मकानों को क्षति तथा सहायता

27--श्री भीखा लाल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में इस वर्ष अतिवृष्टि और बाढ़ से कितने मकान पूर्णरूप से तथा कितने मकान आंशिक रूप से ध्वस्त हुये हैं और जिले से अहेतुक सहायता, गृह अनुदान तथा तकावी की मद में पृथक्-पृथक् कितना रुपया मांगा गया है तथा सरकार द्वारा उक्त मदों में कितना-कितना रुपया दिया गया है और बाकी रुपया कब तक देने की व्यवस्था है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

उन्नाव जनपद में अतिवृष्टि, जलप्लावन तथा बाढ़ के कारण 33,331 मकान पूर्णरूप से तथा 1,96,555 मकान आंशिक रूप से ध्वस्त हुये हैं ।

अहेतुक सहायता की मद में जिले से 12,12,000 रु0 की मांग की गई थी जो शासन द्वारा दे दी गई है ।

गृह निर्माण अनुदान की मद में जिले से 1,75,70,000 रु0 की मांग की गई। शासन द्वारा 1,20,70,000 रु0 दिये जा चुके हैं। अतिरिक्त धनराशि देने पर विचार किया जा रहा है।

तकावी के मद में जिले से 57,30,000 रु0 की मांग की गई। शासन द्वारा 10,23,000 रु0 दिया जा चुका है और धनराशि देने पर विचार किया जा रहा है।

टान्डा तापीय परियोजना के लिए भूमि अध्याप्ति से प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति के आदेश

28--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टान्डा तहसील तापीय शक्ति परियोजना से प्रभावित सदस्यों को परियोजना में नौकरी दिलाये जाने तथा परियोजना निर्माण हेतु स्थानीय समस्याओं को सुलझाने हेतु विद्युत् बोर्ड, उ0 प्र0 द्वारा सन् 1979 में 7 सदस्यीय एक समिति गठित की गई थी ? यदि हां, तो क्या समिति द्वारा 7-5-80 को 24 प्रभावित सदस्यों को परियोजना में नियुक्ति हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव करके एक लिस्ट विद्युत् बोर्ड की सेवा में उचित कार्यवाही हेतु भेजी गयी थी ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

टान्डा तापीय परियोजना के लिए भूमि अध्याप्ति से प्रभावित व्यक्तियों की समस्याओं पर विस्तृत रूप से विचार करने एवं उन्हें तत्परता से सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने परिषदाज्ञा संख्या 770-डब्लू/रा0 वि0 प0-छः/80, दिनांक 19-2-80 द्वारा उस समय एक समिति का गठन किया था, जिसके अनुसार समिति में पांच (5) सदस्य रखे गये थे न कि सात (7)। इस समिति ने 24 प्रभावित सदस्यों की नियुक्ति हेतु संस्तुति की थी। इन सभी को दैनिक वेतन भोगी श्रेणी में नियुक्ति के आदेश दिये जा चुके हैं।

29--श्री शंकर सिंह--

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]।

लखनऊ--हरदोई मार्ग पर ताड़ी की दुकान हटाने संबंधी प्रार्थना-पत्र

30--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-हरदोई मार्ग पर सर्वोदय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ठाकुरगंज के पास हनुमान मंदिर से सटी हुई ताड़ी की दुकान हटाने संबंधी प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता को संस्तुति सहित दिनांक 27-10-80 को उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त शिक्षण संस्था एवं धार्मिक स्थान से सटी ताड़ी की दुकान हटाने संबंधी क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां। प्रश्नगत ताड़ी की दूकान सर्वोदय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पीछे हटकर स्थित है और उस तरफ बच्चों के स्कूल आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है। स्कूल का कोई दरवाजा आदि ताड़ीखाने की तरफ नहीं खुलता है। इस ताड़ी की दुकान से हनुमान जी का मंदिर, जो घरनुमा है, लगभग 100

गज की दूरी पर स्थित है । यह मंदिर बहुत ही छोटा है और उजड़े हुए स्थान पर होने के कारण बहुत कम लोग दर्शन हेतु आते हैं । स्पष्ट है कि ताड़ी की दूकान के कारण स्कूल में बच्चों की पढ़ाई अथवा मंदिर में पूजा में कोई बाधा नहीं पड़ती है । अतः वर्तमान स्थल से ताड़ी की दूकान हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

जिला गोण्डा में दैवी प्रकोप से पीड़ित किसानों को अनुदान

31—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोण्डा जिले के करनैलगंज व परसपुर विकास क्षेत्र में सन् 1980 के वर्ष में वर्षा, बाढ़ व जलभराव से उत्पन्न स्थिति के फलस्वरूप पीड़ित किसानों को मकान मरम्मत के लिए अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो गांव सभावार उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत करनैलगंज व परसपुर विकास क्षेत्र में इस वर्ष बाढ़ व जल प्लावन से उत्पन्न स्थिति के फलस्वरूप पीड़ित व्यक्तियों को मकान मरम्मत हेतु गृह अनुदान वितरित किया गया, जिसका गांव सभावार विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है ।

गोण्डा जिले की तरबगंज तहसील में वितरित तकावी

32—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के तरबगंज तहसील में सन् 1980 में लेखपाल सर्किल आधार पर कितनी तकावी वितरित की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष 1980 में गोण्डा जिले की तरबगंज तहसील में बांटी गई तकावी का लेखपाल क्षेत्रवार विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है ।

देवरिया जनपद में अतिवृष्टि व बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलें तथा दिया गया मुआवजा

33—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण देवरिया जिले में कितने मकान एवं फसलें बरबाद हुई हैं और उसके मुआवजे की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

देवरिया जनपद में अतिवृष्टि, जल प्लावन एवं बाढ़ के कारण 26,743 मकान तथा 1,08,168 हे0 क्षेत्र की फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं । मुआवजा बेन का कोई प्राविधान नहीं है । क्षतिग्रस्त मकानों के लिये गृह अनुदान वितरण की व्यवस्था की गई है ।

देवरिया जिले में बाढ़-ग्रस्त छात्रों की शिक्षा शुल्क में दी गई छूट

34—श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सरकार ने देवरिया जिला को बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है ? यदि हां, तो छात्रों की फीस कब तक के लिए माफ की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

देवरिया जनपद को बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसी घोषणा करने का कोई नियम नहीं है, परन्तु जनपद में अतिवृष्टि, जल प्लावन एवं बाढ़ के कारण उन क्षेत्रों के छात्रों की फीस जहां फसलों को 50 प्रतिशत या इससे अधिक को क्षति हुई है, अगस्त, 1980 से जनवरी, 1981 तक के लिए कक्षा 7 से विश्वविद्यालय स्तर तक को माफ कर दी गयी है ।

35—श्री जिया राम शुक्ल 'विकल साकेती'--

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित]

36—श्री शंकर सिंह--

[28-1-81 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 द्वारा उत्तरित]।

कोटद्वार, गढ़वाल के रणवीर सिंह रावत एवं अन्य पटवारी की बकाया पेंशन, ग्रेच्युटी एवं जी० पी० फन्ड

37—श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कोटद्वार, गढ़वाल के रणवीर सिंह रावत एवं अन्य पटवारी जो 1974-75 में सेवा निवृत्त हुए उन्हें आज तक पेंशन ग्रेच्युटी एवं जी० पी० फन्ड क्यों नहीं दिया गया ? इस विलम्ब के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? और क्या उक्त पटवारियों को अतिशीघ्र पेंशन आदि देने का आदेश जारी करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

38-39—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

[5वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 10-11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

40—श्री नन्द किशोर सिंह--

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

ओबरा ताप विद्युत् गृह की उत्पादन क्षमता

41—श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ओबरा ताप विद्युत् गृह की क्षमता एक हजार मेगावाट के ऊपर है और उसमें बिजली का उत्पादन सिर्फ 500 मेगावाट ही हो रहा है ? यदि हां, तो इनका क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

ओबरा ताप विद्युत गृहों की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 1150 मेगावाट है । इसमें 250 मेगावाट का ओबरा तापीय 300 मेगावाट का ओबरा विस्तार प्रथम चरण एवम् 600 मेगावाट का ओबरा विस्तार द्वितीय चरण सम्मिलित है ।

गत 3 माहों की अधिकांश अवधि में ओबरा ताप विद्युत् गृहों से उत्पादन 500 मेगावाट से कही अधिक रहा है । दिनांक 20-1-81 को उच्चतम मांगपूर्ति के समय इन विद्युत् गृहों से 964 मेगावाट की आपूर्ति हुई थी तथा नवम्बर, 1980, जनवरी, 1981 की अवधि में इन विद्युत् गृहों से उत्पादन बहुधा क्षमता के 60 प्रतिशत से अधिक रहा है ।

ओबरा थर्मल पावर तथा रिहन्ड जल विद्युत् गृह में उत्पादन क्षमता

42—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, सन् 80 से लेकर 15 दिसम्बर, 80 तक ओबरा थर्मल पावर तथा रिहन्ड जल विद्युत् गृह में प्रत्येक माहवार कितने मेगावाट उत्पादन हुआ और वह क्षमता से कितना प्रतिशत कम हो रहा है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मार्च, 1980 से लेकर दिसम्बर, 1980 तक ओबरा तापीय विद्युत् गृह तथा रिहन्द जल विद्युत् गृह में हुआ माहवार उत्पादन (मिलियन यूनिट) तथा इन माहों का प्रतिशत उत्पादन नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

माह	ओबरा ताप विद्युत् गृह (1150 मेगावाट)		रिहन्द जल विद्युत् गृह (300 मेगावाट)	
	उत्पादन मि0 यू0	उत्पादन की क्षमता से प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर (प्रतिशत)	उत्पादन मि0 यू0	उत्पादन की क्षमता से प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर (प्रतिशत)
मार्च, 1980	370	43·2	14	जलाशय आधारित जल
अप्रैल, 1980	293	35·4	23	विद्युत् गृहों से उत्पादन
मई, 1980	383	44·8	15	जल की उपलब्धता पर
जून, 1980	319	38·5	13	निर्भर होता है और
जुलाई, 1980	278	32·5	48	उसे संचित जल तथा
अगस्त, 1980	293	34·2	55	विद्युत् मांग के अनुसार
सितम्बर, 1980	295	35·6	63	चलाया जाता है ।
अक्तूबर, 1980	301	35·2	127	
नवम्बर 1180	336	40·6	117	
दिसम्बर, 1980	402	47·0	81	

राज्य विद्युत् परिषद् के कतिपय विद्युत् गृहों की बन्दी

43—श्री अबल—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर, मऊनाथभंजन, लखनऊ एवं ताल कटोरा, लखनऊ, मैनपुरी तथा सोहावल के पावर हाउस करीब दो माह से बन्द पड़े हैं जिससे दो करोड़ के करीब रोजाना नुकसान हो रहा है और हजारों कर्मचारी, अधिकारी बेकार पड़े हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

यह सही नहीं है कि प्रश्न में उल्लिखित विद्युत् गृह 2 माहों (नवम्बर-दिसम्बर, 1980) में बन्द पड़े रहे हैं ।

यह भी सही नहीं है कि राज्य विद्युत् परिषद् को इन विद्युत् गृहों के बन्द होने से 2 करोड़ के करीब रोजाना नुकसान हो रहा है और न ही इन विद्युत् गृहों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी बेकार पड़े हैं ।

किन्तु इस अवधि में निम्नलिखित विद्युत् गृह कुछ समय के लिए कोयले की वांछित मात्रा में पूर्ति न हो पाने के कारण बन्द रहे :—

विद्युत् गृह	बन्द होने की अवधि	कोयले की कमी के कारण उत्पादन हानि (अनुमानित)
गोरखपुर	4 दिन	0.4 मिलियन यूनिट
मऊ	18 दिन	1.8 ,,
सोहावल	23 दिन	3.6 ,,
मैनपुरी	19 दिन	1.9 ,,
लखनऊ (ऐशबाग)	28 दिन	2.3 ,,
लखनऊ (तालकटोरा)	12 दिन	1.6 ,,

कोल इंडिया व रेलवे विभाग से निरन्तर सम्पर्क स्थापित कर यह चेष्टा की जा रही है कि वांछित मात्रा में इन विद्युत् गृहों को कोयले की नियमित आपूर्ति होती रहे ताकि उत्पादन में कोई ह्रास न हो ।

44-45—श्री हरिवंश सहाय—

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

गोरखपुर जिले में परतावल बाजार से बैलों तक को बिजली लाइन का निर्माण

46—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में परतावल बाजार से बैलों तक जाने वाली बिजली लाइन कब बनी और उस पर कुल कितना खर्च

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--]

हुआ ? क्या यह सच है कि उक्त लाइन से किसी भी गांव को बिजली नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

गोरखपुर जिले में परतावल से बंलों तक की 11,000 वोल्ट की लगभग 14 किलोमीटर लम्बी लाइन वर्ष 1970 तथा वर्ष 1976 में, दो चरणों में, बनी थी। उक्त कार्य पर लगभग 1,36,722 रु० व्यय हुआ।

उपरोक्त लाइन से परतावल, परसा बुजुर्ग तथा लखिया ग्रामों को बिजली मिल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

सुपरवाइजर कानूनगो की नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति

47--श्री हुकम सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि 38 सुपरवाइजर कानूनगो जो दिनांक 1-1-78 से स्थायी हैं अब तक नायब तहसीलदार पर प्रोन्नत नहीं किए गये ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि श्री रामस्वरूप सिंह, अस्थायी (सुपरन्यूमेरेरी) कानूनगो को नियमों के विरुद्ध प्रोन्नत किया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है।

परिषद् स्तर पर मेरठ मंडल में संग्रह अमीनों की प्रोन्नति

48--श्री हुकम सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषद् स्तर पर संग्रह अमीनों को एक वर्ष की सर्वे तथा लैन्ड रिकार्ड की ट्रेनिंग दिये बिना मेरठ मंडल के 15-20 संग्रह अमीनों को नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो कैसे ? क्या यह सही है कि मेरठ मंडल में ही दस स्थायी सुपरवाइजर कानूनगो, नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नत नहीं किय गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम सभा बैठवलिया को चकबन्दी में न सम्मिलित किया जाना

49--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक निचलौल, ग्राम सभा बैठवलिया को चकबन्दी नहीं करायी गयी है ? चकबन्दी कराने हेतु भूतपूर्व विधायक, श्री शारदा प्रसाद जायसवाल ने अक्तूबर, 1978 तथा मई, 1979 में लिखित दिया था कि उपरोक्त गांव को चकबन्दी में सम्मिलित कर लिया जाय ? क्या यह सही है कि आज तक ग्राम सभा बैठवलिया को चकबन्दी में

नहीं लिया गया और न तो कार्यवाहो से अवगत कराया गया ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

50–51—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित] ।

टाण्डा तापीय योजना से प्रभावित किसान परिवार के सदस्यों को परियोजना में नियुक्ति

52—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना जनपद फैजाबाद से प्रभावित किसान परिवार के सदस्यों को परियोजना में अब तक कितने सदस्यों को नियुक्ति की जा चुकी है तथा वे किन-किन श्रेणियों पर कार्यरत हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

टाण्डा तापीय परियोजना से प्रभावित किसान परिवार के 24 सदस्यों को परियोजना में नौकरी दिये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं । ये सभी नियुक्तियां दैनिक वेतन भोगी श्रेणी में की गई हैं । इनमें से 20 को श्रमिक पद पर तथा 4 को जूनियर इलेक्ट्रीशियन/ड्राफ्टमैन के पद के समकक्ष पद पर नियुक्त किया गया है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना मिल्स कारपोरेशन, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों से सामूहिक बीमा की धनराशि

53—श्री सोनांश प्रकाश—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना मिल्स कारपोरेशन, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों से सामूहिक बीमा की धनराशि वसूल की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि0, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों से सामूहिक बीमा की धनराशि वसूल नहीं की जाती है । जीवन बीमा निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार सामूहिक योजना कम से कम 500 कर्मचारियों पर लागू हो सकती है जबकि संघ में केवल 54 कर्मचारी हैं ।

ग्राम श्रीपत खण्ड, जिला देवरिया में आवासीय भूमि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र

54—श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री नन्दकिशोर सिंह—

विधान सभा दिनांक 26-9-1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सम्बन्धित आवेदकों को

जो आवासीय चकबन्दी में छोड़ी गई भूमि के पात्र हैं, उन तीन (3) पात्रों को उनके प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-1-1980 के अनुसार आवासीय भूमि दिलाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया और जिसके लिए उन्होंने शासन को पुनः पत्र दिनांक 22-12-1980 प्रेषित किया है जो किसी विधायक की संस्तुति दिनांक 24-12-1980 द्वारा शासन को प्राप्त है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम-श्रीवत खण्ड, जिला देवरिया में आवासीय भूमि प्राप्त करने के लिये तीन व्यक्तियों द्वारा प्रथम प्रार्थना पत्र दिनांक 10-1-1980 को तथा दूसरा प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता विधायक, श्री भण्डारी के पत्र दिनांक 24-12-1980 के साथ प्राप्त हुआ था ।

उपर्युक्त ग्राम में उपलब्ध आवासीय भूमि के लिए प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कर लिया गया है । सम्बन्धित तीन आवेदकों को पात्रता एवं उन्हें भूमि दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जाना है ।

श्री नत्थूलाल, जिला हरदोई का राजस्व की वसूली स्थगित किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

55--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री नत्थूलाल पुत्र श्री बच्चूलाल, ग्राम व पो0 अब्दुल्ला नगर, तहसील शाहाबाद, जिला हरदोई का प्रार्थना पत्र-राजस्व की वसूली स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में शासन को दिसम्बर, 1980 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां ।

प्रार्थी को धनराशि जमा करने हेतु 20-1-1981 तक का समय दिया गया ।

परसीपुर फीडर विद्युत् विभाग, वाराणसी में विद्युत् कनेक्शन तथा बकाया बिल का भुगतान

56--श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परसीपुर फीडर विद्युत् विभाग, वाराणसी में एक कनेक्शन नं0 114 कई वर्षों से दिया गया है और उक्त कनेक्शन का पता गांव लोकमनपुर दिया गया है जिसकी वजह से कनेक्शन के बिल का हजारों रुपया सालाना वसूल नहीं हो रहा है ? क्या यह सही है कि उक्त कनेक्शन गांव लखनपुर उर्फ अभयमनपुर में है ? यदि हां, तो इसको गलत गांव के नाम से क्यों दिया गया और अब तक जांच करके उसको ठीक क्यों नहीं किया गया ? विद्युत् चार्ज क्यों नहीं वसूल किया गया इसके लिए कौन कर्मचारी, अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्म दत्त --

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विद्युत् वितरण खंड तृतीय, गोरखपुर के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत का ज्ञापन-पत्र

57-श्रीमती गौरी देवी--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जोन के मुख्य अभियन्ता, श्री आर० के० मित्तल को वर्ष 1980 माह अक्तूबर/नवम्बर में जमीर अहमद पयाम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने विद्युत् वितरण खण्ड तृतीय, गोरखपुर के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत का ज्ञापन पत्र दिया था ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां, दिनांक 29-11-80 को श्री जमीर अहमद पयाम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने श्री ए० पी० मित्तल, मुख्य क्षेत्रीय अभियंता, वाराणसी जोन को उनके गोरखपुर आगमन पर विद्युत् वितरण खंड तृतीय, गोरखपुर, कुछ अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत का ज्ञापन पत्र दिया था । शिकायतों का विवरण संलग्न है । इन शिकायतों पर अधीक्षण अभियंता, विद्युत् वितरण मंडल, गोरखपुर द्वारा जांच कराई गई तथा जांच में सभी शिकायतें निराधार पाई गई ।

श्री श्याम बिहारी हरिजन, जिला गोरखपुर की बिजली का तार लगने से मृत्यु तथा परिवार को दी गई सहायता

58-श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मृतक श्री श्याम बिहारी हरिजन, ग्राम जंगल रामगढ़ उर्फ चौरी, जिला गोरखपुर जो बिजली का तार लग जाने से मर गया था उसके परिवार को क्या सहायता दी गई ? क्या तत्कालीन विद्युत् राज्य मंत्री जी ने अपने पत्र संख्या 500/स० म० वि०/80, दिनांक 23-7-80 के द्वारा प्रश्नकर्ता को मुख्य मंत्री कोष से सहायता के लिये आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो अभी तक क्या सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ग्राम निजामुद्दीनपुर, जनपद लखनऊ में ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु विद्युतीकरण

59-श्री राम आसरे वर्मा--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, 1980 में ग्राम निजामुद्दीनपुर, पो० गाजीपुर, जनपद लखनऊ में किसी ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु विद्युत् लाइन उचित मार्ग से न ले जाने के सम्बन्ध में ग्रामीणों की ओर से कोई शिकायती पत्र वर्ष 26-9-80 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1191 पर ।

श्री ब्रह्म दत्त—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर जनपद के बिल्हौर निर्वाचन क्षेत्र में झुलसा रोग से आलू की फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 में आज कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से छः स्वीकृत हुई ।

(समय अपराह्न 12 बजकर 24 मिनट)

श्री मोती लाल देहलवी—

महोदय, आपकी आज्ञा से माननीय सदन के संज्ञान में लोकमहत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे चुनाव क्षेत्र बिल्हौर, जनपद कानपुर में आलू की फसल को झुलसा रोग लग जाने से लगभग 75 प्रतिशत फसल बर्बाद हो गई है । यह और भी दुःखद एवं आश्चर्यजनक है कि सरकारी स्तर से झुलसा रोग को जो दवा किसानों को दी गई, उसके छिड़काव से बिल्कुल उल्टा असर हुआ और फसल की बर्बादी का प्रतिशत बढ़ गया । ऐसा आभासित है कि दवा मिलावटी थी ।

किसानों के आलू की इस फसल की बर्बादी से लागत मूल्य भी मिलना असम्भव हो गया है । आलू के किसान इस स्थिति से अत्यन्त दुखी, चिन्तित तथा बेचैन हैं । ऐसी दशा में सरकार का कर्तव्य है कि वह आलू किसानों को बेचैनी से उबारने के लिए आलू के खेतों के लगान, सिंचाई तथा बिजली के बिलों आदि की अदायगी से उन्हें माफ करें तथा दवा के मिलावट की जांच करायें ।

ग्राम नेवलगंज, थाना हसनगंज जिला उन्नाव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता श्री जटाशंकर को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम सागर—

मान्यवर, श्री जटाशंकर एक ग्रेजुएट सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो गांव नेवलगंज, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के निवासी हैं ।

सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कई वर्षों से पुलिस के अनुचित एवं भ्रष्टाचार का विरोध करते आ रहे हैं । स्थानीय जनता को निर्दोष परेशान किये जाने पर वह जनता की सक्रिय सहायता करते आ रहे हैं । एक ऐसे ही मामले में स्थानीय पुलिस के तत्कालीन थानाध्यक्ष (लक्ष्मी शंकर शुक्ल आदि) के विरुद्ध हुए इस्तगासे में पैरोकार होने के कारण स्थानीय पुलिस श्री जटाशंकर की घनघोर विरोधी हो गयी है और दिनांक 2-11-79 को दरोगा अमलदार सिंह व श्री राम सुन्दर मिश्र ने उन्हें इकट्ठी 3 डकैतियों में बिल्कुल झूठा फांस दिया था । चूंकि उन्हें बिल्कुल झूठा फांसा गया था इसलिए वह तीनों डकैतियों से मुक्त हो गये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

थे । इसके बाद पुलिस ने प्रतिशोध वश परेशान तथा अपमानित करने की नियत से उनकी निगरानी शुरू कर दी थी ।

पुलिस द्वारा श्री जटाशंकर को झूठा इन्काउन्टर दिखाकर मारने या पुनः किसी झूठे मामले में फंसाने के इरादे की जानकारी जैसे ही जटाशंकर को हुई, वैसे ही उन्हें गांव छोड़ने पर विवश होना पड़ा ।

जब से गांव निवलगंज निवासी कु० शान्ती देवी के बलात्कार का मामला सदन में उठा तब से पुलिस और ज्यादा प्रतिशोध पर उतारू हो गयी है ।

स्थानीय पुलिस श्री जटाशंकर को झूठे इन्काउन्टर द्वारा जान से मारने या पुनः किसी झूठे संगीन मामले में फांस कर हाथ-पैर तोड़ने के लिए कई लोगों से अभी भी कह चुकी है ।

ऐसी दशा में श्री जटाशंकर अपनी जान जाने के भय से अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं । उनकी जान निश्चित रूप से खतरे में पड़ी है ।

अस्तु सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से अपेक्षा कर रहा हूं कि सरकार श्री जटाशंकर की जान की सुरक्षा कर उन्हें उनके घर पर सुरक्षापूर्वक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा सम्पूर्ण मामले की जांच जनपद के अधिकारियों के बजाय सी० आई० डी० से कराने का कष्ट करेगी ।

जनपद चमोली में नन्दा देवी वन्य जन्तु विहार (सैन्क्चूरी) के राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल कर संजय गांधी के नाम से रखे जाने पर आपत्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, जनपद चमोली में नन्दादेवी वन्य जन्तु विहार (सैन्क्चूरी) के स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी के नाम से स्थापित किया गया है । नन्दा देवी नाम धर्म एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ है और इसके अतिरिक्त यह नाम विश्व के पर्यटकों, पर्वतारोहियों का चिरपरिचित एवं लोकप्रिय नाम है । नन्दादेवी के स्थान पर संजय गांधी का नाम रखने से लोगों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक भावना को अत्यधिक ठेस पहुंची है तथा विश्व के पर्वतारोहियों एवं पर्यटकों को भारी दुख एवं निराशा हुई है । जिससे लोगों में भयंकर असन्तोष एवं आक्रोश पैदा हो गया है ।

अतएव, हम इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर, सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करते हैं कि जन भावनाओं का आदर करते हुए इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम नन्दादेवी राष्ट्रीय उद्यान ही रखा जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री भगवान, निवासी ग्राम नगरी, थाना सुखपुरा, जिला बलिया को पुलिस द्वारा सेशन जज अदालत परिसर से पकड़ कर हत्या किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह—

माननीय, विगत 13-1-81 को बलिया जिले में एक नृशंस एवं अमानुषिक हत्या पुलिस द्वारा की गई। एक अभियुक्त भगवान जो ग्राम नगरी, थाना सुखपुरा, जिला बलिया का रहने वाला था, वह अपने गांव के झगड़े 302 भा० दं० वि० का अभियुक्त था, दिनांक 13-1-81 को अपने मुकदमें के सिलसिले में श्री हंसराज, तृतीय, अतिरिक्त सेशन जज बलिया की अदालत में हाजिर होने को अदालत परिसर म आ गया था, तभी अदालत परिसर से लगभग 11 बजे दिन को सुखपुरा थाने की पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। इसकी सूचना माननीय न्यायाधीश को भगवान की पत्नी श्रीमती लवंगी देवी ने दी। श्रीमती लवंगी देवी की सूचना पर माननीय न्यायाधीश ने सुनवाई की तारीख 17-1-81 कर दी और पुलिस को निर्देश दिया कि अभियुक्त को अदालत में 17-1-81 को प्रस्तुत किया जाय, किन्तु बर्बर और जंगली पुलिस ने अभियुक्त को 13-1-81 को दिन के लगभग 1 बजे फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उसकी हत्या कर दी। मेरी निजी जानकारी के अनुसार अभियुक्त कोई शातिर डकैत अथवा बदमाश नहीं था। जज के स्पष्ट निर्देश के बावजूद आपसी रंजिश के कारण पुलिस द्वारा यह अमानुषिक और बर्बर हत्या है। मैं सदन के संज्ञान में इस मामले को लाकर अविलम्ब सी० आई० डी० द्वारा जांच कराकर मामले से सम्बन्धित पुलिसजनों को दंडित करने की मांग करता हूं।

जनपद मुरादाबाद में बिलारी केन यूनियन में एस० सी० डी० आई० के आदेशानुसार छोटे गन्ना किसानों का गन्ना न खरीदे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर हुसैन—

महोदय, जनपद मुरादाबाद में बिलारी केन यूनियन जिसके अन्तर्गत 10 तौल सेंटर चलते हैं उनसे सम्बन्धित हजारों किसान अपना गन्ना सप्लाई करते हैं। इस वर्ष एस० सी० डी० आई० केन यूनियन ने हर तोल केन्द्र पर कर्मचारियों से इस तरह अनुबन्ध कर लिया है कि जिससे हर केन्द्र पर केवल दो-दो, चार-चार बड़े किसानों का ही गन्ना खरीदा जाता है और छोटे किसानों की पर्ची उन बड़े किसानों को दे दी जाती है जिसके फलस्वरूप इस यूनियन से सम्बन्धित गन्ना कृषकों का अभी 25 प्रतिशत भी गन्ना क्रय केन्द्र पर नहीं पहुंच पाया और 75 प्रतिशत गन्ना खेतों में खड़ा है लगभग आधा सीजन बीत चुका है और गन्ना खेतों में खड़े होने के कारण कृषकों को गेहूं, चना इत्यादि फसलों में लागत लगाने के लिए पैसा न होने के कारण इस क्षेत्र के हर छोटे किसानों में असन्तोष, अविश्वास और चिन्ता का वातावरण उत्पन्न हो गया है। इसलिए कि कृषकों को सरकारी देयों के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। विशेषरूप से इसका प्रभाव कुदरखी केन्द्र पर अधिक पड़ रहा है। जहां केन्द्र के इंचार्ज एक कुन्तल गन्ना किसानों से पर्ची देने का मांगता है।

अतः मैं माननीय सदन द्वारा, नियम 301 के अन्तर्गत इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्राम राजीपुर, थाना बरदह, आजमगढ़ निवासी लेदा तथा सहादुर व बल्ली (हरिजन) की रिपोर्ट न लिखे जाने तथा उन्हें प्रताड़ित किये जान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपू--

माननीय, आपकी आज्ञा से पुलिस की ज्यादती एवं लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के सम्मुख रख रहा हूं ।

दिनांक 29/30 दिसम्बर, 1980 की रात को लेदा पुत्र भेल्हू, हरिजन तथा सहादुर पुत्र प्रसाद व बल्ली पुत्र लुटावन, ग्राम राजीपुर, थाना बरदह, आजमगढ़ के घरों में डकैती पड़ी जिसकी प्रथम सूचना देने के लिए उपरोक्त व्यक्ति दिनांक 30-12-80 को सुबह थाने गये । परन्तु थानाध्यक्ष ने उन्हें बुरी तरह से मारा और बन्द कर दिया । मौके पर करीब 11 बजे रात को मैं थाने पर पहुंच गया । मेरे कहने पर भी न रिपोर्ट लिखी गयी और न छोड़ा ही गया । मेरे चले जाने के बाद रात 4 बजे उन्हें गाली-गलौज देकर छोड़ दिया गया । इसकी सूचना एस0 पी0 महोदय को दी गई । जिसमें सी0 ओ0 आये और देखकर चले गये । इस पर थानाध्यक्ष के मारने और रिपोर्ट न लिखन का इस्तगासा तारीख 15-1-81 को उन लोगों ने दे दिया ।

इसके प्रतिशोध में थानाध्यक्ष ने अपने सहायक एवं 4-5 सिपाहियों को लेकर 30/31 जनवरी, 1981 की रात को लगभग 10 बजे लेदा हरिजन के घर में घुस गये जबकि लेदा घर पर नहीं था । 75 साल के वृद्ध पिता को और लेदा की औरत को गालियां देने लगे और मारने दौड़े तथा थानाध्यक्ष ने थाने पर जाकर एस0 पी0 को वायरलेस करके एक गाड़ी पुलिस के साथ एस0 पी0 को बुला लिया । एस0 पी0 ने आकर पूरा गांव घेर लिया और 20 आदमी पकड़ लिए गये और बुरी तरह पिटवाया तथा गरीबों का सामान लूटा गया । लेदा की स्त्री की एक चांदी की हंसुली, सिकड़ी तथा सोने की बाली है, पकड़े गये लोगों की कुल 7 घड़ियां भी पुलिसों ने छीन लिया । तथा 395/332/342/147 दफाओं में चालान कर दिया । 5 और नामजद हैं जो पकड़े नहीं जा सके हैं । 60-65 की सूची अभी पूरे गांव की बनी है । इसके अलावा लेदा पुत्र भेल्हू, कल्पू पुत्र टिहुली, श्रीराम व रामनाथ पुत्रगण बलिकरन को इनकाउन्टर दिखाकर जान से मारने का प्लान बनाया जा रहा है ।

उपरोक्त घटना को माननीय सदन के सामने प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि इस मामले की न्यायिक जांच कराई जावे तथा थानाध्यक्ष एवं सहायक थानेदार को तुरन्त निलम्बित किया जाय और उन पर मुकदमा चलाया जाय । बेगुनाह गरीब हरिजन एवं पिछड़े लोगों के ऊपर जो मुकदमा चलाया गया है उसे वापस लिया जावे ।

औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

[12 बजकर 30 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

स्वायत्त शासन मंत्री ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, एक मेरा औचित्य का प्रश्न है। 3 तारीख को लिखकर दिया जिसके बारे में आपके आदेश हुए थे कि मैं आपके कक्ष में बात कर लूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं अभी समय नहीं दे रहा हूं।

नगर महापालिका, लखनऊ चुंगी नियमावली, 1974†

[12 बजकर 31 मिनट]

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नगर महापालिका अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या 4924-बी/11-6--74-256-73, दिनांक 26 अगस्त, 1974 द्वारा प्रख्यापित नगर महापालिका, लखनऊ चुंगी नियमावली, 1974, जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1974, 28 जुलाई, 1975 तथा 28 जनवरी, 1980 को सदन के पटल पर रखी गयी थी परन्तु जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि क्रमशः सदन का सत्रावसान एवं षष्ठ विधान सभा तथा सप्तम विधान सभा के विघटन के कारण किसी भी अवसर पर पूरी नहीं हो सकी थी, को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास (क्रमागत)

2 बजकर 33 मिनट]

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आपके चैम्बर में वस्तुस्थिति रखते हुए सदन में उसके लिए अनुरोध किया गया था कि अवसर दे दें। चूंकि गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष--

अवसर नहीं दे रहा हूं क्योंकि विधान सभा से सम्बन्धित यह मसला है इसलिए उसको उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा सचिवालय के क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में मैं नहीं कहना चाहता हूं। बल्कि सदन में यह बात रखना चाहता हूं कि विधान सभा सचिवालय के क्रिया-कलापों के प्रति शासन कितनी उदासीनता बरत रहा है।

श्री अध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में आप मुझसे बात कर लें, आज या कल, जब आपको अवसर हो। बात करने के बाद अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचूंगा कि सचिवालय की क्रिया-कलापों से सम्बन्धित मसला नहीं है तो उठाने की अनुमति दूंगा अन्यथा नहीं।

---

†छापी नहीं गई।

नगरमहापालिका, लखनऊ चुंगी नियमावली को देर से सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

नगरमहापालिका, लखनऊ चुंगी नियमावली को देर से सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(12 बजकर 34 मिनट)

श्री भीखा लाल--

व्यवस्था का प्रश्न है कि स्वायत्त शासन मन्त्री ने नियमावली, 1974 को सदन के पटल पर रखा और यह वर्ष 1974 से पटल पर रखी जा रही है लेकिन पूरा सत्र रखने का नहीं हुआ, इसलिए पुनः रखी जा रही है, 28 जनवरी, 1980 को रखी गई थी, विधान सभा विघटित हो गई, दूसरी बन गई और 1980 का पूरा सत्र हो गया तो उसमें क्यों नहीं रखी गई, इतने विलम्ब से क्यों रखी जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--

इसको ऐसा रखने के लिए पहले ही यहां से निर्देश है कि उसमें कारण देखे। कारण उल्लिखित हैं कि क्यों देर से रखी जा रही है।

कल सदन में चौधरी चरण सिंह के सम्बन्ध में कही गई बातों को कार्य-वाही से निकालने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

[12 बजकर 35 मिनट]

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आपने अभी एक प्रश्न दिया है। व्याख्यान के सम्बन्ध में, चौधरी साहब के सम्बन्ध में और मैंने उस पर आदेश दिए हैं। इनके बारे में आपने चर्चा किया है।

जो प्रतिलिपि आपको मिली है, वह शुद्ध प्रतिलिपि नहीं है, शुद्ध प्रतिलिपि आप देखें कि क्या है ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, राजनैतिक दल के कार्यकर्त्ता होने के नाते, मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि धारा 304 के अन्तर्गत जो नियमावली में अधिकार आपको प्रदत्त हैं तो क्या उसके अन्तर्गत आप इन शब्दों को निकाल सकते हैं ? इस कारण मैंने कुछ शब्दों के हटाने का कारण जानना चाहा कि क्या वह असंसदीय है या लोक तांत्रिक पद्धति के विरुद्ध है या विपक्ष का सदस्य होने के नाते हमारी भाषा असंसदीय है ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं। जो सूचना आई है, इसको मैं पढ़कर इसके बाद व्यवस्था दूंगा। जो आप कल अपनी बात इस सदन में रख रहे थे और जिस अवसर पर मुझे मालूम हुआ कि यह कार्यवाही में नहीं आना चाहिए, जहां पर मैंने कहा था कि यह प्रोसीडिंग में नहीं आएगी तो वहां से नहीं आएगा। आपने जो बात कही थी वह प्रोसीडिंग में आई है। मैं देखूंगा कि क्या कार्यवाही में आया है और क्या

[श्री अध्यक्ष--]

नहीं ? जहां तक व्यवस्था का प्रश्न आपने उठाया है। तो यह कोई व्यवस्था नहीं है। यह सदन के संज्ञान में आ गया है। लोकतांत्रिक कार्यकर्त्ता की हैसियत से, राजभैतिक दल के नेता होने की हैसियत से आप जो बात कहना चाहते हैं या कोई प्रश्न सदन में उठाना चाहते हैं, कहते हैं, उठाते हैं।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

श्रीमन, मैं चाहता हूं कि आपके इस पर निर्देश हो जायं जिससे मैं जान सकूं कि क्या अन्तिम निर्णय लिया गया।

श्री अध्यक्ष--

मैं स्वयं कह रहा हूं कि अभी इस पर अन्तिम निर्णय नहीं है।

राज्य मन्त्री श्री सच्चिदानंद बाजपेयी व उनके एक वैयक्तिक सहायक के विरुद्ध उठाई गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[12 बजकर 37 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

श्री बदन सिंह, सदस्य विधान सभा ने 27 जनवरी, 1981 को राज्य मंत्री, श्री सच्चिदानन्द बाजपेई व उनके एक वैयक्तिक सहायक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के एक प्रश्न की सूचना दी थी। इस सूचना में माननीय सदस्य का कहना है कि 25 जनवरी, 1981 की रात को वह आगरा कैन्ट रेलवे स्टेशन से "गंगा जमुना" (एक्सप्रेस) के कोच नं० 7265 में विधान सभा के सत्र में भाग लेने लिए चढ़े थे। उनके कथनानुसार इस डिब्बे में एक व्यक्ति को, जो हाथ में सिटिंग चार्ट लिए हुए था तथा सभी यात्रियों के टिकट देख रहा था, और पैसे ले रहा था, कन्डक्टर समझ कर उन्हें भी उससे अपने बैठने के प्रबन्ध हेतु अनुरोध करना पड़ा। शिकायत में कहा गया है कि टून्डला जंक्शन पर जब माननीय सदस्य प्रथम श्रेणी के डिब्बे में पहुंचे तो वह व्यक्ति उनके पीछे उक्त कम्पार्टमेन्ट में चढ़ गया तथा वहां पर बैठे शिक्षा राज्य मन्त्री, श्री सच्चिदानन्द बाजपेई के पास बैठ गया, और जब यह विदित हुआ कि वह शिक्षा राज्य मन्त्री का वैयक्तिक सहायक है तो यात्रियों ने उसकी भर्त्सना की। माननीय सदस्य का यह भी कहना है कि जब उन्होंने माननीय श्री बाजपेई को सारी घटना सुनाई तो माननीय मन्त्री ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार यात्रियों में जनप्रतिनिधियों के प्रति क्षोभ व घृणा का वातावरण उपस्थित होने के फलस्वरूप श्री बदन सिंह ने अपमानित महसूस किया और सदन का भी अवमान हुआ।

मैंने उस घटना के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी। उन्होंने इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उनके द्वारा 25-1-81 की सन्दर्भित यात्रा हेतु विधिवत् आरक्षण कराया गया था परन्तु आगरा स्टेशन पहुंचने पर समुचित आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। उसी समय उन्हें यह जानकारी हुई कि कुछ अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा उनके स्टाफ के लिए आरक्षित थ्री टायर सेकेन्ड क्लास कम्पोर्टमेन्ट के स्थान पर कब्जा कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने सम्बन्धित रेल कर्मचारियों से बात की, जो इस शिकायत से उनके स्टाफ से नाराज हो गए। उस समय किसी यात्री ने उनके स्टाफ के विरुद्ध उनसे कोई शिकायत नहीं की बल्कि इसके

विपरीत यात्रियों ने रेल कर्मचारियों तथा अनधिकृत रूप से बैठे व्यक्तियों की शिकायत उनके स्टाफ से की । माननीय श्री बाजपेई ने यह भी सूचित किया है कि जांच करन पर उन्हें विदित हुआ कि उनके वैयक्तिक सहायक ने यात्रा के आरम्भ में ही श्री बदन सिंह को अपना परिचय दे दिया था ।

किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब वह उसके द्वारा सदन के सदस्य के रूप में किए गए किसी कार्य या कही गई किसी बात से सम्बन्धित हो । प्रश्नगत विशेषाधिकार की अवहेलना की शिकायत में ऐसा कोई प्रश्न निहित नहीं है । अतः मैं इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, इस विषय में मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

अब इसमें क्या सुनें । आपने वैयक्तिक सहायक के बारे में उठाया है, उसको सदन में पूछ लें ।

सदन को सूचना

उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइफ कौसिल, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् व रुड़की विश्वविद्यालय सिनेट में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

[12 बजकर 41 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश नर्सेज एन्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों, जिनमें कम से कम एक महिला हो, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिए विधान सभा के 4 सदस्यों तथा रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट के लिए विधान सभा के 4 सदस्यों के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :--

1--नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय	23 फरवरी, 1981 को 4 बजे अपराह्न तक ।
2--सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय	24 फरवरी, 1981 को 5 बजे अपराह्न (सचिव विधान सभा के कक्ष में) ।
3--नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय	27 फरवरी, 1981 को 4 बजे अपराह्न तक ।
4--मतदान, यदि आवश्यक हुआ, तो	9 मार्च, 1981 को पूर्वाह्न 10-30 बजे से 4 बजे अपराह्न तक विधान मंडल पुस्तकालय विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

उपयुक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत (सिंगिल ट्रांस्फरेबिल वोट) द्वारा किया जाएगा ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस जुल्म, छात्रों की गिरफ्तारी तथा अघोषित कर्फ्यू से जनजीवन अस्त व्यस्त होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

[12 बजकर 42 मिनट]

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

प्राप्त सूचनानुसार तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 16 अगस्त, 1980 से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्तमान सत्र के प्रारम्भ होने के उपरान्त उक्त विश्वविद्यालय के छात्रगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आन्दोलनरत रहे । छात्रों की प्रमुख मांगे यह हैं कि (1) विश्वविद्यालय अनुशासन समिति द्वारा बी0 ए0 तृतीय वर्ष के एक छात्र श्री मंजर शफी के विरुद्ध की गई कार्यवाही को वापस लिया जाय । (2)बी0 ए0, बी0 एस० सी0, बी० काम० अन्तिम वर्ष की परीक्षायें सेमिस्टर प्रणाली के अनुसार समयान्तर पर की जायं । (3) दंगों, बाढ़ एवं आन्दोलनों से प्रभावित छात्रों की परीक्षायें ली जायं तथा (4) प्रो0 इरफान हबीब, डीन फैकल्टी आफ सोशल साइन्सेज को डीन के पद से हटाया जाय । छात्रों ने प्रो0 इरफान हबीब के दिनांक 13 जनवरी, 1981 को इन्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आन्तरिक मसलों के आलोचनात्मक साक्षात्कार को अपने आन्दोलन का प्रमुख आधार बनाया ।

इसी क्रम में दिनांक 23 जनवरी, 1981 को छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक सभा में दिनांक 24 जनवरी, 1981 से कुलपति का घेराव करने की धमकी दी गई । दिनाँक 24 जनवरी, 1981 को दीक्षान्त समारोह के उपरान्त कुलपति जब अपने निवास स्थान पर आए तो छात्रों ने उनके साथ अभद्र शब्दों में व्यवहार किया। उसी शाम को जिलाधिकारी ने घटनास्थल पर छात्रों से मिलकर उनसे आन्दोलन त्यागने का आग्रह किया। दिनांक 25 जनवरी, 1981 को 500/600 छात्रों ने कुलपति निवास को पूर्णतः घेर कर घोषित किया कि वह कुलपति निवास को तब तक नहीं छोड़ेगें जब तक कि उनकी माँगें पूरी न की जायेंगी । छात्रों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करके विभागों में ताले लगा दिये । दिनांक 26 जनवरी, 1981 को कुलपति को गणतन्त्र दिवस समारोह में सम्मिलित होने के लिए केवल दो घन्टे के लिए अनुमति दी । दिनांक 27 जनवरी, 1981 को हड़ताल जारी रही और विभिन्न विभागों में ताले डाल दिये गये । कुलपति निवास पर भी ताला डाल दिया गया ताकि अन्दर से बाहर और बाहर से अन्दर कोई आ-जा न सके । बिजली व पानी काटने की धमकियां दी गयी । कुलपति ने जिलाधिकारी से पुलिस की सहायता के लिये तैयार रहने को कहा ।

दिनांक 31 जनवरी, 1981 को प्रातः लगभग सवा तीन बजे, जबकि छात्रों का दबाव असहनीय हो गया, कुलपति ने जिला प्रशासन से तुरन्त पुलिस व्यवस्था की मांग की । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया है अतः छात्रावासों को खाली कराने में पुलिस सहायता की आवश्यकता है क्योंकि छात्र भारी दबाव डाल रहे हैं जिससे सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है । अतः विश्वविद्यालय परिसर तथा आस-पास के बाजार में धारा 144 लगा दी गयी । विश्वविद्यालय अधिकारियों ने विश्वविद्यालय बन्द किये जाने एवं छात्रावासों को खाली किये जाने की घोषणा की । जिला प्रशासन ने सी0 आर0 पी0 व मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों सहित विश्वविद्यालय प्रांगण में प्रवेश किया और

कुलपति निवास में गये और वहां पर उपस्थित 213 छात्रों को धारा 188/342 भा0द0वि0 एवं 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत बन्दी बना लिया। जिलाधिकारी ने विशेष बसें, दो स्पेशल रेलवे ट्रेन एवं विशेष रेल बोगियों का प्रबन्ध छात्रों को ले जाने के लिये किया। समीप के स्थानों में बसों से एवं दूर के स्थानों में रेल से छात्रों को भेजने का प्रबन्ध किया गया। यह सभी कार्यवाही शान्तिपूण ढंग से एवं कुशलता से सम्पन्न की गयी।

विश्वविद्यालय परिसर पूर्णतः खाली हो गया है। केवल छात्राओं एवं विदेशी छात्रों पर आवास खाली कराने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वे स्वेच्छा से जब भी चाहें जा सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में पठन-पाठन की व्यवस्था सामान्य हो जाय उनके बारे में राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया और राज्य सरकार ने भारत सरकार को इसके बारे में स्थिति सामान्य करने के लिये लिखा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री ख्वाजा हलीम--

मैं दो बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि 7 क्रिमिनल ऐक्ट में सब लड़कों को पकड़ा गया है अथवा कुछ लड़कों को ही पकड़ा गया है। यह जो वक्तव्य में कहा गया है कि वाइस चांसलर 24 तारीख को बाहर गये हुये थे और वहां पर ताला लगा हुआ था, यह सब झूठ है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वाइस चांसलर का कोई लिखित रिपोर्ट आपको है कि पुलिस को बुलवाइये ? किस स्थिति में वहां पुलिस बुलाई गई ह....

(व्यवधान)

यह अलीगढ़ युनिवर्सिटी के मुस्लिम लड़कों के लिये लगाई गई....

(व्यवधान)

यह मुख्य मन्त्री की शरारत है।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

यह केवल वक्तव्य के लिये था। आप कृपया शांत रहें।

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, स्थिति सामान्य करने के लिये वाइस चांसलर की संस्तुति पर राज्य सरकार ने 213 लड़कों में 200 लड़कों को छोड़ दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आज प्रदेश की जनता इस वक्तव्य को पढ़ने के साथ-साथ यह जानना चाहेगी कि वहां की पठन-पाठन की स्थिति सामान्य करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

पूरा प्रयास किया जा रहा है और यह उस प्रयास का प्रथम कदम है ।

श्री ख्वाजा हलीम--

मैं जानना चाहता हूं कि ये लड़के जमानत पर छोड़े गये हैं अथवा वैसे ही छोड़े गये हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[12 बजकर 47 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 7 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से प्रथम चार सूचनायें जो कि एक ही विषय से सम्बन्धित हैं और श्री मित्रसेन, श्री राम आसरे वर्मा, श्री मोहन सिंह, श्री हरिवंश सहाय एवं श्री नन्द किशोर सिंह ने दी हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित-कालीन हड़ताल से सभी विभागों का काम-काज ठप हो गया है, इसके लिये मैंने शासन को निदेश दिया है कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें । बाकी सूचनायें श्री धर्मवीर सिंह की जो कि जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम ताना तहसील कैराना के ग्राम प्रधान श्री बाबू राम द्वारा एम0 डी0 एम0, कैराना के विरुद्ध दारुलशफा के गेट पर 27 जनवरी, 1981 से भूख हड़ताल के फलस्वरूप उनके निरन्तर बिगड़ते हुये स्वास्थ्य के सम्बन्ध में है, एक सूचना श्री राम सागर, श्री कुबेर भंडारी, श्री गोपीनाथ वर्मा तथा श्री जमुना प्रसाद की है कि जनपद फैजाबाद के थाना जैदपुर के एक 15 वर्षीय श्री मेवालाल नामक युवक को पुलिस द्वारा उसके घर से 10 दिसम्बर, 1980 को पकड़कर थाने में पिटाई से उसकी मृत्यु तथा लाश गायब कर दिये जाने के सम्बन्ध में है तथा एक सूचना श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की प्रदेश शासन की विफल नीतियों के कारण सामान्य जन-जीवन में विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाओं के उत्पन्न होने के सम्बन्ध में है, ये सब सूचनायें अस्वीकृत हुईं ।

श्री मित्रसेन--

माननीय, एक मिनट सुन लें, बड़ा अहम मसला है सारे प्रदेश का सवाल है ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे ।)

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय, एक बात जानना चाहता हूं ।

श्री कुबेर भंडारी--

[× × ×]

(व्यवधान)

नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री रियासत हुसैन--

[× × ×]

श्री कुबेर भंडारी--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

यह कोई कार्यवाही में नहीं आयेगा ।

वित्तीय वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा पर माननीय कुंवर सिंह नेगी अपना भाषण जारी करें ।

श्री कुबेर भन्डारी--

हिन्दुस्तान स्वतन्त्र देश है ।

(व्यवधान)

मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री कुबेर भन्डारी तथा गोपी नाथ वर्मा सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं माननीय राम आसरे जी कोई व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । मेरे निर्णय के बाद कौन सा कार्य हो गया जो आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ? कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जो आपने वक्तव्य का निर्देश दिया है यह अहम मसला है । मैं कहना चाहता हूं कि आज एसेम्बली बन्द होने जा रही है । अगर आप निर्देश दे दें कि शाम तक बता दें क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें क्या व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मुख्य मंत्री से पूछने के बाद सदन को बता देंगे कि कब वक्तव्य होगा ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

1981-82 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

[12 बजकर 52 मिनट से]

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

माननीय, इस सरकार की कारगुजारी से आगामी वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रदेश का सारा कोष खाली हो जायेगा और उत्तर प्रदेश के वित्त मन्त्री बिना वित के वित्त मन्त्री बने रहेंगे। इन्होंने जो बजट का घाटा है उसको पूरा करने के लिए जो तरीका बताया है उसमें कहा है कि घाटे को मितव्ययिता से, प्रशासनिक व्यय में कमी करके, गैर योजना कामों में किफायत करके यह घाटा पूरा किया जायेगा। परन्तु स्थिति यह है कि बजट का अधिकांश हिस्सा अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन-भत्तों, जीप-गाड़ियों और टेलीफूनों पर खर्च हो रहा है। मिसाल के तौर पर इस बजट में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 16 करोड़ रुपये की धनराशि है, उसमें से 12 करोड़ रुपया वेतन मदों में खर्च होंगे। इतना ही नहीं इस समय मुख्य मंत्री जी ने एक नई बात कर दी है, एक नई परम्परा कायम कर दी है। अभी तक उप मंत्रियों को कभी भी कारें नहीं मिलती थीं, किन्तु वर्तमान सरकार ने लाखों रुपया खर्च करके उप मंत्रियों को भी कारें दे दी हैं। सरकार ने अपने बजट में कहा है कि वह अपने कर्मचारियों का भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर कर देगी।

एक सदस्य--

उप मंत्रियों की गाड़ियां जनता सरकार के जमाने में दी गई हैं, क्या इसकी उन्हें जानकारी है ?

श्री मोहन सिंह--

जनता सरकार के समय में तो उप मंत्री भी नहीं थे। आप पुराने सदस्य हैं, आपको जानना चाहिए।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

महंगाई भत्ता बढ़ता है तो बाजार में महंगाई तिगुने रेट से बढ़ जाती है। कर्मचारियों को तो आपने महंगाई भत्ता दे दिया है, लेकिन आपने सामान्य जनता के लिए क्या व्यवस्था की है, जिनको वेतन नहीं मिलता है। सरकार को चाहिए कि वह महंगाई पर कंट्रोल करे, ताकि महंगाई भत्ता बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े। अभी सरकार ने जोरों से ऐलान किया कि पर्वतीय भत्ता बढ़ेगा, लेकिन सीमान्त जिलों में जो सीमांत विशेष वेतन होता था...।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, हाउस में कोरम नहीं है, अभी एक बजा नहीं है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

आप देखें शासक दल के कितने विधायक हैं ?

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई।)

---

†दिनांक 5 फरवरी, 1981 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामआसरे वर्मा—

कोरम का ही प्रश्न नहीं है, शासन पक्ष की ओर से सुनने वाले लोग भी चाहिए ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, पर्वतीय जिलों के लिए पर्वतीय भत्ते में जो वृद्धि की है, उसके अनुसार सीमान्त क्षेत्र में जो वहां पर सीमान्त विशेष वेतन वहां की परिस्थितियों के अनुसार दिया जाता था, उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है । जो कर्मचारी दूरस्थ स्थानों पर सेवा कर रहे हैं, उनको तराई वाले क्षेत्र से कम वेतन मिल रहा है । यह असमानता है, इसको दूर किया जाना चाहिए और सीमान्त विशेष वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए । सरकार अपना जो घाटा पूरा कर सकती है बहुत्बकाये की वसूली से कर सकती है, परन्तु सरकार के अभिलेखों के अनुसार 30 सितम्बर, 80 तक जो 3 अरब 64 करोड़ रुपये का बकाया था, उसे हमारी सरकार वसूल करने में असमर्थ है ।

यहां प्रदेश के जो मंत्री हैं, हमारे इसी सदन में एक मंत्री के खिलाफ 16 लाख रु0 बकाया है जिसको वसूल नहीं किया जा रहा है । गरीब आदमी से, गरीब किसान से, जो छोटे-छोटे बकाये रहते हैं उसे सख्ती से वसूल कर लिया जाता है लेकिन इन धन्नासेठों से सख्ती से वसूली नहीं की जाती है और अक्सर यह होता है कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों से यह वसूली माफ कर दी जाती है । पिछला जो बजट था मान्यवर, उसमें भी कोई कर नहीं लगा था पर कोई कर न लगने के बावजूद महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई । इस साल भी वित्त मंत्री ने इशारा किया है कि वह कर लगा देंगे । होता यह है कि यह बीच-बीच में अध्यादेश जारी करके कर लगा देते हैं । प्रदेश की जनता यह सोचती है कि यह कर रहित बजट है परन्तु उनको यह कर रहित वर्ष नहीं मिल पायेगा । यह किसी भी तरीके से लोगों पर कर लगा देंगे ।

मान्यवर, आज हमारी अर्थ व्यवस्था को सबसे ज्यादा खतरा हो गया है और वह खतरा हो गया है काले धन से ये लोग विशेषधारक बान्डों से काले धन को सफेद करने की कोशिश करते हैं । इनकी सरकार ही काले धन से चल रही है और इस काले धन की वजह से ही सारी राजनीति दूषित और कलुषित हो गई है । मान्यवर, बेरोजगारी को दूर करने के लिए इनकी ओर से कुछ नहीं किया गया है । हमारे प्रदेश में 159.5 लाख लोग बेरोजगार हैं । इनमें कुशल एवं अकुशल कारीगर जो कि रोजी-रोटी के लिए इधर-उधर घूमते रहते हैं और जिनका कि इम्प्लायमेंट आफिस में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनकी गिनती नहीं है । इन बेकार और बेरोजगार लोगों में सबसे अधिक संख्या हमारे प्रदेश की है ।

मान्यवर, इस बजट में इन बेरोजगारों को रोजी देने का कोई प्राविधान नहीं है । यह खेती की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं । मान्यवर, गांव में भूमिहीन मजदूरों की संख्या हाल ही में 16 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई है । हल जोतने वाला आदमी आज भी भूमि का मालिक नहीं है और 10 हजार व्यक्ति ऐसे हैं जो कि सीलिंग के नियमों में आते हैं लेकिन तब भी सीलिंग से अधिक भूमि पर अपना कब्जा बनाये हुए हैं और यह सरकार किसानों के शुभचिन्तक होने का दुखड़ा रोती है । अभी किसान रैली होने जा रही है और

[श्री कुवंर सिंह नेगी---]

कमलापति जी इस रैली का नेतृत्व करेंगे जिनके पूरे वंश का खेती और हल से कोई सम्बन्ध ही नहीं हैं । जो हल पर हाथ लगाने को छूत मानते रहे हैं वे इस किसान रैली का नेतृत्व करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी---

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि यह बजट बिल्कुल दोषपूर्ण है, गलत है, भ्रमपूर्ण है और जनता को गुमराह करने वाला बजट है ।

*श्री धनीराम वर्मा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस वर्ष के आय-व्ययक पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है वह किसान और मजदूरों का घोर विरोधी है । इससे किसान और मजदूरों को किंचित मात्र भी, लेशमात्र भी फायदा होने वाला नहीं है । मान्यवर, इस बजट से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह सब पूरे का पूरा बजट बड़े-बड़े अधिकारियों और पूंजीपतियों की जेबों में जाने वाला है । मान्यवर, कहीं भी इन्होंने यह चर्चा नहीं की कि देहाती क्षेत्रों का हम विकास करेंगे । जब कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और इस बजट भाषण में दिया हुआ है कि प्रदेश को 50 प्रतिशत आय खेती से आती है ।

जब 50 प्रतिशत आय खेती से होने वाले उत्पादन से प्रदेश को मिलता है तो क्या यह मुनासिब नहीं था कि देहातों के लिए जहां पर खेतिहर मजदूर और किसान बसते हैं, उनकी तरक्की के लिए कम से कम 40 प्रतिशत बजट का पैसा उन पर व्यय करना चाहिए था । हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उससे यह नहीं लग रहा है कि यह जनहित का बजट है इसलिए कि सरकार ने सरकारी खजाने को खाली कर दिया है । वर्ष 1978-79 में जब पिछली सरकार थी तो 174.55 करोड़ रुपये की बचत की थी और खर्चा भी वर्ष 1979-80 और 1980-81 में ज्यादा किया था । वर्ष 1981-82 में 2,738.85 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था जब कि आय केवल 2,555.45 करोड़ की थी । तो पिछली सरकार ने व्यय भी अधिक किया और बचत भी अधिक ।

वर्ष 1979-80 में जब अभूतपूर्व सूखा आया था और वसूली भी स्थगित कर दी थी तो 67.65 करोड़ रुपया संचित निधि से निकाला गया था लेकिन इस वर्ष का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें जो वास्तविक घाटा है वह 207.53 करोड़ रुपये है जब कि केवल 94.86 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है । शासन ने इस बजट में भ्रमजाल में ही फसाने का प्रयास किया है । प्रस्तुत बजट में किसान को राहत देने की बात कहीं भी नहीं कही गयी है । जो व्यक्ति परिश्रम करके 50 प्रतिशत आय देता है और प्रदेश के सारे लोगों को खाने के अन्न पैदा करता है, उसके प्रयोग में आने वाली चीजों जैसे डीजल, खाद और बिजली है के दामो को कम करने की घोषणा इस बजट में कहीं नहीं की गयी है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यदि इन चीजों के दाम इसी प्रकार से बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से गरीब किसान, जो आज बिल्कुल नंगा और भूखा है, मृत्यु के कगार पर पहुंच जायेगा ।

जो सरकार अपने को बड़ी ही लोकप्रिय सरकार कहती है उसी के बारे में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष अर्थात् 1980-81 में इसने हमारे जिले में केवल 3 प्राइमरी और एक हाई स्कूल खोला है जब कि पिछली सरकार के समय में हमारे जिले में 50 प्राइमरी और 5-6 जूनियर हाई स्कूल खोले गये थे । वैसे यह सरकार कहती है कि इनके समय में शिक्षा का बड़ा प्रसार किया जा रहा है । यही नहीं हमारे जिले में जो 3 प्राइमरी स्कूल वर्ष 1980-81 में खुले उनमें से 2 हमारे कृषि मंत्री माननीय बलराम सिंह जी के क्षेत्र में खुले और 1 स्कूल को 6 निर्वाचन क्षेत्रो के लिए छोड़ दिया गया। इस जनपद में 8 ट्यूबवेल्स लगने थे। उनके बारे में एक मीटिंग बुलायी गयी और तय हुआ कि 4 ट्यूबवेल्स माननीय बलराम सिंह यादव के क्षेत्र में लगेंगे और शेष 4 सारे जिले में। मान्यवर, यह सरकार जो उपेक्षा की नीति अपना रही है यह जनहित में न होकर जन विरोधी है ।

जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है कहा गया कि नये थाने खोले जायेंगे। नयी रिपोर्टिंग पुलिस चौकियां खोली जायेंगी । जब शांति व्यवस्था का यह हाल है, प्रशासन का यह हाल है कि दिन दहाड़े बाजारों से डकैत पकड़ लेते हैं और लोगों को और रुपया लेकर छोड़ देते हैं । जब छूटा हुआ व्यक्ति आता है, वह कहता है कि पी० ए० सी० का कैम्प पड़ा हुआ है और वहां पर डकैत भी पड़े हुए हैं। मान्यवर, एस० पी० से कहा जाता है, तो वह सुनते नहीं हैं। जिला इटावा में डकैतों की बाढ़ आ गयी है। माननीय मुख्य मंत्री को और आई० जी० को लिखा कि एक-एक थाने के क्षेत्र में 28-28 डकैतियां प्रति दिन पड़ती हैं, उन डकैतियों को डकैती नहीं लिखी जाती है । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जो डकैती है, उसे डकैती ही लिखी जाय । इससे निश्चित रूप से डकैतियां कम होंगी और जब डकैती को चोरी लिखा जायगा, तो डकैत समझेगा कि हम स्वच्छंद हैं। चोर पकड़ा जायगा, तो वह कहेगा कि मुझसे क्या मतलब है, यह तो डकैती है । यह जो डकैती को चोरी लिखा जाता है या लिखा ही नहीं जाता है, इस सम्बन्ध में एस० पी० को निश्चित तौर पर निर्देश दिया जाय कि डकैती को डकैती लिखा जाय ।

हमारे जनपद इटावा में ही नहीं सारे प्रदेश में ग्रामीण विकास की योजना के अन्तर्गत घोषणा की गयी कि हम ग्रामीण विकास करेंगे । गांवों को सड़क से जोड़ेंगे । लेकिन असलियत यह है कि 20-21 किलोमीटर से अधिक किसी भी जिले में खड़ंजे की सड़क नहीं बनाई जा रही है । 1980-81 में और कहते हैं कि गांव को खुशहाल करेंगे । गांव को सड़क से जोड़ेंगे । मैं अपने जिले को समझता हूं कि ढाई किलोमीटर से अधिक कहीं पर भी खड़ंजा नहीं लगाया जा रहा है और कह रहे हैं कि हम गांव का विकास करेंगे । नई नहरें खोली नहीं, यदि आने जाने के साधन नहीं जुटाये गये, तो गांव का विकास नहीं हो सकता है, और यदि गांव का विकास नहीं हो सकता है, तो निश्चित तौर पर देश का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि देश की पचासी प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, जिसका शासन 30 साल तक प्रदेश में रहा, अंग्रेजी जमाने में 14 प्रतिशत लोग शिक्षित थे, ये करीब 21 प्रतिशत लोगों को शिक्षित कर पाये, जब कि दावा करते हैं कि हम शत प्रतिशत लोगों को शिक्षित करेंगे । हमारे जनपद इटावा में 28 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं और शेष लोग शिक्षित नहीं हैं और उस पर भी 30 स्कूल प्राइमरी के खोले जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री धनीराम वर्मा--

माध्यवर, मेरा निवेदन है कि प्रशासन को चुस्त किया जाय । इटावा जिले में डकैतियों को लिखा जाय और डकैती को डकैती लिखा जाय और बलराम सिंह यादव जो इटावा में आतंक पैदा किए हैं, ट्यूबवेल आदि लगवाये जाने के लिए कह रहे हैं, वह रोका जाय । इन शब्दों के साथ में, जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करता हूं ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं बड़ा बदनसीब हूं और दिन तो अम्मार साहब सुन लिया करते थे, आज इत्तफाक से वह भी चले गये । परन्तु जो कुछ सुनाना है, कुरील साहब से दरख्वास्त करूंगा, ये बुजुर्ग हैं, ये मेरी आवाज माननीय मुख्य मंत्री तक पहुंचा देंगे और माननीय मुख्य मंत्री भी यदि कृपा करेंगे तो वह भी अपने कमरे से सुन लेंगे । सारे हमारे भाई लोग इनस नियत का दावा करते हैं । मैं एक छोटे से शेर से अपना भाषण शुरू करना चाहता हूं । "है आदमी के लिए शर्ते आदमियत भी, हर एक शख्स को दुनिया में आदमी न कहो ।"

(इस समय 1 बज कर 15 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

इसलिये मैंने यह शेर सुनाया कि इंसानियत और आदमी की डेफिनीशन क्या है ? इस मामले में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है । मैं 3 तारीख को इत्तिफाक से यहां नहीं था जब कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने गवर्नर के भाषण पर जवाब दिया । मैंने पिछले भाषण में राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा की थी उसमें कुछ मुद्दों पर उनको जवाब देना था लेकिन निराशा हुई क्योंकि उन्होंने जिक्र करने तक की अहमियत नहीं समझी या जवाब देने में अपने को असमर्थ पाया । कल नियाज साहब ने पूरी स्पीच के बाद कहा कि मुरादाबाद के वाकयात में इश्तयाल की बात नहीं होना चाहिये । मैंने भी उस दिन यह मुद्दा उठाया था कि 13 अगस्त को वाक्या दुनिया के किसी भी प्रेस में यह नहीं कहा गया था कि वह फिरकापरस्ती का वाकया था लेकिन आज जो हालात मुरादाबाद में इन 5 महीनों में बना दिये गये वे 100 फीसदी फिरकापरस्ती से मुत्तासिर हैं ।

मैं अपने सहयोगी देहलवी जी की बात दोहराता हूं इन 5 महीनों में फिरकापरस्ती की बात हो गयी । कैसे हो गयी, किसने बना दी इस चीज को मालूम करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति की जाय । आज मुरादाबाद की हालत यह हो गयी है कि सिनेमा के दो शो हो रहे हैं । 6 बजे के बाद हिन्दू, मुसलमान अपने ऊपर करफ्यू इम्पोज करके अपने घर में बैठ जाते हैं । चार बजे के बाद मुरादाबाद में देहात का आदमी शहर से भाग जाता है और इस समय मुरादाबाद में 30 प्रतिशत बर्तनों का काम चल रहा है । साल भर में 70 करोड़ का एक्सपोर्ट मुरादाबाद में होता था लेकिन इस साल 13 अगस्त से पहले 8 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ यानी 62 करोड़ का नुकसान मुरादाबाद की बर्तन की इंडस्ट्री को हुआ ।

माननीय तिवारी जी तथा मुख्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सारे त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाये गये लेकिन मुरादाबाद में न तो 15 अगस्त मनाया

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया, न गांधी जयन्ती मनायी गयी, न बकरीद मनायी गयी, न जन्माष्टमी मनायी गयी' न मोहर्रम तथा चेहल्लुम मनाया गया, न बारावफात का जलूस निकला और न दीवाली मनाई गयी और श्रीमन् आने वाली होली भी फीकी होगी। यह वहां का नक्शा है। ये सारे हालात क्यों ह ? (व्यवधान) एक बात स्पष्ट रूप से मैं यह कह रहा हूं 9 सितम्बर को मुरादबाद मे यशपाल कपूर आपके नेता आये और 10 तारीख को रायट हो गया। 16 अक्तूबर को प्रधान मंत्री तशरीफ लाईं और मुख्य मंत्री भी एक दिन पहले गये और यह दबाव डालने के लिये वह तशरीफ लाई थीं कि बकरा ईद की नमाज उसी मैदान में हो जहां ईद के दिन गोली चलाई गयी थी। नतीजा यह हुआ कि जो हरे जख्म भर रहे थे उनको हरा कर दिया और 24 तारीख से फिर वारदातें होना शुरू हो गयीं। 24, 25, 26 और 28 को वारदात हुई। 29 को भी बारदात हुई और आदमी मारे गये। 30 को करफ्यू लगा दिया गया। डेढ़ महीने करफ्यू लगा रहा। इसके लिये इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाय कि इस फिरकापरस्ती को फैलाने की जिम्मेवारी किस पर आती है और उस पर नेशनल सेक्योरिटी का मुकदमा चलाया जाय। मैं फिर उस वक्त को दोहरा रहा हूं। बड़े उसके साथ कहा। मुरादाबाद के बाद आसाम पहुंच गये। आसाम के अनवरा तैमूर को ही बलिदान का बकरा बनाने के लिये ले आये कि वहां दुबारा प्रेसीडेंट रूल लगाना आसान न हो। लेकिन आसाम का मसला उतना आसान नहीं। पूरा हिन्दुस्तान खड़ा हो जायेगा। आसाम के साथ हिन्दुस्तान जुड़ा है। आसाम के साथ सख्ती करेंगे, तो पूरा हिन्दुस्तान खड़ा हो जायगा--चाहे उड़ीसा हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो। इसलिये आप इसको हल नहीं कर पाये। काफी शोर मचा। लेकिन हमको फिर वही शेर याद आता है--

हम आह भी भरते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम,
वे कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होती।

एक बात कह दिया तो उसको देखिये। सच्चाई है, उसको सुनिये और बर्दाश्त करिये। उसका हल निकालिये।

अब लीजिए, दूसरी चीज गन्ने के बारे में। बड़ा तीर मारा--गन्ने का दाम 45% बढ़ा दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय काशीनाथ मिश्रा जी से पूंछना चाहता हूं। बहुत पंडित हैं विद्वान हैं, और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। गन्ने की कीमत बढ़ी 45 प्रतिशत और शक्कर की कीमत 30 प्रतिशत क्यों बढ़ा दिया ? जिन रेशियो से 45 प्रतिशत कीमत जोड़ी है, उस वक्त शक्कर का भाव रु0 2·85 था। आज शक्कर का भाव लेवी शुगर और खुली शुगर का कलकुलेट करेंगे तो 5 रुपया/6 रुपयो के0 जी0 से कम नहीं बैठेगा। अगर 45 प्रतिशत से करते हैं तो 30 प्रतिशत शकर की बढ़ोत्तरी से कितना आयेगा ? हमसे ज्यादा आप जानते हैं कि किदवई और उसका फारमूला क्या था कि जबकि बाबू गेंदा सिंह सवा रुपये और डेढ़ रुपये के लिये लड़ा करते थे। मान्यवर, 1 और 16 का रेसियो था। उस वक्त जबकि शीरे की कोई कीमत नहीं थी। नदी में बहा दिया जाता था। खोई की कोई कीमत नहीं थी। 1 और 16 का फारमूला किदवई और सिस्वा के फारमूले के नाम से था। उस हिसाब से 23 रुपया देते हैं तो शकर की कीमत रु0 3·68 पसे आती है। अगर नहीं दिलवा सकते हैं और चीनी का भाव 5 रुपय हैं तो गन्ने का दाम 32 रुपये क्यों नहीं देते। लेकिन बहुत बड़ा तीर मार दिया कि 23 रुपये का भाव दिला दिया। लेकिन पहले उस फारमूले को देखिये।

श्री अकबर अहमद--

किदवई फारमूला 2 रुपया क्विन्टल का था, तो चीनी क्या हिसाब बिकने को थी ?

श्री रियासत हुसैन--

अकबर साहब, अभी आप उसको नहीं समझेंगे अभी आप बच्चे हैं।

अब आपने बजट में बहुत भारी मुद्दा दिया है बकाये की वसूली का। उसके अन्दर लिखा है कि 354.23 करोड़ रुपया बकाया पड़ा है। जिसकी वसूलयाबी करना है। परन्तु खेद है कि कितने परसेन्ट का सौदा हुआ है। आपने लिखा है कि कौनसा रुपया काबिले वसूल है और कौनसा ना-काबिले वसूल है। एक समिति बना दी जायेगी और वह फैसला करेगी कि 354 करोड़ में कौनसा काबिले वसूल है और कौनसा ना-काबिले वसूल है। तो 354 करोड़ में कितने परसेन्ट का सौदा हुआ कि छोड़ देंगे किस फैक्ट्री वालों को ? मान्यवर, केवल रबर सिथिटिक फैक्ट्री जो बरेली में है, 60 करोड़ का बकाया है सिन्थेटिक रबर फैक्ट्री, बरेली, जिसके ऊपर 60 करोड़ रुपया वाइंडिंग फीस कौर पर्चेज टैक्स का बकाया है और सन् 70 तक उसको इनसेन्टिव में माफ किया था। 70 से 79 तक 1.40 पैसे फी मीटर वाइंडिंग फीस और 40 पैसे फी मीटर पर्चेज टैक्स का मिलाकर 60 करोड़ रुपया बनता है जिसको नीचे के कोर्ट ने इन्वैलिड किया, हाई कोर्ट ने वैलिड किया और सुप्रीमकोर्ट ने भी वैलिड किया परन्तु अभी तक उसकी वसूलयाबी नहीं हो सकी है न मालूम उसमें कितना-कितना का बंटवारा आपका हुआ है और कितने परसेन्टेज आपको मिलेगा और कितने परसेन्टेज आप छोड़ेंगे।

अब आज को मैं बताऊं बिजली बोर्ड के 32 बड़े इंजीनियरों के खिलाफ विजिलेंस में तहकीकात मुकम्मल हो गयी है। 19 दिसम्बर को विजिलेन्स शोबे ने सियासी बिजली बोर्ड के उन 32 इंजीनियरों के खिलाफ अपनी तहकीकात मुकम्मल करके हुकूमत को जरूरी कार्यवाही के लिए भेज दी है। भूतपूर्व चेयरमैन की सिफारिश पर यह मामला विजिलेन्स को सुपुर्द कर दिया गया था 65 करोड़ के स्कैण्डिल के सिलसिले में। काबिले तारीफ तो यह है कि उन 32 इंजीनियरों में से ज्यादातर तरक्की पाकर आला ओहदों पर पहुंच गये और यह उस मियाद में हुआ जब उनके खिलाफ जांच हो रही थी। इसमें जो मुल्जिम गर्दाने गये उसमें एक इंजीनियर तरक्की पा कर बिजली बोर्ड के चेयरमैन भी मुकर्रर हो गये और रिटायर भी हो गये। मिस्टर बालिगा के जमाने में उस मामले की गूंज सियासी असेम्बली में भी हुई थी। सियासी हलकों में भी आवाज शुरु हो गई है ताकि हुकूमत पर असर डाला जा सके।

अब मान्यवर, हिन्डालको की बात कहता हूं। 26-4-80 को जी० ओ०, हिन्डालको की 45 मेगावाट में 50 प्रतिशत की कटौती, का जारी हुआ। जिसको हिन्डालको ने मानने से इंकार कर दिया फिर 27-5-80 को चेयरमैन ने मुकम्मल कटौती की वार्निंग दी। फिर 29-5-80 को गवर्नर रूल में ही, सिंह साहब के ही जमाने में एक जी० ओ० जारी किया गया कि 45 मेगावोट को रेगुलर कर दिया जाय और वह भी 26-4-80 की तारीख से। यह बात क्यों हुई ? दिनांक 30-6-80 को एक एग्रीमेन्ट हुआ जिससे पुराना समाप्त हो गया। 1976 के एग्रीमेन्ट के मुताबिक 80 मेगावट नार्मली और 60 मेगावट इमरजेंसी में, 11 पैसे पर यूनिट होगी। मगर हिन्डालको ने 45 मेगावाट बिना किसी इमरजेंसी के ही इस्तेमाल की केवल 9 से 11 पैसे फी यूनिट पर जबकि जनरेशन कास्ट आती है 17 से 19 पैसे फी यूनिट। इस तरह से हाल हो रहा है कि 20 करोड़ का

नुकसान हुआ । शिवराज सिंह कमेटी की रिकमन्डेशन के अनुसार 17 करोड़ रुपये सालाना की वसूलयाबी थी, जिसको पूरा नहीं किया गया । सुप्रीमकोर्ट ने भी पब्लिक इन्ट्रेस्ट में "टोटल कट" उचित ठहराया मगर बदकिस्मती की बात कि बनारसी दास जी ने 70 सेगावाट फिर दे दी और इस वक्त एग्रीमेन्ट की समाप्ति के बावजूद भी सुप्रीमकोर्ट के हुकुम के बावजूद हिन्डालको 65 सेगावाट ले रहा है, क्यों और किस रेट पर ? बिल जो बनता है, वह 13·50 पैसे फी यूनिट जमा होता है लेकिन 15 पैसे फी यूनिट क्यों जमा किया जाता है बोर्ड के हुकुम के मुताबिक हिन्डालको में "ट्वेन्टीमोटर" लगना चाहिये और उसके आधार पर बिलिंग होनी चाहिये, तो फिर आर्डिनरी मोटर के मुताबिक बिलिंग क्यों होती है, जिससे 9 लाख रुपये का हर महीने नुकसान होता है । यह जो सहुलियतें मिल रही हैं तो 1619·19 करोड़ के घाटे को आप रोक नहीं सकेंगे ।

अब मैं आता हूं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर । आन्ध्र प्रदेश के अन्दर 60,350 रु0 फी महीना हर मिनिस्टर के हिसाब से खर्च आता है । आपके यहां डिप्टी मिनिस्टर को भी वहीं सुविधायें स्वीकृत की गयी हैं । आपके यहां यह खर्च 60,000 रु0 से कम होना चाहिये ।

सब–रजिस्ट्रार का सेलेक्शन हुआ । रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 17–3–80 को, ट्रेनिंग कम्पलीट हुई 16–11–80 को । इस कैडर में आप 400–750 रु0 के वेतनमान में तनख्वाह दे रहे ह । जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली उनकी पोस्टिंग नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि वहां 70 क्लर्क आफीसियेटिंग सब–रजिस्ट्रार का काम कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक ले देकर । इसीलिये आप उनकी पोस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं । इसमें आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है ।

अब मैं उर्दू के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । श्री राम लाल जनरल सेक्रेटरी, आल इण्डिया गैर मुस्लिम उर्दू एडीटर्स कान्फ्रेन्स ने यह कहा कि–– "मुझे यह देखकर अफसोस हुआ कि बिहार एसेम्बली ने सन् 1979 के कांग्रेस मैनीफैस्टो पर दी गयी उस यकीन कहानी पर अमल दरामद करते हुए कि उर्दू को बाज रियायतों के बाज अजला में बगरज मुतब्यैबर मुकासिद के लिए दूसरी जुबान का दर्जा दिया जायगा । जो बिल मन्जूर किया है उस पर उर्दू दोस्त हद से ज्यादा खुश हो गये । हुकूमत उत्तर प्रदेश भी गालिबन उसी तर्ज पर सोच रही है । इसमें कोई शक नहीं कि आम इन्तखाबात में किये गये एक वायदे का यह ईफा जरूर ह, लेकिन उर्दू वालों ने उर्दू के सिलसिले में जो खुशआवर तवक्कयात कायम कर रखे थे वह यकीनन उससे पूरे नहीं होते । जो कुछ किया जा रहा है वह उर्दू को एक देरीना शिकायत को दूर करने के लिए एक कदम वह भी एक छोटा सा कदम तो कहा जा सकता है मगर हकीकत यह है कि कांग्रेसी मैनीफैस्टो में उर्दू को वह दर्जा नहीं दिया गया कि जिसकी वाकितन वह मुस्तहिक है ।" यह राम लाल साहब ने पूछा है कि आपके प्रदेश की पोजीशन क्या है ।

अब मान्यवर, पर कैपिटा इन्कम का प्रश्न लीजिये तीन साल की पर कैपिटा इन्कम । 1975–76 में पंजाब की पर कैपिटा इन्कम 1597 रु0 थी, जो कि अब बढ़कर 1,991 रु0 हो गयी । इस प्रकार, 394 रु0 बढ़े । पश्चिमी बंगाल में, जहां कि रिसोसज कम है, वहां की पर कैपिटा इन्कम 1977–78 में 1,083 रु0 थी, जो कि अब बढ़कर 1,303 रु0 हो गयी । इस प्रकार 220 रु0 बढ़े । आपके उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इन्कम 730 रु0 थी, जो कि अब बढ़कर 916 रु0 हुई कि, यानी सिर्फ 186 रु0 बढ़े । तो क्या आप पश्चिमी बंगाल से भी गिर गये । तो यह शर्म की बात है इस बात को आ

[श्री रियासत हुसेन]

देखें । दूसरी चीज में ला एंड आर्डर की एक बात कहना चाहता हूं । श्रीमन्, यह "कौमी आवाज" 28 अक्तूबर का है । इसमें एक खबर है । पिछले दिनों रात साढ़ 9 बजे एक नामालूम बूढ़ा शख्श सदर रेलवे लाइन से कटकर हलाक हो गया । जिसमें उसके दो हिस्से हो गये । वह लाश वहां शाम तक पड़ी रही । तमाशबीनों ने जब पुलिस वालों से कहा तो चूंकि लाइन के एक तरफ एक थाना है और दूसरी तरफ दूसरा थाना है तो जिस तरफ वह लाश पड़ी थी उस तरफ के थाने की पुलिस ने उसको दूसरी तरफ फेंक दिया और जब दूसरी तरफ के थाने वाले सुबह आये तो उन्होंने लाश को उठाकर फिर उसी तरफ डाल दिया । जब उस तरफ के लोग आये तो उन्होंने देखा कि मैंने तो यह लाश उधर डाल दी थी यह फिर इधर आ गयी तो उन्होंने उसको उठाकर लाइन के बीच में डाल दिया ताकि यह लाश जी० आर० पी० की हद में चली जाय। तो तीन दिन तक लाश सड़ती रही और फिर उसके मुलातकीम क्रिया-कर्म के लिये ले गये तो श्रीमन्, यह ला एंड आर्डर की स्थिति है । मैं दो तीन चीजों के बारे में और कहना चाहता हूं । मुजफ्फर नगर की जो घटना हुयी थी उसकी कमीशन की रिपोर्ट आ गयी है । राम नरेश यादव ने वह कमीशन एप्वाइंट किया था । उस कमीशन की रिपोर्ट है कि डी० एम० और एस० पी० दोषी हैं ।

पुलिस एन्ड डी० एम० अन्डर फायर

दि सिंगिल मेम्बर जूडिसियल इन्क्वायरी कमीशन सेट अप टू इन्क्वायर इन टू दि इन्सीडेन्ट आफ रिओटिंग एन्ड फायरिंग आन ए प्रोसेशन आफ जाटवाज् इन करवारी, 1979 इन मुजफर नगर हज् शार्पली क्रिटिसाइज्ड दि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एन्ड सुपिरन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस ।

दि कमीशन एज् आफ दि वीव वैट वि लाठीचार्ज एन्ड सबसीक्वेन्ट पुलिस फायरिंग इन बुलेट इन्जरीज् टू 14 परसन्स एन्ड इन्जरीज् टू 87 अदर वेयर नाट जस्टीफाइड । इट हैज् क्रिटिसाइज्ड दि रोल प्लेड बाई दि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एन्ड दि सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस ।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मैं खत्म कर रहा हूं, तो जो वहां गोली चली थी उसमें डी० एम० और एस० पी० जिम्मेदार हैं । श्रीमन्, बरेली में कचहेरी में पुरानी रंजिश के कारण 6 मर्डर हुये हैं । आज डाकू क्या कर रहे हैं उनको तो आपने छूट दे ही रखी है । उसमें आपको हिस्सा मिलता है चाहे पुलिस के जरिये से लेते हों और चाहे डाइरेक्टली लेते हों । थानों के अन्दर औरतों के साथ रेप हो रहे हैं उसका जिक्र करना सदन में शोभा नहीं देता है । अखबार आप भी पढ़ते होंगे, आपकी इंटलीजेंस के जरिये भी खबर आती होगी । तो यह है आपके ला एंड आर्डर की हालत । आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बड़े अफसोस की बात है, प्रेसीडेन्ट ने कहा है, अंग्रेजी में है मैं पढ़े दे रहा हूं ।

प्रेसीडेन्ट रेड्डी इज सिक आफ पोलिटिक्स

रेग्रेटिंग दैट इन टूटेज् पालिटिक्स एम्बीशन एन्ड परसनल इंटरेस्ट टुक प्रेसीडेन्ट ओवर डेडीकेशन एन्ड ओल्ड वैल्यूज् । दि प्रेसीडेन्ट आलसो हैड ए डिग एट पालीटिशियन्स । ही सेड ही वाज् सारी टू से दैट टूडे देयर इज् नो क्वालिटी इन्टेग्रिटी आफ करेक्टर इन पालिटिक्स एन्ड एडेड दैट पालिटिक्सहैड विकम मिजनेस थ्रो हिवच इवरी वन वान्टेड टू विकम रिच ।

सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वह मालदार बनने के लिए वह तरीके इस्तेमाल करते हैं जिसका हवाला प्रेसीडेन्ट साहब ने दिया है । इस देश और प्रदेश को हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई सबकी जरूरत है । मुसलमानों की जरूरत नहीं है लिहाजा उन पर गोली चला दो, सिक्खों की जरूरत नहीं है लिहाजा उन पर गोली चला दो, ईसाईयों की जरूरत नहीं है लिहाजा उन पर गोली चला दो, यहां हिन्दू की भी जरूरत है और मुसलमान की जरूरत है, सबकी जरूरत है । आखिर में दो शेर कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा ।

हर गाम पे जमाने को रही मेरी जरूरत,
जो मिट न सका कभी वह नक्शे वफा हूं ।
ऐ खुदा करम है मांगे भी क्या तुझसे,
पैरों तले जमीं है, सर पे नीला आसमां है ।

बीच में आपसे कुछ मांगना, इस बात से ज्यादा बेहूदा और कोई बात नहीं होगी ।

(मेजों की थपथपाहट ।)

मैं फिर कहता हूं कि एक कमीशन एप्वाइंट किया जाय तो मालूम होगा कि 13 अगस्त के बाद 5 महीनों में मुरादाबाद के वाकयात कम्युनल कैसे हो गये । क्यों हो गया, किसने किये और किस तरह हो गया और जो कमीशन की फाइन्डिंग्स हों उसमें मुख्य मंत्री जी या यशपाल जी या इंदिरा गांधी जिम्मेदार हों तो उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिये या रियासत हुसेन जिम्मेदार हों तो उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष––

रियासत हुसेन जी, आपके मुंह से जो बेहूदा शब्द निकला है वह काफी खूबसूरत नहीं मालूम होता है ।

श्री रियासत हुसैन––

इस बेहूदा शब्द को हटाकर अनुचित कर दिया जाय ।

श्री अम्मार रिजवी––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रियासत हुसैन की शायरी के जवाब में केवल एक शेर कहना चाहता हूं :

इतना न बढ़ा पाकीए दामां की हिकायत,
दामन को जरा देख जरा बन्दे कबा देख।

*श्री लाल प्रताप सिंह––

उपाध्यक्ष महोदय, रियासत भाई द्वारा प्रस्तुत विचार को मैंने ध्यानपूर्वक सुना और इसके पहले माननीय विरोधी दल के नेता ने जो तर्क प्रस्तुत किये उनको भी मैंने ध्यान और प्रेमपूर्वक सुना । नेता विरोध दल का भाषण तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है । पहले तो उन्होंने कुछ अपने अनुभव की बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लाल प्रताप सिंह--]

बताया है और वह उचित ही थी । अनुभव के माध्यम से माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत मूल्यवान सुझाव दिये । दूसरी बात उन्होंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये और तीसरी बात उन्होंने केवल प्रचार की बात कही जिसमें कोई तथ्य नहीं थे और यह जाहिर करने की कोशिश किया कि जनता पार्टी की सरकार, लोकदल की सरकार आर्थिक दृष्टि में और उस क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्रों में तो बहुत सफल रही । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार के प्रशासन में, लोकदल के प्रशासन में जो कुप्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, यानि हमको ही नहीं बल्कि आने वाली जेनेरेशन और आने वाली सदियों में उसका कुप्रभाव बना रहेगा । जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में 1977 मार्च में आयी और शासन में आते ही एक बात कही गांधी वर्सेस नेहरू की और एक विवाद पैदा कर दिया जिसकी जरूरत नहीं थी । इरेलेवेन्ट, अनकालड फार और अनसीमली बातों की जरूरत नहीं थी लेकिन उन्होंने यह विवाद पैदा कर दिया जिसका नतीजा हुआ कि शायद वह भूल गये कि जो कांग्रेस की आर्थिक नीति थी वह 1929 में करांची रिजोल्यूशन में निर्धारित की गयी थी, गांधी जी ने उसको मूव किया था और गाँधी प्रान्त नाम से वह मशहूर हुआ था । गांधी और नेहरू में विचारों और आर्थिक विचारों में कोई मतभेद नहीं था और गांधी इकोनामिक प्लानिंग कही ही जाती थी । गांधी और नेहरू ने जो रास्ता अख्तियार किया था वह बीच का रास्ता था । कहने का मतलब न तो हम उस कम्युनिस्ट को अख्तियार करते हैं जिसमें मानव जीरो हो जाता है न मिस्टर लेसेज फेयरे सिस्टम की थ्योरी ही जिसमें सभी चीज व्यक्ति पर छोड़ दी जाती है । बल्कि बीच का रास्ता अख्तियार करते हैं । यही हमारा रास्ता और नीति थी जिस पर चलकर भारतवर्ष ने बहुत तरक्की किया है । लेकिन जनता पार्टी के शासन में उन नीतियों को बिलकुल मिटा देने की कोशिश की गयी जिसको नेहरू जी ने प्रतिपादित किया था । क्या किया ? रूरल प्लानिंग को, कितनी हास्यास्पद बात है रूरल प्लानिंग । चौधरी चरण सिंह ने जो बजट प्रस्तुत किया उसका कुप्रभाव जैसा कि मैंने निवेदन किया कई सदियों तक रहेगा ।

(व्यवधान)

शान्ति से सुनिये । मैं तो खुद ही पुरानी बात नहीं उठाना चाहता क्योंकि मुझे याद आता है कि किसी ने अंग्रेजी में एक कहावत कही है कि

"इफ वी एन्टर इन्टू क्वारल अबाउट दि पास्ट, वी आर बाउन्ड टु लूज फ्यूचर"

लेकिन मुझे मजबूरन उठाना पड़ा कई कारणों से ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय, आप अपने अंग्रेजी के भाषण का कृपया तर्जुमा भी कर दें ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

इसका मतलब यह है कि यदि हम पुरानी बातों को ही ले कर लड़ते गड़ते रहेंगे तो इसका प्रभाव भविष्य पर पड़ेगा, जो जनरेशन नई आने वाली है, न बातों का असर उन पर भी पड़ेगा । तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या नीतियां थीं "इन दि हार्ट आफ पास्ट" । जनता पार्टी की सरकार के पास कोई नीतियां नहीं थीं, उसकी नीतियां उधार ली हुई नीतियां थीं। चौधरी चरण सिंह की नीतियां उधार ली हुई नीतियां हैं । वह किसानों की बात

करते है, कौन से किसान की बात करते हैं ? 1922 में जिन्होंने स्वयं उनका विरोध किया था, उन्होंने स्वय सीलिंग का विरोध किया था । आप बतायें कि कौन सा किसान आपके नुक्तेनजर में आता है ? वह कौन सा किसान था, जिनकी दोस्ती करनी पड़ती है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह प्रापर्टी वाले आदमी हैं, उनकी खुद की कोई नीति नहीं है । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि किसान, मजदूर, गरीब सभी आरगेनिकली जुड़े हुए हैं । जो किसान है, जो छोटा किसान है, मजदूर किसान है, जिनके पास जमीन नहीं है बेकार हैं, गरीब हैं ।

मैं बड़ी गम्भीरता से निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपने खुद उनकी मजबूरी की बात की, उत्थान की बात की । आपने उनको नहीं देखा जो हजारों-हजारों साल से सेल्वरी की जिन्दगी बिता रहे हैं । आपने खुद उनकी बात की परन्तु उनके उत्थान की, उनकी प्रगति की, उनको आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं की । कोई नीति तो थी नहीं, कोई बात तो थी नहीं ताकि आप कहते कि किसानों का इस सुझाव को अमल में लाने से उत्थान हो सकेगा ।

श्री कुबेर भन्डारी—

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं । आप चौधरी चरण सिंह की बात बार-बार कह रहे हैं, मैं उसका विरोध करता हूं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह क्या कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूं ।

श्री कुबेर भन्डारी—

श्रीमन्, आपने कहा कि चौधरी चरण सिंह हरिजनों के और छोटे किसानों के विरोधी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस में जो यह कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के बाद से वह क्या....

(व्यवधान)

श्री उपाध्याक्ष—

इस में व्यवस्था की बात कहां से आ गई ?

श्री खान गुफरान जाहिदी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि जब ऐसी अव्यवस्था आ जाय तो इसके कारण से समय की जो कटौती होती है उतना समय बोलने वाले सदस्य को और मिलना चाहिये ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, तो मैं निवेदन कर रहा था कि कौन से किसान आपकी निगाह में आते हैं ? जिनके बड़े-बड़े खेत हैं, फार्म हैं और जो किसानों से मजदूरी कराते हैं या जिनके पास भूमि ही नहीं है और यदि है तो थोड़ी सी, ऐसे किसान, छोटे किसान आपकी निगाह में आते हैं ? मेरा कहना है कि इनमें आपको समन्वय

[श्री लाल प्रताप सिंह--]

करना होगा, बैलेन्स करना होगा । मेरा कहने का मतलब यह है कि किसान सबसे ज्यादा आपका हित रखने वाला है, वही आपके काम आता है । हम लोग भी उसी तबके से आते हैं । वह तो बुर्जुवा लोगों की बात कहते हैं । उन की कोई नीति नहीं थी । इस का नतीजा क्या हुआ आप देख रहे हैं ? जो परिवर्तन जनता पार्टी और लोकदल ने किया है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता । मुझे एक शेर किसी ने कहा था याद आता है "नहीं हाल दिल्ली का सुनाने के काबिल यह किस्सा तो रोने रुलाने का था"। यह हालत जनता पार्टी ने की, यह हालत लोकदल ने की । एक बात और कहना चाहता हूं । चौधरी चरण सिंह और श्री मोरार जी देसाई सिम्बल बनना चाहते थे । गांधी जी की मृत्यु के बाद सिम्बल नेहरु जी हो गये ।

(व्यवधान) शांति, शांति....

एक सदस्य--

माननीय, बजट पर बहस हो रही है या मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह पर....

श्री उपाध्यक्ष--

यह देखना मेरा काम है ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मुल्क का दौलत सिम्बल ही होता है और अगर आप सिम्बल से टकरायेंगे तो क्या नतीजा होता है । वही नतीजा जो आप का सन् 1980 में हुआ । पंडित नेहरु के सिम्बल से टकराये, इंदिरा गांधी जी से टकराये, सारी चीजें बदलने में लग गये, जो कुछ भी उन्होंने किया था वह आप बदलने लग गये । इतनी नफरत नेहरू जी के प्रति भर गयी । नफरत की भावना से कोई कामयाबी नहीं मिल सकती । नफरत की भावना पैदा की, एन्टी नेहरू, एन्टी इन्दिरा जैसी बात कही, मुझे दुःख है कि इस तरह की बाते मैंने कभी नहीं सुनी । नतीजा क्या हुआ ? सिम्बल से टकराये । सारी नीतियां बदली गयीं । एक कन्टीनियुटी है जीवन की । कोई रिवोल्यूशनरी सरकार भी आ जाय नीतियां नहीं बदल सकती हैं । ये राष्ट्रीय नीतियां थीं जिन पर आप ने प्रहार किया ।

ये वही नीतियां थीं जिन के बल पर मुल्क ने तीन लड़ाईयां लड़ी, ये वही नीतियां थीं जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल नेचुरल कैलेमिटीज को झेला, ये ही नीतियां इकानामिक पोजीशन को सस्टेन करती रहीं । इन्हीं नीतियों का नतीजा था कि हम ने उपग्रह छोड़ा, इन्हीं नीतियों का नतीजा थी कि हम ने 48 किलोमीटर का सैटि-लाइट आरबिट में छोड़ दिया था जिस को आप रेख रहे हैं । यही नहीं मिस्टर कार्टर ने भी कहा इन साउथ ईस्ट एशिया इंडिया इज दि मोस्ट पावरफुल कन्ट्री। यह इन्हीं नीतियों का नतीजा है । इन्हीं से मुल्क एक हो रहा है और यूनिटी सब बरकरार है । आप के वक्त में मालूम होता था कि मुल्क बिल्कुल अव्यवस्थित हो जायगा । आप के जमाने में यह उम्मीद भी नहीं रह गई थी कि मुल्क क्या सस्टेन करेगा ?

(लाल बत्ती जलते पर)

एक मिनट और लूंगा । आप ने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया, उस का क्या नतीजा हुआ ? चारों तरफ इनक्वायरी बैठानी शुरू की गई । जो सरकार उस वक्त थी उस के हर एक ऐक्ट को आप ने क्रिमिनल कहना शुरू किया । कोई भी दूसरी सरकार आये वह अपने से पहली सरकार के किसी काम को क्रिमिनल

नहीं कह सकती । दुनिया की डिमोक्रेसी में ऐसा कभी नहीं देखा गया । हर काम को आप ने क्रिमिनल बताना शुरू कर दिया । नतीजा क्या हुआ, आप ने देखा । मजदूर वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, कोई भी हो, पब्लिक हो, चारों तरफ एक सिनिज्म, पागलपन की भावना पैदा हो गई । अराजकता की भावना पैदा हो गई । आप का एडमिनिस्ट्रेशन तो कुछ था नहीं बल्कि झगड़ा करने का था । उस की कोई जरूरत नहीं थी ।

अंत में मैं आप का एक मिनट और लूंगा । बजट के सम्बन्ध में किसी ने कहा है "वर्ष में एक योजना बनानी हो तो फसल बोईये । 10 वर्ष की योजना है तो पेड़ लगाइये और 100 वर्ष की योजना है तो आदमी पैदा कीजिये" ।

*श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस सामान्य बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैंने वित्त मंत्री जी का भाषण सुना और मुझे ऐसा लगा कि सच्चाई से उस भाषण से कोसों दूर नहीं बल्कि जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता चौधरी चरण सिंह जी के बारे में कह रहे थे कि उनकी नीतियों का प्रभाव सदियों तक रहेगा तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो बजट प्रस्तुत किया है और जो वित्त मंत्री ने भाषण दिया है उससे हमारा यह प्रदेश कई हजार करोड़ वर्ष पीछे चला जायेगा । यह बजट उसी तरह की नीतियों से ओत-प्रोत है । इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है । इसके अन्दर जनता को और सदन को गुमराह करन की चेष्टा की गई है । इसमें कहा गया है कि यह कर-रहित बजट है लेकिन मान्यवर, अगर आप बजट पर रोशनी डालेंगे तो देखेंगे कि भू-राजस्व से लेकर इसमें जितनी भी मदें हैं उसमें केवल उसकी मात्रायें बढ़ाई गई हैं । यह बजट जनता पर जबरदस्त बोझा डालेगा ।

यही आपने पिछले साल कहा था और आपने देखा कि पेट्रोल के और खाद के दाम कितने बढ़ गये । केवल इनके ही दाम बढ़ने से देश की जनता पर 27 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ गया । इसके अतिरिक्त आपने पेट्रोलियम के सामान पर, मिट्टी के तेल पर और बिजली पर कर बढ़ाया और जो भी सम्भव हुआ यहां तक कि बस का भी किराया बढ़ाया । इस तरह से लगभग आपने 100 करोड़ रुपया बढ़ाया है जिससे कि प्रदेश की जनता मछली की तरह से तड़फ रही है और आप कहते हैं कि हमने भावों को कन्ट्रोल किया है । इसलिये मैं इस बजट का विरोध करने के लिये और माननीय नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिये हैं उनके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं और उसके साथ ही कुछ 2/4 चीजें रखना चाहता हूं । मिसाल के तौर पर आपने जो चीजें यहां बताई हैं उसमें यह दिखलाया है कि मजदूर फ्रंट पर बड़ी शांति है और पिछले साल की तुलना में इस साल मजदूर आन्दोलन नहीं हो रहे हैं, हड़ताल नहीं हो रही है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस बात की तस्वीर बाहर निकाल कर देखिये । आप रामपुर की रजा टेक्सटाइल मिल में जाकर देख लीजिये कि वहां पर कितने दिनों से हड़ताल चल रही है और आपकी सरकार ने वहां के मजदूरों के साथ कोई समझौता कराया है । मैं कहता हूं कि आपके मंत्रियों ने वहां जाकर उनके साथ रजामन्दी करने की हिम्मत नहीं है । इसके अतिरिक्त बदायूं के अन्दर चीनी मिल, बुलन्दशहर के अन्दर इलेक्ट्रानिक्स, रामपुर की मिल, कानपुर में जे० के०

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[खैरुल बशर—

रियान मिल में कितने दिनों से हड़ताल चल रही है । आप बाहर गेट पर जाकर देखिये कि सरकारी कर्मचारियों से लेकर जनता का हर आदमी आंदोलित है, आपकी नीतियों से त्रस्त है और आंदोलित होकर आपके सामने आ रहा है । आज प्रदेश की हालत खराब है अगर कोई रोटी मांगता है तो उसे सरकार की तरफ से गोली मिलती है, किसान अपनी फसल का दाम मांगता है तो उसे गोली, विद्यार्थी पढ़ाई की मांग करता है तो उसे गोली, वकील मांग करते हैं तो गोली, प्रदेश में एक के बाद एक पर हमला आपका हो रहा है इससे आज अशांति का वातावरण है । लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं देता, हर चीज आपको ठीक-ठीक दिखाई देती है । मैं कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है अगर इन्हें न संभाला गया तो और भी खराब हो जायेंगी । (लाल बत्ती जलने पर) मुझे दो मिनट और दे दीजिये । मैं कहना चाहता हूं कि आपका बजट किसान विरोधी है जैसा कि रियासत साहब ने कहा. . .

श्री उपाध्यक्ष—

आपका न कहिये, सरकार का ।

श्री खैरुल बशर—

सरकार का बजट किसान विरोधी है । चीनी के दाम के अनुपात में गन्ने के दाम नहीं बढ़ाये गये । आपकी योजना की जहां तक बात है मैं कहना चाहता हूं कि 15 परसेंट योजना में वृद्धि की गयी है लेकिन मंहगाई 30 फीसदी बढ़ गयी है तो इससे योजना पीछे जायेगी या आगे बढ़ेगी ?

आपने बुनकरों को सूत देने की बात कही है और कहा है कि 10 और मिल खोलेंगे 10 क्या 10 हजार खोल दें जब तक सूत की गारंटी नहीं देंगे बुनकर का फायदा नहीं होगा । इससे तो बड़े-बड़े पूंजीपतियों के खजानों में वृद्धि होगी ।

श्रीमन्, मैं एक दो बातें अपने क्षेत्र की कह दूं । जब कानपुर के दो जिले बन गये, गाजियाबाद जिला बन गया तो आजमगढ़ का मऊ क्यों नहीं जिला बन सकता है जहां पर आजमगढ़ को 60 फीसदी रेवेन्यू आती है । लेकिन वहां पर एक ट्रेजरी तक नहीं है । अगर हमें 10 पैसा भी जमा करना है तो 46 कि० मी० दूर आजमगढ़ जाना पड़ेगा ।

मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर है । वहां की डेढ़ लाख की आबादी है उसके लिए अस्पताल की हमने मांग की थी । मंत्री जी ने पिछले साल आश्वासन दिया था कि वहां पर बिल्डिंग बन रही है उसके बनने पर हो जायेगा । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सदन को गलत इनफारमेशन दी गयी है वहां कोई बिल्डिंग नहीं बनी ।

श्री उदल—

मंत्री जी शंकित करने वाले हैं ।

श्री खैरुल बशर—

मंत्री जी मऊ को जिला बनाने की बात आप जरूर करें । आपके सप्लाई आफिसों में जुल्म हो रहे हैं उनको दुरुस्त करें । मुझे आफसोस है कि आपके अधिकारी हम लोगों की बात को ध्यान नहीं देते है । अन्त में कहना चाहता हूं

कि अगर इस तरीके से समस्याओं का समाधान करेंगे तो प्रदेश के अन्दर जन–आंदोलन भड़केगा, हमारे यहां ट्रेजरी बननी चाहिये । आखिर म मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह चलेंगे तो आपकी कुर्सियों को फेंक दिया जायेगा और प्रदेश में एक नयी जनतांत्रिक व्यवस्था लागू होगी जिसको आप रोक नहीं सकते । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं ।

श्री कुबेर भंडारी––

माननीय, कोरम नहीं है क्या बिना कोरम के चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष––

कोरम है ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी––

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत....

श्री उपाध्यक्ष––

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने आपको इजाजत दी और बोलने के लिए बुलाया भी, लेकिन आप खड़े नहीं हुए थे और ऐसा नहीं करना चाहिए था ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी––

जब आपने पुकारा तब ही यह सेवक खड़ा हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष––

नियम यह है कि जो सदस्य खड़े हों तो उनमें से बुलाया जाए, लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने आपको बुला लिया, आप बैठे हुए थे....

श्री ऊदल––

श्रीमन्, यह आपकी तरफ से गलती हो गई ।

*श्री श्यामलाल बाजपेयी––

जो कुछ भी है, आपकी कृपा समझ कर मैं स्वीकार कर रहा हूं । आपने बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं । मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो वर्तमान सरकार का बजट सदन में प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं मुक्त कंठ से उनकी सराहना करता हूं । इतना अच्छा और आदर्श बजट वास्तव में राजनीति के विद्यार्थियों के लिए एक अध्ययन का विषय होगा कि बिना करों का बोझ जनता पर लादे हुए, बिना किसी तिलमिलाहट के इतना जनकल्याणकारी बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है । यदि आज वह कोई नया कर लगाते तो यह कितना चिनचिनाते यह समझने की बात है, जब वह बिना कोई कर लगाये ही इतना चिनचिना रहे हैं । यह मान्यवर, आप, पूरा सदन और देश जानता है कि पिछले तीन वर्षों में देश की अर्थ व्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी थी और अर्थ व्यवस्था को बिगाड़ने में इन हमारे भूतपूर्व सत्ताधारियों का हाथ रहा है । उसको देखते हुए माननीय विश्वनाथ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्याम लाल बाजपेयी---]

प्रताप सिंह जी ने यह उचित नहीं समझा कि जनता पर कोई कर लगाया जाय। हमारे नेता विरोधी दल ने सामान्य चर्चा पर जो अपना पहला भाषण दिया है, उसको मैंने बहुत इतमिनान से सुना है। कुछ भी हो माननीय विरोधी दल के नेता के बारे में मेरे हृदय में बहुत सम्मान है। जब वह कहते हैं तो बहुत अध्ययन करके कोई बात कहते हैं। उनको प्रशासन का अनुभव है, वह कर्मठ और बुद्धिजीवी समाज के प्रतीक हैं। मैं आपके माध्यम से विरोधी बल के नेता और विरोध पक्ष के सदस्यों से एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरे भी दिल में एक छटपटाहट है जब विद्यार्थी था तब से और जब आज विधायक हूं इस समय भी है, इस सरकार की आलोचना आपको करनी है।

एक परम्परा के तहद आप विरोध करते हैं और हम सत्ता पक्ष से उसका समर्थन करते हैं, लेकिन इसके मूल में कौन है ? उसकी ओर न आप जाते हैं न हम जाते हैं। यह स्पष्ट है कि यह बजट आदर्श है, उसके लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह बधाई के पात्र हैं, लेकिन इस बजट को लागू करने वाले बिलकुल निकम्मे हैं। इस बजट का संचालन करने वाले लोग नक्कारे हैं। इस सम्बन्ध में मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि कम से कम समय में यह बजट गाँवों तक पहुंच जाए, ताकि इसकी सार्थकता सिद्ध हो सके।

यह तो सत्य है कि हमने कर नहीं लगाया क्योंकि कर का बोझ सहने की क्षमता नहीं थी जनता में। उसकी जितनी भी सराहना की जाय, कम है। सच तो माननीय यह है और हमारा भी यही कर्त्तव्य है कि, सत्ता में जब आप थे हमारे विरोध पक्ष के लोग, तो जो अफसरों की सूची आ जाती थी, जो लिखकर आ जाता था उन्हीं की सुरक्षा करना इनका नैतिक कर्तव्य था। इस तरह आज भी उनका लिखा हुआ किया जाय। यह समझ लिया जाय कि यह कुरान की आयत है, यह वेद के वाक्य हैं। इसके बारे में हमें कुछ नहीं सोचना है केवल करते जाना है तो कहाँ की सरकार और कहाँ का मैं, जब मेरा अपना कुछ विवेक ही नहीं है। हम इनके गुलाम हैं। हमारा प्रजातंत्र 33 वर्षों से अंगड़ाई ले रहा है और जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। माननीय, घोड़ा भी सही है, सवार भी सही है, सड़क भी सही है लेकिन तमाशबीन गलत हैं।

माननीय, हमारे विरोधी दल के सदस्यों ने कानून और व्यवस्था की बात कही, मंहगाई की बात कही तो मंहगाई तो बढ़ ही रही है। न आपके कहने से मंहगाई रुक जायेगी और न मेरे कहने से, क्योंकि प्रजातंत्र के बाप हमारे अफसर बैठे हैं, जब तक वह रहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। माननीय, मैं अपने नेता विरोधी दल के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है और अन्य सम्मानित सदस्यों का भी मैं आदर करता हूं और जो नैतिकता है उसका तो मैं निर्वाह कर ही रहा हूं परन्तु जहां तक कहना है और जो मेरा हक है उससे अपने को वंचित क्यों रखूं। जो कानून और व्यवस्था का प्रश्न सम्मानित सदस्यों ने उठाया तो जब आपकी सरकार थी तब भी वही मंजीरे और बादन बजते रहे और आज भी वही बजते हैं तो क्या बात है ?

तो माननीय, यह कुछ व्यावहारिक बातें हैं जिनके कारण हमें पग-पग पर कठिनाई उठानी पड़ रही है। बार-बार धर्म निरपेक्षता की बात कही जाती है। कैसा हिन्दू, कैसा मुसलमान, कैसा सिख और कैसा ईसाई। यह सही है कि मुरादाबाद में जो घटनायें घटीं उससे लज्जा से मस्तिष्क झुक जाता है लेकिन

उसके लिए सरकार प्रयत्नशील रही और हमारी सरकार ने कुछ कारगर कदम भी उठाये । आज हम यहां हैं, कल आप यहां रहेंगे, यह तो चलता ही रहता है ।

मान्यवर, जरा समय दो-चार मिनट और बढ़ा दीजिये, यह मेरी प्रार्थना है और आप बड़े उदार हैं, बचपन से उदार रहे हैं मेरे प्रति मान्यवर, अभी मैं श्री रियासत हुसैन को सुन रहा था। समाज सेवी हैं और जब से मैं विद्यार्थी था तब से उन्हें जानता हूं । सहयोगी के रूप म भी वे सदन में बैठते हैं । लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज तक उन्होंने समाज के लिए क्या किया है ? मंत्री जी ने जो सदन में आंकड़े दिए, उनकी काट तो उन्हें करनी ही है लेकिन इससे जनता का कोई लाभ होने वाला नहीं है । माननीय देहलवी जी ने कहा कि इससे कानपुर को कोई लाभ नहीं होने वाला है लेकिन मैं तो कहता हूं कि इससे कानपुर क्या, बाराबंकी, उन्नाव आदि में सभी लोग प्रभावित हुए हैं । श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं शासन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बड़े ही पिछड़े क्षेत्र, जो कि जिला बाराबंकी में हैदरगढ़ है, जहां से मैं आता हूं जिसमें बहुत सी जगहें ऐसी हैं कि जहां पर आज भी आजादी की किरण नहीं पहुंच पायी है । मैं वहां का तीसरा कांग्रेसी हूं, पहले मिश्र जी थे, फिर बीच में बेगम हामिदा हबीबुल्ला और फिर मैं जीतकर आया हूं ।

यद्यपि यह क्षेत्र मेरे यहां से 55 किलोमीटर है । लोग 500 या 2,000 वोटों से जीत कर आते हैं लेकिन सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं वहां से 12,500 वोटों से जीत कर आया हूं मुझे वहां पर जनता के लोगों से प्यार मिला । मान्यवर, शासन का ध्यान मैंने कई बार आकर्षित किया और पुनः आपके माध्यम से कह रहा हूं कि हैदरगढ़ में एक राजकीय डिग्री कालेज, एक पौलिटेक्नीक खोला जाय ताकि वहां के बच्चों को शिक्षा अर्जित करने का अवसर मिल सके । वसे तो ट्यूबवेल्स, सड़कों और नहरों के निर्माण के सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी व प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया और उनको पत्र भी लिखे और अब पुनः मान्यवर, आपके माध्यम से शासन से कहता हूं कि वे कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें ताकि वहां के निवासी समझें कि आजादी का लाभ उन्हें भी मिला है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने विरोध पक्ष के साथियों से भी निवेदन करता हूं कि वे बिना सात्विक व्यायाम करने के हमारी सरकार का विरोध करते हैं, उससे कोई भला होने वाला नहीं है ।

मेरी उनसे प्रार्थना है कि हम लोग एक साथ बैठें और इसका कोई हल निकालें ताकि अफसरों की गोद से हम पैसा खींच लायें । तब जनता को कुछ राहत मिल सकेगी वरना आप देखें कि पूरे बजट का कितना प्रतिशत उनके रख-रखाव में ही चला जाता है । आज हम जिस व्यवस्था में हैं उसके तहत में हमें चलना है । इसलिए इस प्रदेश को चलाने के लिए और इस देश की खुशहाली के लिए यह आवश्यक है कि आप सभी श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लें और एक झंडे के नीचे बैठ कर इस प्रदेश और देश की तरक्की के लिए एकजुट होकर संकल्प लें और जो हमारे जिलों में साम्प्रदायिकता फैलने की बात कहते हैं, उसको कहना छोड़ दें। और जहां भी हो सके, उसे रोकें । मंहगाई की बात आप कहते हैं, मंहगाई आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है । अन्त में पुनः मैं इस बजट का हृदय से समर्थन करते हुए फिर आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, माननीय श्याम लाल बाजपेयी जी ने अगर वास्तव में नाराजगी से यह भाषण नहीं दिया है, बहुत ठंडे दिल से दिया है, तो मैं उनको बधाई दे

[श्री मोती लाल देहलवी---]

रहा हूं कि कुछ कटु सत्य को उन्होंने सदन के सामने रखा । यदि उनके यही विचार हैं, मान्यवर, मेरा विश्वास है कि यदि इन जैसे व्यक्ति यदि मंत्री बनाये गये होते, तो सुधार हुआ होता । लेकिन उन्होंने आखिर बिगाड़ दिया, मैं नहीं कहता, हर व्यक्ति को पूजा करने का अधिकार है । कुछ इमर्जेंसी के पहले वह अधिकार बरुआ साहब को मिला हुआ था । वह कहते थे कि इन्दिरा माने इंडिया और इंडिया माने इन्दिरा । तो बाजपेयी जी को भी अधिकार है । घर में तस्वीर लगाइये, रोज माला पहनाइये, उनके सामने बैठकर पूजा पाठ करें, वह आपका अधिकार है । लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता ।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

इसमें मैं आपको भी शामिल करना चाहता हूं, मान्यवर ।

श्री मोती लाल देहलवी---

तो मैं मान्यवर, यह कह रहा था कि राजनीति में ऐसा नहीं होता । सदन के अन्दर इस तरह का भाषण का अंग नहीं बनना चाहिए । वह उनकी व्यक्तिगत बात है मान्यवर, यह आजादी के बाद से बजट बनते आ रहे हैं और उसके क्या परिणाम होते रहे हैं, यह हम देखते आ रहे हैं । अंग्रेज के आने के बाद क्या स्थिति हुई है । आज इतने सालों के बाद वह भी हमारे सामने हैं, जो हमारे देश और प्रदेश की आज यह हालत है । मैं बाजपेयी जी के भाषण का समर्थन कर रहा हूं कि बजट का लगभग चौथाई धन तो भ्रष्टाचार में चला जाता है और चौथाई से बल्कि ज्यादा चला जाता है यही कारण है कि अपने देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सरकारी कोष में इकट्ठा हुआ और उससे बजट बना और जितनी प्रगति, जितनी तरक्की जनता की होनी चाहिए थी, उतनी मान्यवर, नहीं हो सकी । आज भी यह हालत है कि अगर ईश्वर हमको आकाश का पानी न दे तो किसान की फसल का उपयुक्त उत्पादन नहीं हो पाता है । आज भी यह स्थिति है कि अगर ज्यादा पानी गिर गया, तो खेतों में पानी भर गया, पानी निकास का कोई साधन नहीं । तो आज भी यह हालत बनी हुई है कि पानी न गिरे तो किसान परेशान, अगर पानी ज्यादा गिर जाय, तो किसान परेशान, उसकी फसल चौपट । आप क्या कर रहे हैं ? आप चांद पर जाने की बात सोच रहे हैं, आप स्पुटनिक बना रहे हैं । दूसरे देश ने तो जरूरत के अनुसार पानी गिराना शुरू कर दिया । और अगर इतना प्राविधान कर लिया है अगर ज्यादा पानी हो जाय जो किसान की फसल को नुकसान न पहुंचे और देश में खाद्यान्न का उत्पादन ज्यादा हो । आज भी अंग्रेज के जाने के बाद जब कभी बरसात आती है, नदियों में बाढ़ आती है अगर बाढ़ की वजह से फसल डूब जाती है और गांव के गांव उजाड़ हो जाते हैं । लगातार 30 साल से आप हुकूमत में रहे हैं लेकिन अब आप का ध्यान उधर गया है । अगर आपने इन नदियों को गहरा किया होता, इनकी सफाई कराई होती तो बाढ़ से लोगों को काफी राहत मिल जाती लेकिन आप का ध्यान उधर नहीं गया । मान्यवर, स्थिति आज यह हो गयी है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचार में न चला जाता हो । कांग्रेस के जो विधायक हैं वह बतला दें कोई ऐसा विभाग है जहां बगैर रिश्वत के काम चलता हो, कहीं भी बगैर रिश्वत के काम नहीं चल रहा है । वही कहावत चरितार्थ होती है साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर या वह जगह बतला दे जहां खुदा न हो ।

(व्यवधान)

बैदी साहब, रिजवी साहब सभी से कह रहा हूं। अब तक केन्द्रीय सरकार का विभाग बरी था लेकिन मुझको बखूबी याद है अच्छी तरह से कोई भी विभाग अब बगैर रिश्वत के काम नहीं कर रहा है। यह तीस साल से हो रहा है। क्यों हो रहा है ? मुख्य कारण यह है कि कांग्रेस का रुझान जनमुखी न होकर दलमुखी हो गया है। आज सुरक्षा नाम की कोई चीज इस देश में नहीं रह गयी है। अच्छे भले घर के लोग 9 बजे रात के बाद से अपने घर के बाहर नहीं निकल पाते, घबड़ाते हैं कि कहीं कोई हादसा न हो जाय, हर समय लोग जान का खतरा महसूस करते हैं। न रेल में सुरक्षा महसूस करते हैं, न बस में लोग सुरक्षा महसूस करते हैं। आखिर इसकी जड़ में कोई न कोई चीज तो होगी ही। माननीय श्याम लाल बाजपेयी जी ने दबी जबान से जिक्र किया था, मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं मेरी धारणा है कि जब तक इस देश के राजनीतिक लोगों का चरित्र शुद्ध व साफ नहीं होगा जब तक राजनैतिक लोगों का आचरण शुद्ध और साफ नहीं होगा, मान्यवर, यह सम्भव नहीं है कि वर्तमान में जो स्थिति आ गयी है, वह दूर हो सके। कोई नैतिक मान्यतायें नहीं रह गयी हैं। जैसा कि मैंने कहा, जनमुखी न होकर कांग्रेस का रुझान पार्टी–मुखी होकर रह गया है और वह यह कि यदि पुलिस कोई अत्याचार करती है, अन्याय करती है, तो कोई दर्द नहीं रह गया है। अन्याय होता है, होता रहे, ज्यादती होती है, होती रहे। लेकिन अगर उस इलाके का कांग्रेस पुलिस से खुश है. पुलिस का कुछ नहीं होगा, उल्टे देखा गया है कि उसकी वकालत इस सदन में होती है। किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार हो, लेकिन अगर कांग्रेस खुश है, उस कर्मचारी और अधिकारी से, तो लिखते चलिये कुछ नहीं होगा, चाहे सदन में उठाइये, चाहे जितने प्रश्न करिये, चाहे जितना लिखिये, कोई असर नहीं होगा। उल्टे इस सदन में जो कहने में एक तरफ से न्याय का भवन है, न्याय का मन्दिर है, यहां भी कोई सुनवाई नहीं।

मान्यवर, क्या यह कारण नहीं ? क्या यह इस बात का द्योतक नहीं कि कांग्रेस जनों में आजादी के पहले जो राष्ट्रीय प्रेम की भावना थी, जनता के साथ अन्याय और उत्पीड़न के लिये जो भावना थी, वह कतई–कतई गायब हो चुकी है, नहीं रह गयी है। अब बात हो गई है व्यक्ति पूजा की। हमारे मुख्य मंत्री जी को ही ले लीजिए कह दिया कि हमको राजीव गांधी की शक्ल में कृष्ण भगवान नजर आते हैं। क्या चल रहा है, मान्यवर ? वह कृष्ण भगवान हो गये। सभी जगह बड़े–बड़े पोस्टर चिपकाये गये। अखबारों में भी आया राजीव गांधी आयेंगे। भ्रष्टाचार मिटायेंगे क्या इसका मतलब लगाया जाय कि इस देश के अंदर राजीव गांधी को छोड़कर तमाम लोग भ्रष्टाचारी हैं ? इन्दिरा गांधी से भी बड़े हो गये। केवल राजीव गांधी की जरूरत है जिससे कि भ्रष्टाचार रुकेगा।

(व्यवधान)

क्या गांधी जी ने यही सिखाया है कि अगर कोई बोल रहा हो, तो उसे बोलने न दें। अब वह गाँधी जी की कांग्रेस तो रही नहीं। अब तो, जैसाकि मैंने कहा, चरित्र नाम की कोई चीज नहीं रह गयी। मैं फिर दोहरा रहा हूं अगर राजनीतिक लोग दुरुस्त हो जाय, अगर हम लोगों का चरित्र और आचरण अच्छा हो जाय तो आज जो भ्रष्टाचार, महंगाई है अपराध बढ़ गये हैं, यह उस स्थिति में आ सकते हैं जब अंग्रेज हमको छोड़ कर गये थे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मोती लाल देहलवी--

मैं दर्द के साथ कहना चाहता हूं कि आपको जनता के दर्द का पता होना चाहिये । अभी बाजपेयी जी ने कहा 40 करोड़ रुपये प्रदेश की सरकार ने गृह अनुदान बांटने के लिए सब जिलों में भेजा है, इसका कोई सदुपयोग होगा ?

(व्यवधान)

मेरी जानकारी है मान्यवर, इसका काफी गबन किया गया है, अफसर शाही लूट कर रही है । आपने प्रदेश को विनाश की सीमा तक पहुंचा दिया है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब आपको राष्ट्र के लिए आदमी के दर्द का पता होना चाहिए जैसा गांधी जी के समय में था ...

(व्यवधान)

अगर ऐसा नहीं होगा मान्यवर, तो यह देश और प्रदेश गर्क में चला जायेगा ।

(श्री भगवती सिंह विशारद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई नहीं उठेगा तो उसे मैं बोलने की अनुमति नहीं दूंगा ।

*श्री भगवती सिंह विशारद--

माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके सामान्य वाद-विवाद में मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । मान्यवर, वित्त मन्त्री जी हमारे परिषद् में नेता विरोधी दल के रूप में काम कर चुके हैं, उनकी कार्य-प्रणाली, योग्यता के लिए हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि उनको कोई चकमा नहीं दिया जा सकता लेकिन मान्यवर, यह बजट जो उन्होंने प्रस्तुत किया और जिस पर उन्होंने यह बात कही कि हम कोई घाटे का बजट प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई दूं या उन अधिकारियों को जिन लोगों ने आंकड़ों के जाल में फंसा कर वित्त मंत्री जी से यह बजट प्रस्तुत करवाया और जिसमें उन्होंने यह कहा कि यह कोई घाटे का बजट नहीं है अगर आप विश्लेषण करें तो लगभग 200 करोड़ रुपये संचित निधि से और उसी के साथ-साथ जो हमारे यहां रोकड़बही है, उसको मिलाकर घाटा पड़ेगा । और मान्यवर, हमारे प्रदेश में जो कार्य पिछले वर्ष पूरे हो जाने चाहिए थे वह शेष रह गये हैं मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने को वित्त विभाग के ढांचे में ढालने की कोशिश न करें बल्कि अपने व्यक्तित्व से स्वयं इस विभाग का निर्माण करें जिससे जन साधारण को जो आकांक्षायें हैं जो अपेक्षायें हैं, वे पूरी हो सकें । मान्यवर, अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ विशेष बातों की ओर संकेत किया है, मैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी और उसका समावेश इस बजट में भी किया गया है । हमारे प्रदेश के उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ओर से वित्त मंत्री जी को इस बात के लिये बधायी देता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के उद्देश्य से सभी सेनानियों की पेंशन में एकरूपता कर 100 रु० मासिक पेंशन देने का निर्णय लिया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार सामाजिक असुरक्षा की भावना के प्रति जागरुक है और वह प्रदेश में उन लोगों की सहायता करना चाहती है जो निःसहाय हैं और जिनका कोई सहारा नहीं है । वृद्धावस्था पेन्शन में भी वृद्धि की गयी है । हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में नेत्रहीन लोग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है और वे समाज में एक तिरस्कृत जीवन व्यतीत कर रहे हैं । मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि उसी सामाजिक सुरक्षा की भावना से उनको भी सहारा देने की कृपा करें और ऐसी व्यवस्था करें कि इन सब लोगों को भी सुविधा प्राप्त हो सके ।

इस बजट में जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण में भी इस बात का संकेत किया गया था कि हम सिंचाई के मामले में प्रदेश के प्रत्येक जिले में उस विषमता को दूर करेंगे जो यहां विद्यमान है । मान्यवर, यह बहुत बड़ी बात है । यहां पर जो भी सरकार रही है, उसे केन्द्रीय सरकार से बराबर संघर्ष करना पड़ा है कि हम पिछड़े हुए प्रदेश के निवासी हैं, हमको अधिक से अधिक सहायता दी जाय । वित्त मंत्री जी ने यह सुझाव रखा है कि सिंचाई के लिये जो विषमतायें हैं उनको भी दूर करेंगे । हमारा उन्नाव जनपद है, जिसमें 64 राजकीय नलकूप हैं और उसमें भी 23-24 चलते हैं, बाकी बेकार पड़े हैं । लखीमपुर में, लखनऊ में रायबरेली में राजकीय नलकूप लगे हुए हैं, तो जो सिंचाई के सम्बन्ध में विषमता है, उसको दूर करने के लिये जो सरकार की ओर से घोषणा की गयी है, उसका मैं स्वागत करता हूं ।

मान्यवर, एक बात खास तौर से यह कही है कि आवश्यक वस्तुओं के वितरण में एक सार्वजनिक प्रणाली स्वीकार की गयी है । प्रसन्नता की बात है कि इससे इस प्रदेश के लाखों लोगों को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो जायेंगी । परन्तु सबसे बड़ी कठिनायी यह है कि हम व्यवस्था चाहे जो चलायें अगर हमारे पास उसको विनियमित करने के सूत्र नहीं हैं तो वह व्यवस्था कारगर नहीं हो सकती है । सबसे बड़ी कठिनायी यह है कि जो निर्बल वर्ग है, असहाय वर्ग है, उसमें बहुत से लोगों के पास कार्ड ही नहीं हैं । सबसे पहले इस वितरण प्रणाली को ठीक से चलाने के पहले इस बात की जांच करायें कि कितने फर्जी कार्ड बनवाये गये हैं और इन फर्जी कार्डों को नष्ट किया जाय और साथ ही साथ जो हरिजन या गरीब तबके के व्यक्ति हैं, जिनके कार्ड नष्ट हो गये हैं या बने नहीं हैं, एक अभियान चलाया जाय और उनके कार्ड बनायें जिससे वह आवश्यक वस्तुयें प्राप्त कर सकें ।

मान्यवर, बिजली के संबंध में बिजली की पूर्ति के संबंध में बजट में भी और मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा है कि बिजली की पूर्ति बढ़ी है । यह बात सही है, बढ़ी मात्रा उपलब्ध हुयी है । पिछले दिनों में वित्त विभाग की ओर से एक घोषणा की गयी थी जिसमें कहा गया था कि जो लोग जनरेटर लगायेंगे उनको सन् 81 तक छूट दी जायगी । जिस समय बिजली की कमी थी उस समय जिन्होंने जनरेटर खरीदे उनको तो छूट देने की बात मेरी समझ में आती है लेकिन अब जब बिजली की पूर्ति हो रही है इस समय जनरेटर में छूट देने की बात मेरी समझ में नहीं आती है । मैं अनुरोध करूंगा कि इस विसंगति को दूर किया जाय और जनवरी, 80 तक जिन लोगों ने जनरेटर खरीदे हैं उनको छूट देने की कृपा की जाय । इन शब्दों के साथ जो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं ।

श्री मेंहदी असगर--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने सामान्य बजट पर मुझको बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, बुनियादी तौर पर हमको देखना होगा कि जो बजट पेश किया जाय वह गरीब आदमी के लिये,

[श्री मेंहदी असगर—]

किसान के लिए मजदूर के लिये फायदेमंद हो । मान्यवर, जो बजट पेश किया गया है उसको मैं केवल चूं चूं का मुरब्बा कहूंगा । मान्यवर, तीन चीजों की जरूरत है, रोटी, कपड़ा तथा मकान और सुरक्षा । मान्यवर, मैं सुरक्षा के संबंध में कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि 3 कम्पनी पी०ए०सी० की बढ़ायी जा रही हैं । मान्यवर, आप देखें कि पी० ए० सी० ने क्या-क्या जुल्म हम पर किये हैं । । मेरे भी 2-4 लाठियां मारी गयी थीं । हमको यह भी देखना होगा कि हम कानून और व्यवस्था को कायम रखें ।

मान्यवर, अगर आप देखें तो एक सब-इंसपेक्टर पुलिस एक साल में 100 तफतीश करता है । बड़ी मुश्किल है उसके लिये कि वह 100 तफतीश को कंपलीट कर सके । बल्कि मैं यह कहूंगा कि केवल वह अपने दफ्तर में बैठकर लोगों के बयान लिखाते हैं और तफतीश को समाप्त कर देते ह और अदालत को चार्जशीट वगैरह भेज देते हैं । मान्यवर, हमारे प्रदेश में कुछ ही ऐसे थाने हैं जहां पर जीप उपलब्ध हैं । आजकल चोरी और डकैतियों की बढ़ोत्तरी हो रही है । अपराध बढ़े हैं तो जरूरी है कि हर थाने में कम से कम यातायात के लिये एक जीप अवश्य हो । मान्यवर, पुलिस ने पिछले दिनों गुंडागर्दी के सम्बन्ध में एक अभियान चलाया । मैं अपने जनपद के सिलसिले में कहना चाहता हूं, मेरे ही जनपद में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का शायद कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां से शरीफ आदमियों को पकड़ कर अंदर न कर दिया गया हो । मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि 16 नवम्बर, 1980 को श्री नवाजिश पुत्र श्री शाहिद हुसेन को पकड़ा गया और थाना नयी मंडी पुलिस ने उनका झूठा चालान किया । मान्यवर, यह भी देखना होगा कि जो मुकदमें अदालतों में जाते हैं उनका नम्बर एक या डेढ़ साल बाद आता है । इसमें गवाह टूट जाते हैं और गांव की हालात बदल जाते हैं जिससे 95 फीसदी और 80 फीसदी मुकदमें छूट जाते हैं और इससे उन अपराधियों को बल मिलता है जो अपराध करते हैं । विशेष अदालतें खोली जायं ।

मान्यवर, दूसरी बात बिजली के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । यह कहा जाता है कि बिजली गांव में दी जा रही है । यकीनन में कहना चाहता हूं कि 4-6 घंटे से ज्यादा बिजली गांवों में नहीं पहुंचती है जोकि गांव वालों के लिए नाकाफी है । मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में जो बिजली विभाग है, उसके करीब के 10 किलोमीटर में जो फैक्ट्री हैं उनको टाऊन से जोड़ा है क्यों जोड़ा है उसको मान्यवर, आप और सभी लोग जानते हैं । तो किसानों को 4 घंटे बिजली दी जाय और एक फैक्टरी को 24 घंटे बिजली मिले यह अन्याय की बात है ।

मान्यवर, मुजफ्फरनगर में एक ओर जमुना और एक ओर गंगा बहती हैं जिससे पूरा जिला खादर का इलाका बन गया है । मेरे क्षेत्र मोरना का एक बड़ा हिस्सा ऊबड़-खाबड़ है, यदि सही हिन्दुस्तान को देखना है तो मेरे क्षेत्र को देखें कि आज तक वहां न बिजली पहुंची है और न कोई सड़क बनी है, जब बरसात ज्यादा होती है तो मेरा क्षेत्र गंगा खादर का इलाका पूरा टापू बन जाता है और कुछ गांव ऐसे हैं जिनका नाम नक्शे से ही मिट गया है और वहां के निवासी परेशान हैं । इन गांवों में जैसा कि बताया है और जो खादर के गांव हैं उनकी जमीन भी कटान में आ रही है । इसलिए इसकी तरफ तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये और जो अनुदान में लाखों रुपये बांटा, जैसी चर्चा हो रही थी, कहां गया, कैसे गया, वह रुपया तथा इसमें और जोड़कर यदि सारे रुपये से वहां एक बांध बनाया जाय तो उससे बड़ा लाभ होगा ।

मान्यवर, रजबहों से हम लोग सिंचाई करते हैं। किसी भी कारण यदि रजबहा टूट जाता है जिससे उसके नजदीक के खेतों की फसल बरबाद हो जाती है तो उन खेतों के मालिकों पर तावान लगता है। तो एक तरफ तो फसल बरबाद हो गयी और दूसरी तरफ उस पर तावान लगा, तो यह अच्छी बात नहीं है। ज्यादा अब मैं न कहकर जो कहा है उन्हीं बातों पर मैं बल देता हूं। अन्त में एक शेर कहकर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं:

दिलें तू काम कर ऐसा कि कोई बुरा न कहे,
बुरा कहे सो कहे पर कोई भला न कहे।

मान्यवर, मैं एक बात अंत में और कहना चाहता हूं कि एक आदेश राजस्व मंत्री जी के यहां से गया, तारीख 29–12–80 को और उसके रेडियो ग्राम की संख्या 118/117/80 (303) रेवेन्यू–1, कि जितनी भी सुविधायें कन्ज्यूमर्स को जो सुविधा दी हुई थी पैसे की सिलसिले में थी, वह सब एक दम समाप्त कर दी गयी। तो मान्यवर, जिन लोगों की काश्तें हुई थीं, जो काश्तों का टाइम से पेमेन्ट कर रहे थे, उनको वह सुविधा फिर से देनी चाहिये। अब मैं एक शेर के साथ इसको खतम कर रहा हूं कि :—

"दिल तू काम कर, इसे कोई बुरा न कहे,
और बुरा कहे सो कहे, पर कोई भला न कहे।"

*श्री वृद्धि नारायण सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से जो आज 1981–82 का बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में मैं निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, जिस तरह से बजट में प्रदेश की विभिन्न समस्याओं के बारे में उल्लेख किया है, यदि वास्तव में उस पूंजी को प्रदेश के उन स्थानों तक पहुंचा दिया जाय तो निश्चित ही प्रदेश का विकास होगा। लेकिन आज जो स्थिति है, हम अपने क्षेत्र को देखते हैं जो योजनायें, उन पर पैसा स्वीकृत है, मैं आपका ध्यान जरा उस तरफ दिलाना चाहता हूं। पिछले वर्ष हमारे क्षेत्र में 80 किलो–मीटर सड़क स्वीकृत हुई लेकिन आज तक एक किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं हुआ। जनता पार्टी की सरकार का काल बीत गया, राज्यपाल का शासन काल बीत गया और अब हमारी सरकार को आये 9 महीने हो गये हैं, कुछ नहीं हुआ। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि जो पैसा प्रदेश के किसी काम के लिए आबंटित किया जाता है जिलों में, उनका सही ढंग से और सही समय से, समय के अन्तर्गत प्रयोग हो सके, ऐसी कोई नीति निर्धारित करनी चाहिये।

मान्यवर, हमारे साथियों ने पुलिस प्रशासन की बात उठायी, चाहे वह राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय या इस आय–व्ययक पर चर्चा करते समय और उस पर...

श्री धरम पाल—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय सदन में कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वृद्धि नारायण सिंह जी, आप अपना आसन ग्रहण करें।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी)।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन सिंह--

कोरम हो गया, मान्यवर ।

श्री अम्मार रिजवी--

मोहन सिंह आ गये तो सदन मे कोरम हो गया ।

श्री वृद्धि नारायण सिंह--

मान्यवर, हमारे गृह राज्य मंत्री . . .

श्री उपाध्यक्ष--

अभी नहीं ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुयी ।)

[3 बजे से]

श्री वृद्धि नारायण सिंह--

तो मैं माननीय गृह राज्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो अपराध को रोकथाम के लिये आज प्रयास किये जा रहे हैं उनके सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि प्रत्येक जिले में एक ऐसा पुलिस अधीक्षक रखा जाय जो केवल अपराध के कार्यों की देखभाल करे । आज पुलिस प्रशासन तरह-तरह के कार्य में लगा रहता है जैसे कहीं पर जमीन नपवाना है, कहीं पर कब्जा दिलवाना है और वरिष्ठ अधिकारियों का जो छोटी-छोटी बातें हैं खास तौर से जैसे कुछ क्षेत्रों में कोई विवाद उठता है और वह रूप धारण कर लेता है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता ।

मैं कुछ अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ भी आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में एक औराई चीनी मिल है जिसको दो करोड़ की लागत से लगाया गया था ।

(श्री त्रिवेनी के कुछ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

त्रिवेनी जी, आपका भाषण काफी तेजी से हो रहा है । बाकी लोगों का भाषण मैं नहीं सुन पा रहा हूं ।

श्री वृद्धि नारायण सिंह--

इस चीनी मिल के क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिये । इसके लिए पिछली सरकार ने ज्ञानपुर पम्प कैनाल बनाई लेकिन पांच वर्ष हो गये इस पम्प कैनाल की गति जो 1977 में थी वही आज भी है । तो मैं चाहूंगा कि सिंचाई विभाग इस पम्प कैनाल को तीव्र गति से बनाये । इसकी वजह से उस क्षेत्र में न तो नलकूप लग रहे हैं और न यह पम्प कैनाल ही चालू कराई जाती है । मैं चाहूंगा कि यहाँ पर गन्ने के विकास के लिए और खास तौर से चीनी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये इस क्षेत्र में अधिक से अधिक सिंचाई सुविधा दी जाय जिससे यहाँ की मिल सुचारु रूप से चल सके ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर, हमारे यहां रामनगर में एक दुग्ध डेरी का बड़ा केन्द्र खोला गया है और योजना यह बनायी गई थी कि

100 लीटर दूध प्रतिदिन उसमें आयेगा । लेकिन चार वर्षों में अभी मात्र साढ़े तीन हजार लीटर दूध इससे मिला है जिससे कि उस फैक्टरी को लगाने की मन्शा ही पूरी नहीं हुई । दूध का उत्पादन न बढ़ने का कारण यह भी है कि गांव के लोग वहां पर दूध नहीं लाते हैं । पशुधन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर अच्छी किस्म की, अच्छी नस्ल की गाय और भैंस शासन की तरफ से या सहकारिता के तरफ से मेला लगवा कर किसानों को बांटी जायं जिससे वह डेरी जो वहां पर खोली गयी है उसका सही लाभ हो सके और दूध का उत्पादन बढ़ सके ।

सड़कों का जहां तक प्रश्न है, यह तहसील खास तौर से कालीन बुनाई का सेन्टर है । बार-बार मैं इस सदन में निवेदन कर चुका हूं कि सड़कों के अभाव में कालीन का उत्पादन बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि सड़कों के माध्यम से ही कालीन के लिए कच्चा माल पहुंच पाता है । सड़कों के अभाव में गांव के लोग, अच्छे कारीगर, जो लोग कालीन का निर्माण करते हैं, अपना माल नहीं ले जा सकते । शहरों को बढ़ावा दिया जा रहा है और गांव के लोग इसमें निरन्तर पीछे होते जा रहे हैं । मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र में सड़कों का और विस्तार किया जाय ।

दूसरी बात यह है कि कालीन की बुनाई में मेरे यहां चार लाख मजदूर लगे हुये हैं । उनके लिए खास तौर से चिकित्सा की सुविधा का अभाव है मैं पहले भी कह चुका हूं कि शहरों के मिलों, फैक्टरियों में चिकित्सा का विशेष प्राविधान रखा जाता है, सुविधा दी जाती है, मजदूरों के कार्ड बने हुये हैं लेकिन वहां के मजदूरों के लिए कार्ड भी नहीं बने हैं विशेष सुविधा तो दूर रही, अस्पतालों में कहीं-कहीं तो डाक्टर भी नहीं हैं । हमारे यहां एक अस्पताल कटरा में है जिसमें लगभग 12 महीने से कोई डाक्टर नहीं है । हमारे मुख्यालय से यह अस्पताल 90 किलोमीटर की दूरी पर है लेकिन वहां पर आज तक कोई डाक्टर नहीं है । मैं चाहूंगा कि इन मजदूरों के लिए चिकित्सा सुविधा को और चुस्त किया जाय ।

मान्यवर, हमारी तहसील में 6 टाउन एरिया और एक नगरपालिका है । चार में तो भवन नहीं है केवल दो टाउन एरिया और नगरमहापालिका की इमारतें हैं । वहां पर कर्मचारियों को चार महीने से तनख्वाह नहीं मिली और सब से उल्लेखनीय बात यह है कि गोपीगंज कस्बे में जहां कि 20 हजार की आबादी है वहां नलकूप बन्द पड़े हैं और पेयजल के अभाव में वहां के लोगों को तालाबों से या कुंओं से अथवा गंगा नदी से बैलगाड़ियों से पानी लाना पड़ता है । मैं माननीय स्वायत शासन मन्त्री से निवेदन कर चुका हूं कि तत्काल वहां पर प्राथमिकता के आधार पर जो नलकूप खराब है उसको बनवाया जाय और उसको चालू किया जाय ।

मान्यवर, ज्ञानपुर तहसील में हमारे प्रशासन के अतिरिक्त जिलाधिकारी रहते हैं, एस० डी० ओ० रहते हैं, एडीशनल सिविल और सेशन्स जज रहते हैं, वहां पर कारागार है, पुलिस लाइन है, अस्पताल है । वहां के गांवों के लोगों की बहुत दिनों से मांग है कि उसको एक अतिरिक्त जिला बनाया जाय । क्योंकि सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि आज भी जो आबंटन वाराणसी जिले के लिए होता है वह सम्पूर्ण जिले के आधार पर होता है और इस तहसील के जो लोग हैं वे खासतौर से उद्योगों में लगे हुये लोग-हैं उनके लिए कुछ नहीं हो पाता है ।

[श्री बुद्धि नारायण सिंह--]

इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि उस क्षेत्र की प्रगति के लिये, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और खासतौर से निर्यात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ज्ञानपुर तहसील को एक जिला बनाया जाय । इसके साथ ही एक बात यह भी मैं कहना चाहता कि यदि ज्ञानपुर तहसील को जिला बनाया जाता है तो उस पर 10-11 करोड़ रुपया ही खर्च आता है क्योंकि वहां पर इतने कार्यालय और अधिकारी मौजूद हैं कि उसको जिला बना देने से 2 करोड़ रुपये की ही और आवश्यकता होगी । वहां पर उप-मुख्यालय भी मौजूद है जिसको कि मुख्यालय में परिवर्तित किया जा सकता है । इस थोड़े से ही पैसे को वहां लगा देने से उस तहसील का विकास हो जायेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं जो माननीय वित्त मंत्री ने बजट रखा है उसका समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि इससे प्रदेश के किसानों और उद्यमियों का हित होगा । मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इसके लिये जो पैसा रखा गया है उसको जिलों में लोगों के पास पहुंचाया जाय तभी यह बजट सफल हो सकेगा और तभी इस बजट को पास करने से पैसा आबंटित करने से प्रदेश का भला होगा ।

श्री भीखा लाल--

उपाध्यक्ष महोदय, अपने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सत्ता में जब से पुनर्जन्म हुआ है उसके बाद से यह दूसरा बजट है । पहला बजट अभी चार महीने पहले इस सदन द्वारा पास किया गया था । जो माननीय सदस्य सत्ता पार्टी के कह रहे थे और वही मैं भी दोहरा रहा हूं कि इस बजट में तनख्वाहों में जो खर्च होना चाहिए वह तो 1 अप्रैल से खर्च होना शुरू हो गया लेकिन सार्वजनिक सेवाओं के लिये जो पैसा है उसमें अभी शुरुवात नहीं हुई । आज 6 फरवरी है और इस डेढ़ पौने दो महीने में वह पैसा कैसे खर्च किया जायेगा, यह सोचने की बात है । जाहिर है इसका नतीजा यह होगा कि उस पैसे का सही उपयोग नहीं होगा । हमारे प्रदेश में जितना भी बजट होता है उसका लगभग 70 प्रतिशत तनख्वाहों पर खर्च होता है और 30 प्रतिशत निर्माण कार्यों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च होता है । क्या सरकार में बैठे हुये लोग अथवा विपक्ष में बैठे हुये लोग बता सकते हैं कि यह 30 प्रतिशत के आधे भी निर्माण कार्य में खर्च होता है मैं समझता हूं कि वह भी नहीं खर्च होता है । सरकारी अफसर बीच में ठेकेदार और नौकरशाही आधे से ज्यादा गोलमाल कर जाते हैं । मैं उसमें मंत्रियों और विधायकों को शामिल नहीं करता हूं । हो सकता है वह भी हों ।

जहां कहीं भी घोटाले पकड़े जाते हैं तो वह लाखों में निकलते हैं । अभी लखीमपुर में एक मामला पकड़ा गया जिसमें लाखों की संपत्ति एक इंजीनियर के घर से निकली । निर्माण कार्यों के लिए जो सीमेंट चाहिये वह ब्लैक में बेचा जाता है कई जगहों पर मामले पकड़े गये तो निर्माण कार्यों के लिए जो पैसा होता है वह उनमें नहीं लगता है । इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए । जितनी गंभीरता इसमें होनी चाहिये उतनी दिखाई नहीं देती, यह जिम्मेदारी भी है लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे दल की जिम्मेदारी ज्यादा है । हमारी जिम्मेदारी तो यह है कि हम आपकी कमजोरी और खामियों को बतायें और सुझाव दें । लेकिन उसमें होता क्या है कि जब हम खामियां बताते हैं तो उनका उपहास उड़ाया जाता है । हमारे शब्दों को तोड़ामरोड़ा जाता है कि नेता विरोधी दल ने कितना तीखा प्रहार किया उतने ही तीखे शब्दों में आलोचना का उतर दिया जाता है, वहां से प्रहार किया जाता है । मैं शासक दल से पूछना चाहता हूं कि जनता पार्टी के असफलताओं को गिना कर आप कब

तक जिंदा रहेंगे । कुछ अपनी उपलब्धियों को गिना कर जिंदा रहने की कोशिश कीजिये । जनता पार्टी ढाई साल तक सत्ता में रही अगर उसने आपकी गलतियां गिनाई तो ठीक था क्योंकि आपने 30 साल तक शासन किया । इसलिए आप जनता पार्टी की गलतियों को गिना कर जिंदा रहने की कोशिश मत करिये ।

अभी श्यामलाल बाजपेयी जी ने कहा कि हम सब को मिल जुल कर प्रदेश की समस्याओं पर सोचना चाहिये । मैं उनसे सहमत हूं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी पिछले सत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में विरोधी दल के नेताओं से बातचीत करना चाहते थ जिसका हमने स्वागत किया था और उनके सचेतक से कहा था कि जल्दी तारीख मुकर्रर करिय । लेकिन मान्यवर, वह नौबत आज तक नहीं आई । मेरी पार्टी ने एक पत्र लिखा था माननीय मुख्य मंत्री जी को कि यह जो किसानों से चार फसलों की भूराजस्व आदि की बकाया है इससे किसानों के सामने कठिनाई आ गयी है । उसको कसे आप वसूल करगे इसके लिए हम बातचीत करना चाहते हैं इसी के लिए हमने चिटठी लिखी थी । लेकिन दो महीने हो गये मुख्य मंत्री जी को मौका नहीं मिला क्योंकि उनको लखनऊ और दिल्ली आने जाने से ही फुर्सत नहीं है । एक पैर उनका दिल्ली में रहता है ।

मान्यवर, यह बजट घाटे का पेश किया गया है और घाटे का बजट पेश करने की परम्परा पड़ गई घाटे के लिए यह कहते हैं कि कोई टैक्स नहीं लगेगा । पिछले साल भी 117 करोड़ रुपये का घाटा था । उस समय के वित्त मंत्री मुख्य मन्त्री जी थे उन्होंने बजट पेश किया था कहा था कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर आपने बाद में विद्युत् कर बढ़ा दिया, परिवहन में बसों का किराया बढ़ा दिया । बड़ी खूबी की बात यह है कि 27 जनवरी से यह सदन चलने वाला था और परिवहन मंत्री 12 जनवरी को बसों का किराया 25 फीसदी बढ़ा दिया ताकि वित्त मंत्री को पीठ ठोकन का मौका दे दें कि बजट म कोई कर नहीं लगाया गया है यह एलान करना कि टैक्स नहीं लगेगा यह धोखा है, टैक्स जरूर लगेंगे ।

हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है । माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि हमारे प्रदेश की आय 1978–79 में 5311 करोड़ थी और 1979–80 में वह घट कर 4547 करोड़ रह गयी है । इस प्रकार 764 करोड़ रु0 का घाटा हमारे प्रदेश की आय में है । जोकि 14 परसेन्ट आता है जब कि पूरे देश की आय में 3 परसेन्ट की कमी आई है यह कमी हमारे कृषि कार्य क्षेत्र में आई है जो कि हमारी अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है पिछले वर्ष गन्ने के उत्पादन में 18 परसेन्ट की कमी आई, चावल के उत्पादन में 57 परसेंट की कमी आयी, गेहूं के उत्पादन में साढ़े 15 परसेंट की कमी आई । इसी प्रकार अन्य उत्पादनों में भी कमी आई है । किसान जो हमारे प्रदेश की आबादी का बहुमत है उसकी आर्थिक स्थिति खराब है । इस प्रदेश और देश के किसान ने खाद्यान्न में आत्म निर्भर बनाकर दुनिया में हमारा गौरव बढ़ाया है लेकिन आज हम अमेरिका के सामने अनाज के लिए झोली नहीं फैलाते हैं ।

लेकिन किसान की मुसीबत के लिए यह सरकार कुछ नहीं सोच रही है इसके विपरीत 180 करोड़ रुपया लगान, सिंचाई व अन्य कृषि देय का बकाया की अदायगी के लिए डन्डा चला रहे हैं । आप 15 करोड़ रुपये की छूट देकर वाह–वाही लूटना चाहते हैं । केवल लगान में कुछ छूट दे रहे हैं कुल बकाया लगान 80 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा लेकिन माननीय राजस्व मंत्री भ्रामक बयान देते हैं कि किसानों को सौ करोड़ की रियायत दी गई है ।

[श्री भोला लाल--]

केवल 15 करोड़ रुपये की छूट दी गई है और बाकी वसूल हो रहा है डंडा मारकर । भाई रियासत हुसैन ने जैसा कहा, मैं भी कहता हूं कि 354 करोड़ रुपये पूंजीपतियों, मिल मालिकों और व्यापारियों पर टैक्सों का बकाया है । उसको आप वसूल करने के लिए एक कमेटी बिठा रहे हैं जो इस बात की जांच करेगी कि किसका वसूल करने लायक है और किसका माफ करने लायक है । तो इनका टैक्स तो आप माफ करेंगे, लेकिन किसानों के बकाये के बारे म कोई जांच नहीं कोई माफी नहीं । उसको और कमजोर किया जाएगा हमारी मांग है कि किसानों की टूटी हुई कमर को और न तोड़ी जाय । जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सवाल है, यह सरकार इस प्रणाली को ठीक करने में और कीमतों के सवाल पर बिलकुल फेल हुई है । मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि पहली जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 के मध्य केवल एक वर्ष की अवधि में यह सरकार किस कदर कहां-कहां फेल हुई और कीमतें कहां से कहां पहुंची हैं ।

चीनी जनवरी, 1980 में 2.15 रु० किलो थी, जो बढ़कर 31 दिसम्बर, 1980 को 3.50 रु० किलो हो गई, यानी इसमें 63 परसेंट की मूल्य वृद्धि हुई । फ्री-सेल की शुगर 3 रु० किलो थी वह बढ़कर वर्ष के अंत में 12 रु० किलो में बिकी, यानी उसमें 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई । गेहूं 1.30 रुपया किलो था वह हो गया 2.50 रु० इसमें 92 परसेंट की बढ़ोतरी हुई । चावल नं० 2, 2.20 रुपया किलो था जो 3.50 रु० हो गया, इस तरह इसमें 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है । चावल नं० 3 1.45 से 2.60 रु० हो गया, 80 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई । चना 2 रु० किलो से 4.50 रु० किलो बढ़कर हो गया, 125 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई । कड़ुवा तेल जो जनवरी, 1980 में 9.50 रु० किलो था, वर्ष के अन्त में बढ़कर 13.50 रु० किलो पर पहुंच गया, यानी 45 परसेंट की वृद्धि हुई है । डालडा 11 रु० से 13.85 रु० किलो पहुंच गया, 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई । चाय 14 रु० किलो से 20 रु० किलो हो गई और उसमें 43 परसेंट की वृद्धि हुई ।

तो इस प्रकार एक साल के अन्दर 25 से लेकर 300 प्रतिशत की भारी वृद्धि मूल्यों में हुई है । सरकार इन कीमतों को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है । आपने तय किया कि देहातों में जो वितरण प्रणाली है उसमें प्राइवेट व्यक्तियों को हम लाइसेंस नहीं देंगे बल्कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा सामान वितरण करायेंगे । लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि दूसरी नई व्यवस्था को बनाने के पहले पूर्व-पुरानी व्यवस्था को तोड़ क्यों दिया गया ? इस कुव्यवस्था का नतीजा यह हुआ कि दो-तीन महीने के लिए एक गैप पैदा हो गया और दो तीन महीने तक देहातों-कस्बों में किसी को कोई सामान नहीं मिल सका । देहातों में लोगों को जो मुसीबत इससे उठानी पड़ी है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है ।

मेरा स्पष्ट मत है कि आज कृत्रिम अभाव पैदा किया जा रहा है । बाजार में सामान उपलब्ध नहीं है, लेकिन चोरबाजारी में आप चाहे जितना सामान खरीद लीजिए और यह सरकार भी कृत्रिम अभाव पैदा कर रही है, इसे केवल व्यापारी हीं नहीं पैदा करते हैं । इसका प्रमाण हमारे पास यह है कि पिछले 6 महीने में जब से यह सरकार सत्ता में आई है, उसके दो महीने पहले के हमारे पास कुछ आंकड़े हे । अप्रैल से नवम्बर के बीच में आप डीजल की स्थिति को देख कि डीजल हमको केन्द्र से कितना मिला और इस सरकार ने उसमें से कितना उठाया और वितरित किया है । जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय मान्यवर, आपको भी स्मरण होगा कि डीजल की कितनी कमी थी और बाद की स्थिति को

आप देखें । अप्रैल, 1980 में प्रदेश के लिए 1 लाख 8 हजार 900 लीटर केन्द्र ने आवंटित किया था जबकि प्रदेश सरकार ने केवल 1 लाख 454 लीटर ही उठाया। मई में 1 लाख 21 हजार के विपरीत केवल 1 लाख 10 हजार 923 किलो लीटर डीजल ही उठाया । जून में 1 लाख 7 हजार 420 किलोलीटर आवंटन के विपरीत 95,248 किलोलीटर ही उठाया जुलाई में एक लाख 7 हजार 420 किलोलीटर आवंटन के विपरीत 74 हजार 409 किलोलीटर ही उठाया गया ।

अगस्त में मिला	85547	किलो लीटर
उठाया	65967	किलो लीटर
सितम्बर में मिला	92324	,, ,,
उठाया	87170	,, ,,
अक्तूबर में मिला	99982	,, ,,
उठाया	98007	,, ,,
नवम्बर में मिला	1,13,740	,, ,,
उठाया	1,09,800	,, ,,

इस प्रकार इन आंकड़ों से पता चलता है कि कितना केन्द्र सरकार ने दिया और कितना इस सरकार ने उठाया । इस प्रकार यह कृत्रिम अभाव शासन भी पैदा करता है और प्रदेश की जनता को संकट में डालता है । इसी तरह शान्ति और व्यवस्था की बात कही गई । अभी 3 तारीख को जब माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे और गवर्नर के ऐडरेस पर अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कुछ आंकड़े दिए थे और दिखाया था कि चोरी और डकैती में कमी हुई है । उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं उनका परसेन्टेज मैं बताता हूं जो उन्होंने 6 महीने के अन्दर का बताया है :—

डकैती में 28 प्रतिशत की कमी

लूट में 44.75 प्रतिशत की कमी

चोरी में 35.75 प्रतिशत की कमी

बल्वे में 23 प्रतिशत की कमी बताई गई है ।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के अनुसार शान्ति और व्यवस्था की हालत बिल्कुल ठीक चल रही है । चोरियों और डकैतियों में कमी हुई है । मेरा एक सुझाव है कि माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी, हमारे गृह राज्य मंत्री ने अखबारों को धमकी दी है कि अखबारों में अपराधों की खबरें मत छापें माननीय मुख्य मंत्री जी एक आदेश और निकाल दें थानेदारों के लिए कि थानों में कोई रिपोर्ट न लिखें और उसके बाद वे गर्व से कह सकेंगे कि प्रदेश पर कोई जुर्म नहीं हो रहा है । विचारणीय प्रश्न यह है कि शान्ति और व्यवस्था की स्थिति को नापने को मापदंड क्या है । अगर इन आंकड़ों से आप शान्ति और व्यवस्था को आंकोगे तो यह आंकड़ों से नहीं आंकी जा सकती, यह तो दैनिक जीवन से आंकी जायेगी ।

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य जी को यह बताना चाहता हूं कि अखबारों से यह कभी नहीं कहा गया है कि वह कोई खबरें

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--]

मत छापें बल्कि उनसे यह निवेदन किया जा रहा है कि अपराधियों को हीरो मत बनायें। मान लीजिए आपके किसी अपराधी की कोई खबर छापना है किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध तो अपराधी हीरो न हो बल्कि माननीय सदस्य हीरो हों, यह ज्यादा अच्छा है।

श्री भीखालाल--

मान्यवर, माननीय राज्य गृह मंत्री जी ने संशोधन कर दिया, उसको मैं माने लेता हूं। शान्ति और व्यवस्था की स्थिति क्या है, इसे रोजमर्रा की जिन्दगी में हम महसूस करें। आज दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं, बैंकों में डकैतियां पड़ रही हैं माताओं और बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, पुलिस के कर्मी उनसे गलत व्यवहार करते हैं। विधायक लोगों की जान को खतरा है। विधायक यहां से लौटकर अपने घर जा रहे होते हैं लेकिन घर नहीं पहुंच पाते हैं और रास्ते में, स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी जाती है। रेलें और बसें लूटी जा रही हैं तो इस तरह के जीवन को, इस तरह की शान्ति और व्यवस्था की स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता। आज शान्ति और व्यवस्था की स्थिति खराब है यह एक अकाट्य सत्य है और इसको सुधारने के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। आज कल एनकाउन्टर का फैशन सा चल गया है।

विरोध पक्ष की तरफ से रोज इस प्रकार के प्रश्न उठाये जाते हैं मैं माननीय मुख्य मंत्री तथा मंत्रि-मंडल के सदस्यों से एक बात कहना चाहता हूं कि कोई एनकाउन्टर का मामला उनके संज्ञान में आये तो उसकी जांच करायें, और जो रिपोर्ट आती है उस पर कम से कम थोड़ा अपनी बुद्धि और विवेक से काम लिया करें। जो थानाध्यक्षों की रिपोर्ट आती है उसे ही सदन में न पढ़ दिया करें। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं बागपत के मामले में जब इसी सदन में बहस हो रही थी तो मैंने दो प्रश्न मुख्य मंत्री जी से पूछे ये मुख्य मंत्री जी ने अपने बयान में कहा था कि बागपत में कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए और पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई फिर दोनों तरफ से गोलियां चलीं और 3 आदमी मारे गए। मैंने मुख्य मंत्री जी से पूछा कि जो मारे गए क्या उनके पास से कुछ असलहे वगैरह बरामद हुए हैं। इसकी जांच करायी जाय। नहीं करायी। उसी चीज को बार-बार यहां पर दुहराया गया और कमीशन ने साफ कहा है कि न उनके पास बंदूक थी और न गोली, और न उनकी ओर से फायर ही हुआ। पुलिस के दरोगा ने 3 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। तो मैं चाहूंगा कि आपको बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। बहुत से ऐसे बदमाश हैं जिनके खिलाफ पुलिस को कोई शहादत नहीं मिलती है तो पुलिस मजबूर हो कर एनकाउन्टर दिखा कर मार देती है। अगर ऐसा है तो मैं कहता हूं कि पुलिस में भी बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं, तो उनको भी आप सिक्योरिटी ऐक्ट में बंद कर दें। आप कहते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो पुलिस वालों का मनोबल गिरेगा। आज पुलिस में भ्रष्ट दुराचारी और डकैत थोड़े ही लोग हैं लेकिन उनकी वजह से पुलिस बदनाम हो रही है। पुलिस में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं। लेकिन अगर आप दुष्टों के खिलाफ ऐसी कार्यवाई करेंगे तो इससे पुलिस का मनोबल बढ़ेगा, गिरेगा नहीं।

आज जो स्थिति हमारे प्रदेश में है, उससे जनता के हर वर्ग में आक्रोश है। आज सरकारी कर्मचारी से ले कर खेत मजदूर तक अपनी-अपनी जिन्दगी की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार को अपने कर्तव्यों के लिए आगाह कर रहे हैं।

कल से सारे प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं क्योंकि आप किसी भी वर्ग की समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं। आज अगर कोई वर्ग हड़ताल करता है तो श्रीमती इंदिरा गांधी कहती हैं कि हम आन्दोलन की विलासिता बर्दाश्त नहीं करेंगे लेकिन हमारी मजबूरी है कि आप सिर्फ आन्दोलन की ही भाषा समझते हैं, दूसरी नहीं। हम तो तैयार हैं बात-चीत करने के लिए लेकिन जब आंदोलन होगा, हड़ताल होगी तभी आप सरकारी कर्मचारियों से बात-चीत करेंगे। आन्दोलन के उपदेश हमारे लिए कहे जाते हैं।

आज बंगाल में जहां पर मार्कसिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वहां पर बसें, ट्राम्स और बहुत से दफ्तर जलाये जा रहे हैं। केरल में भी ऐसा ही किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में कौन सी विलासिता है। जब कोई न्याय की माँग करता और आगे बढ़ता है तो उनकी माँग को दबाने वाले भी आगे बढ़ते हैं। आज किसान उठ रहे हैं कि हमको हमारी चीजों के मुनासिब कीमतें दिलायी जायं। तो न्याय मांगने वाले को दबाया जाता है। मेरा तो यह कहना है अगर जनता की समस्याओं को हल न किया गया तो आन्दोलन की विलासिता एक बार नहीं बार-बार की जायेगी। आज किसानों से जिनकी कमर टूटी है एक-एक रुपया वसूल करके और उसकी कमर तोड़ रहे हैं। अगर उसको माफी नहीं मिलेगी तो 6 मार्च से हम उसके खिलाफ आन्दोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, और 20 तारीख से जेल भरेंगे। अपनी बैरेकें साफ करा दें और पुलिस को भी कह दें कि वे अपने डंडे तैयार रखें।

काम के बदले अनाज की जो योजना चलायी गयी ये आदेश श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिये थे। आपकी ही बात को मान कर चलते हैं। जनता पार्टी ने तो उनके कथनानुसार काम किया लेकिन आपके शासन ने नहीं किया। आप लोग श्रीमती इंदिरा गांधी का ढिंढोरा पीट कर उनकी दुहाई देकर ही सत्ता में आये लेकिन काम के बदले अनाज की योजना को बन्द कर किया। मान्यवर, 34 हजार किलोमीटर सड़क जिस खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनायी गयी है, इनका रख-रखाव न किया गया, तो यह देश का रुपया बहकर पानी में मिल जायगा। अभी हमने देखी नहीं, अभी उसका अमल शुरू नहीं हुआ, अभी जिलों में आया नहीं, आप भी नहीं जानते हैं, अभी दिल्ली से सैंक्शन नहीं आई, हमारा कहना है कि इन सड़कों का रख-रखाव होना चाहिये। मान्यवर, मैं इस सरकार को बधाई देता हूं कि इन्होंने इन खत मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई है। पहले जो मजदूरी इससे कम थी, क्या वह मिल रही थी? वह भी नहीं मिल रही थी और आज जो बढ़ाया है, वह भी नहीं मिल रही है।

आप किसी के खिलाफ कार्यवाही किये हैं, जो मजदूरी नहीं मिल रही है? कृषि विभाग के मजदूरों के लिए जब तक आप एक लेबर डिपार्टमेन्ट कायम नहीं करेंगे, इनका डायरेक्ट्रेट अलग कायम नहीं करेंगे तब तक यह लागू नहीं होगा। इसलिए इसको लागू कराने के लिए उचित मशीनरी खड़ी करें। आज अखबारों में भी निकला है कि शासक पार्टी के लोग संरक्षण दे रहे हैं चोरबाजारी को, डकैतों और बदमाशों को संरक्षण। ये शासक पार्टी वाले देते हैं और सरकार ने इसका कोई कंट्राडिक्शन नहीं किया। रोज आय दिन खबरें आया करती हैं। अपने उन्नाव जिले की एक मिशाल मैं देना चाहता हूं। हमारे उन्नाव जिले का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके खिलाफ कोई चीज निकली थी।

मान्यवर, देखें क्या है। मामला क्या है? उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक डीजल के चोरबाजार करने वाले व्यक्ति को पकड़ा और उसको भारत सुरक्षा अधिनियम में बन्द किया। संयोग से वह कांग्रेस का समर्थक है, लिहाजा पूरे कांग्रेस के विधायकों ने मिल कर दबाव डाला कि उसको छोड़ दिया जाय। डी० एम०

[श्री भीखा लाल--]

ने नहीं छोड़ा । लेकिन उस घटना का जो मुख्य गवाह था, उसको पकड़ कर यहाँ विधायक जी के कमरे में लाया और पिस्तौल दिखा कर उससे हल्फिया बयान लिखाया गया कि मने कुछ नहीं देखा । उसके बाद वह लौट कर गया, तो कोतवाली में रपट लिखाई कि फलां दो विधायकों ने मुझको पिस्तौल की नोक पर लिखाया । आज्ञा हो तो पढ़ दूं, मान्यवर ?

श्री उपाध्यक्ष--

मुनासिब यह है कि जो कागज पढ़ा जाय, उसकी एक प्रति यहाँ पर हो ।

श्री भीखा लाल--

यह मान्यवर, मुकदमा नं0 10 धारा 341/342/384/504/506 है, जिसमें लिखा है--श्रीमान् कोतवाली इन्चार्ज, उन्नाव, महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम सैदापुर, थाना सफीपुर, जिला उन्नाव का निवासी है, दिनांक 5-11-80 को उन्नाव जाने हेतु प्रार्थी चकलबंशी चौराहे पर खड़ा था इतने में सफीपुर की ओर से आकर एक कार रुकी जिसमें श्री रायबुल मियाँ निवासी सफीपुर, नन्दपाल यादव, निवासी बकपालपुर उनसे तथा मुझसे कहा कि आपको सफीपुर के प्राचार्य महोदय न उन्नाव बुलाया है प्रार्थी को उन्नाव ही जाना था अतः वह कार पर बैठ गया । चकलबंशी व खुमान खेड़ा के बीच में पहुंच कर श्री रायबुल मियां प्रार्थी के सीने में पिस्तौल लगाकर कहने लगे कि तुमने देवी प्रसाद गुप्ता की शिकायत करके उसे जेल भिजवा दिया है अब हम गोपीनाथ दीक्षित व हरि प्रसाद कुरील विधायकों के माध्यम से तुम्हें जेल भिजवा देंगे । वे प्रार्थी जो इसी तरह धमकाते हुए लखनऊ ले गये । और उन्नाव उतरने नहीं दिया और लखनऊ में एक हलफनामा तैयार कराया । उसी विधायक श्री हरि प्रसाद कुरील के कमरे में लखनऊ में ! वहां पर हरि प्रसाद कुरील व गोपीनाथ दीक्षित मौजूद थे । रायबुल व नन्दपाल यादव ने दोनों विधायकों से बातचीत की और कागजात दिखाये और उसके बाद रायबुल व नन्दपाल रात को करीब 9 बजे वकील के पास गए और दूसरा हलफनामा तैयार किया गया और उस पर मेरे हस्ताक्षर दबाव में भयभीत करके कराये गये । उक्त हलफनामें में यह लिखवाया गया है कि मैंने मोबिल आयल स्वेछा से लिया । यह तथ्य और हलफनामा मेरे स्वेच्छा के विरुद्ध लिखवाया गया । रायबुल व नन्दपाल ने कहा कि यदि इस सम्बन्ध में जबान खोली तो गोली से भून दूंगा । ज्ञातव्य है कि मीसाबन्दी श्री देवी प्रसाद गुप्ता मालिक गुप्ता सर्विस सेन्टर सफीपुर, उन्नाव के खिलाफ प्रार्थी ने डिप्टी साहब को बयान दिया था । प्रार्थी श्रीमान् जी के पास उक्त घटना की जानकारी देने आया है ताकि उन हलफनामा का बेजा इस्तेमाल न हो सके और इस गैर कानूनी हरकत का दण्ड दोषियों को दिया जाय क्योंकि प्रार्थी की जानमाल का खतरा है ।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि घटना की अविलम्ब जांच कराकर उचित कार्यवाही करें जिससे प्रार्थी की रक्षा हो सके ।

प्रार्थी--शिव पूजन पुत्र द्वारिका प्रसाद, निवासी ग्राम सैदापुर, थाना सफीपुर, जिला उन्नाव ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या दफा थी, वह भी पढ़ दें ।

श्री भीखा लाल--

मुकदमा नं0 10 धारा 341/342/384/504/506 ।

मान्यवर, इसके बाद भी जब काम नहीं चला और डी0 एम0 तैयार नहीं हुए तो चरित्र हत्या का प्रयास किया । अखबार का इस्तेमाल किया गया फोटो छापी । मैं चाहूंगा कि ब्लिट्ज अखबार इस चीज को भी छाप दे ताकि पूरी चीज सामने आ जाय । तो मान्यवर, इस तरह से चोर, डकैत और असामाजिक तत्वों को जेब में डाले रहते हैं और उनका संरक्षण करते हैं । इस तरह की घटनायें हो रही हैं । अब मान्यवर, मैं कुछ चीजें अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

जिस घटना के बारे में बताया है, वह भी तो उन्नाव की है ?

श्री भीखा लाल--

जी हां । मान्यवर, अभी दो दिन पहले माननीय गोपीनाथ जी ने भाषण दिया था और दो बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि महान क्रान्तिकारी चन्द्र शेखर आजाद के जन्म के स्थान को पर्यटक केन्द्र बनाया जाय । मान्यवर, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं कि चन्द्रशेखर के जन्म स्थान बदरका को पर्यटक केन्द्र बनाया जाय । लेकिन मैं दूसरी बात की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माननीय गोपीनाथ जी वहीं पर मौलाना हसरत मोहानी जी को क्यों भूल गये । मान्यवर, इसी जिले में मौलाना हसरत मोहानी जिनकी जन्म शताब्दी मनायी जा रही है, ने भी जन्म लिया था। मान्यवर, वह एक पढ़े-लिखे विद्वान, शायर और लेखक ही नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और उस कस्बे में जहाँ उनका जन्म हुआ था, उनके नाम पर कुछ नहीं है । इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कस्बा मोहान में उनके नाम पर एक स्मारक बनाया जाय, लाइब्रेरी बनायी जाय और उनकी कृतियों को इकट्ठा किया जाय और लेखों को इकट्ठा किया जाय और उसको एक पर्यटक केन्द्र की तरह से डेवलप किया जाय ।

इसी तरह से निवेदन है कि हसनगंज तहसील में आम और अमरूद बहुत होता है इसलिए वहां पर आम और अमरूद के लिए प्रासेसिंग सेन्टर बना दिया जाय ।

इसी तरह से हसनगंज तहसील में आलू की पैदावार बहुत होती है । इसलिए निवेदन है कि वहां कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाय । हमारे क्षेत्र में एक गांव भौली है जिसकी आबादी 11/12 हजार है । वहां पर कोई स्कूल नहीं है । इसलिए निवेदन है कि वहां राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल की स्थापना की जाय ।

इसी तरह से मान्यवर, उन्नाव जिला डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट है । वहां छोटे-बड़े बहुत से उद्योग खुल रहे हैं । उसके लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता होगी । अगर उनकी पूर्ति बाहर से की गई, तो हमारे जिले का कोई लाभ नहीं होगा ।

इस वजह से मेरी मांग है कि उन्नाव जिले में पाली टेकनिक की स्थापना की जाय । मैंने बहुत सी बातें कहीं सरकार उन पर ध्यान देगी या नहीं देगी और उन पर अमल होगा या नहीं होगा यह तो सरकार जाने, लेकिन मैं एक शेर कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

"हर शाख पे उल्लू बैठे है अंजामे गुलिश्तां क्या होगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

इसका पूरा मिसरा नहीं पढ़ा गया है "बरबाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है ।"

श्री जंगबहादुर—

उपाध्यक्ष जी, हमारे वित्त मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें किसानों, मजदूरों और गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को उठाने के लिए काफी प्रयास किया गया है । लेकिन यह भी सत्य है कि चाहे किसी का भी शासन रहा हो बजट हर वर्ष प्रस्तुत होते रहे हैं और बजट का कितना रुपया उन गरीबों तक पहुंच पाता है इसमें मुझे सन्देह है । शायद एक तिहाई भी नहीं पहुंच पाता है । मैं आपसे निवेदन करूं कि इस बजट में जो यह कहा गया है कि 70% किसानों के हित में व्यय करने की योजना, बनाई गई है, देखना यह होगा वह कहाँ तक कसौटी पर सही उतरती है ? यह जो हमारे प्रदेश में 80 प्रतिशत किसान है जो दिन रात खेती में लगा रहता है चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो उनका पसीना सर से एड़ी तक पहुंच जाता है । दिन, रात वह संघर्ष करता है, मिट्टी को खोदता है और अन्न उत्पादन करने की कोशिश करता है । लेकिन आज उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है । इतना परिश्रम करने के बावजूद भी वह अपने बच्चों को नहीं जिला पाता है ।

हम अन्य प्रदेशों को भी देखें वहां के किसान इनसे अच्छे हैं । किसान को सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो जाय, खेत में डालने के लिए खाद की व्यवस्था हो जाय, बिजली की व्यवस्था हो जाय तो मैं समझता हूं कि किसान आत्म निर्भर हो जायगा और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी । जैसे ही किसान की स्थिति सुधरेगी उसी तरह से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतने दिन की आजादी के बाद भी भागीरथ प्रयत्न करने के बावजूद भी वही हुआ जैसे आकाश से गंगा उतरी तो शंकर की जटा में फंसकर रह गई । हमारी अर्थ व्यवस्था पूंजीपतियों के तिजोरियों तक रह गई । आज उस आजादी का लाभ मुट्ठी भर पूंजीपति उठा रहे हैं चाहें वह टाटा हो, बिरला हो अथवा डालमिया हो । बिरला की 50 करोड़ की पूंजी से उनकी पूंजी 500 करोड़ तक हो गई है । शासन को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा । जब तक अमीरी और गरीबी की खाई पटेगी नहीं और जिनके पास अधिक पैसा इकट्ठा हो गया है कानून के द्वारा अथवा टैक्स के द्वारा उसे कम नहीं किया जाता है तब तक नीचे का तबका गरीब का गरीब ही बना रहेगा आज समाज के अन्दर नैतिकता की कमी है ; ऊपर से नीचे तक हम ईमान दार नहीं हैं । जब तक लोगों के अन्दर ईमानदारी नहीं आएगी तब तक सारे देश और प्रदेश का उत्थान होना बड़ा कठिन है ।

हमारे विपक्ष के लोग हरिजनों और किसानों के हित की बात करते हैं । मैं उन्हें ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस शासन से पूर्व जो शासन था उसमें नौकरशाही, शासन और साहूकार के त्रिगुट बीच में इस प्रदेश की जनता अन्तिम सांस ले रही थी और दम तोड़ने की स्थिति में थी, जनता सत्ता से दूर हटती जा रही थी । चौधरी चरण सिंह ने क्या नहीं कहा था कि इस देश के अन्दर—गरीबों और अमीरों के बीच खाई बढ़ती जा रही है, क्या जगजीवन बाबू ने नहीं कहा था कि हरिजनों पर अत्याचार पहले की अपेक्षा बढ़ते जा रहे हैं ? यह विरोध पक्ष के लोग रिपोर्ट पढ़ते हैं, ऐसी तो घटनायें सदैव होती हैं, बढ़ैया कान्ड की घटना क्या आपको याद नहीं, प्रतापगढ़ के हरिजन छात्रावास से छात्रों को डाकू उठा ले गए, आजमगढ़ 60 हजार रुपए दिन दहाड़े बैंक के खजांची से छीन

लिया, लेकिन में कहना चाहता हूं कि जो भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, शासन को उस ओर ध्यान देना चाहिए।

इस तरह मेरे जनपद जौनपुर में 3–4 हत्याएं एक सप्ताह में जरूर हो जाती हैं, गरीबों की भूमि पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, पुलिस अधीक्षक के बंगले के नीचे गोली–बन्दूक–हथगोले लेकर भूमि हड़पो अभियान रहा है लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अराजक तत्वों को राजनीतिक नेताओं से बढ़ावा मिल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में 15–15 वर्ष से मेरे क्षेत्र में स्कूल चल रहे हैं लेकिन उनके भवन नहीं हैं। स्कूलों में टाट–पट्टियों का अभाव है और दूसरे देहरादून के विद्यालयों में 25 से लेकर 250 रुपए तक फीस देनी पड़ती है और उनके रहने खाने का भी अलग प्रबन्ध होता है। तो जो विषमता है शिक्षा में प्रदेश से विषमता दूर की जानी चाहिए। और सभी को शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए।

जनपद जौनपुर इस बार बाढ़ की चपेट में 46 जिलों में सबसे अधिक रहा, शासन ने बड़ी तत्परता से कार्य किया, किसी को भूखों नहीं मरने दिया, भवन आदि के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन शासन को देखना होगा कि क्या जौनपुर हमेशा इसी प्रकार बाढ़ की चपेट में आता रहेगा, इसे रोकने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, चाहे उसे बांध बनाना पड़े या कोई और व्यवस्था करनी हो।

हमारे इस बजट के अन्दर उद्योग–धंधों के लिए, उनको चलाने के लिए और जो उद्यमी हैं, पढ़े लिखे हैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, उनको हमारी सरकार ऋण देने के लिए भी व्यवस्था कर रही है।

मान्यवर, देश के उद्योग धंधे तभी पनपेंगे जब बिड़ला और टाटा अपने कारखानों में जो छोटी–छोटी चीजें हैं जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, तेल आदि बनाना बन्द करेंगे। इन चीजों के बड़े–बड़े कारखाने जब बन्द किये जायेंगे तो छोटे उद्योग धंधे पनप पायेंगे। बाटा का सवाल है, आज हरिजनों को सरकार ने पैसा दिया है कि जूता बनायें लेकिन बाटा के मुकाबले में वह नहीं टिक पायेंगे। तो यह जो बड़े–बड़े पूंजीपति छोटी–छोटी चीजें बनाते हैं इनको देहात के उद्योगों से, छोटे–छोटे उद्योग धंधों में बनवाया जाय तब यह छोटे–छोटे उद्योग धंधे पनप सकते हैं। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री विजय सिंह राना––

उपाध्यक्ष महोदय, 3 दिन की उठक बैठक करने के बाद आज आपने मौका दिया है इसके लिये मैं आपका अभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

आपकी सेहत का ख्याल रखा गया है।

श्री विजय सिंह राना––

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर तीन दिन से इस बजट की बड़ी बुहाई दी जा रही है कि यह जो बजट रखा गया यह कर विहीन बजट रखा गया है। हमारे सामने बैठे हुये लोग इसको अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। महोदय, दुनियां के इतिहास में किसी भी अर्थ शास्त्री की परिभाषा देखें, अब तक घाटे के बजट की प्रसंशा किसी ने नहीं की है और न घाटे का बजट प्रसंशा का विषय हों सकता है। मैं साफ–साफ बता देना चाहता हूं कि घाटे का बजट क्या होता है और टैक्स वाला बजट क्या होता है।

एक सदस्य--

पिछले वक्त 1977 में आप ही ने बजट बनाया था ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, इसमें कहा गया है कि :--

When the banking sector lends to the Government (this popuarly called deficit financing), and when the banking sector lends to the business sector. (The business sector includes the public sector enterprises also.)

यह जो परिभाषा है यह परिभाषा बताती है कि जब बैंकिंग सेक्टर सरकार को ऋण देने लगता है तो उसको घाटे का बजट कहते हैं और जब बैंकिंग सेक्टर उद्योगों को ऋण देने लगता है तो उसको करानुवृद्धि का बजट कहते हैं । महोदय, इसी के साथ-साथ यह बात कही गयी है, मैं फिर अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं । इसमें यह कहा गया है कि कोई भी मन्त्री जब घाटे का बजट प्रस्तुत करता है तो वह कर लगाने की नीति से बचना चाहता है केवल इसलिये घाटे का बजेट रखा जाता है । इसमें कहा गया है कि :--

So every year, as the Finance Minister prepares the nations's budget for the next year, he finds himself between the devils and the deep sea, either impose heavy taxes and incur the wrath of the people right now. or go in for deficit financing, which would mean incurring their with tomorrow either for him or for his successor.

महोदय, इसका मतलब है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है, घाटे का बजट इसलिये नहीं रखा जाता ह कि कर निर्धारण के द्वारा जो जनता का आक्रोश होता उससे सरकार बचना चाहती है ।

मान्यवर, यह बजट की विशेषता नहीं है बल्कि कमजोरी है । आज देश पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है तो आवश्यकता इस बात की है कि अपना दिमाग इस बात पर लगाया जाय कि बढ़ते हुये पूंजीवाद को रोकने के लिये किस-किस प्रकार के कर पूंजीवादियों पर लगायें । जिस व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं उसमें जब तक पूंजीवाद को नहीं रोका जायगा । तो यह देश व प्रदेश डूब जायगा । अतः प्रदेश में बढ़ते पूंजीवाद को रोकने के लिए उस पर ज्यादा कर भार डाला जाना चाहिये, हम कर लगा कर ही पूंजीपतियों की वृद्धि कर रोक लगा सकते हैं हमारी व्यवस्था में बन्दूक की गोली से पूंजीपतियों पर रोक लगाने की स्थिति नहीं है । तब तक इस देश की मूल्य नीति निर्धारित नहीं होगी और देश का भविष्य अंधकारमय रहेगा और इस वातावरण में सुधार नहीं हो सकता है । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि यह सरकार जो घाटे का बजट रख रही है और अपनी प्रसंशा इन चाटुकारों से करवा रही है तो मैं निवेदन करूंगा कि बजाय इसके अगर अपनी शक्ति और अपना मस्तिक इस पर लगाया होता कि करों से कहां कहां तक पूंजीवाद को रोका जा सकता है । मैं समझता हूं कि आज यह स्थिति न होती । पूंजीवाद से सारे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है । पूंजीवाद ने उत्पादन के ऊपर अपना एक एकाधिकार स्थापित कर लिया है । जब पूंजीवाद ने उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया तो पूंजीवादी को यह आवश्यकता नहीं है कि वह यह देखे कि जनता की कितनी आवश्यकतायें हैं और वह जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन व्यवस्था करे । पूंजीवाद का

उद्देश्य होता है कि देश के अन्दर किस प्रकार उनके मुनाफे में बढ़ोत्तरी हो। पूंजीवादी केवल उत्पादन उतना ही करना चाहता है, जिसे स्टोर करके उसे मुनाफा मिल जाय। हिन्दुस्तान लिवर लि० को ले लिया जये, वह नहीं चाहता है कि साबुन की टिकिया 1 रु० में बिके, वह चाहता है कि यदि उसे स्टोर कर लिया जाय तो वह 2 रु० में बिके।

पूंजीवादी व्यवस्था ने एक और कमी पैदा कर दी इस देश के अन्दर। सारे का सारा पैसा कुछ ही लोगों के पास है। सरकार ने काले धन को खुली छूट दे दी है। काले पैसे की कमजोरी यह है कि देश के उत्पादन और आर्थिक विकास में वह सहायक नहीं होता है। जो बजट रखा था इस प्रदेश की सरकार ने उसके द्वारा काले पैसे को खींचकर बाहर लाते। आज स्थिति यह है कि पैसे का जो मूल्य घट रहा है उससे बकों की जमावट भी घट रही है। जब पैसे का मूल्य कम किया जाता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, तो जनता भी पैसे को कैश जमा करने के बजाय इन काइण्ड्स जमा करना चाहती है। ऐसा पैसा देश के विकास में सहायक नहीं बन पाता। आज देश की स्थिति यह है कि आर्थिक बाजार हम लोगों की पकड़ से बाहर होता चला जा रहा है। कहीं भी सरकार ने ऐसा नहीं किया कि देश में इस व्यवस्था को रोकने के लिये कुछ किया जाता। मैं इस बात को मानता हूं कि इस देश की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने अपनी प्रतिभा को नहीं लगाया है और ऐसी कोई व्यवस्था की जिससे देश का बढ़ता हुआ पूंजीवाद घटता, उसे एक दिशा मिलती। महोदय, अब हमारी स्थिति यह हो गयी है कि बैंकों के अन्दर जमा ट की जो रकमें हैं, वे निरन्तर घटती जा रही हैं कारण यह है कि रुपये का अवमूल्यन हो गया है। जनता पैसे को कैश नहीं बल्कि "इन काइन्ड्स" जमा करना चाहती है। आधिक जमाओं के अनुपात 1977-78 में 67.6 प्रतिशत से घटकर 1978-79 में 51.9 प्रतिशत हो गया। 1978-79 की अन्तिम तिमाही के दौरान यह परिवर्तन और भी ज्यादा स्पष्ट था, जब कि कुल मुद्रा संभरण में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि 1977-78 में उसी अवधि के दौरान 50.8 प्रतिशत थी। मैं समझता हूं कि स्थिति और खराब हो रही है। सारे बजट का यह मुख्य पहलू है। हमको भी यहां से चीखना पड़ता है। आप स्वयं चिन्तन कीजिये और चिन्तन करने के बाद हमारे पास आयें। केवल चौधरी चरण सिंह को गाली देकर के आपको उससे कोई मदद नहीं मिल सकती। स्थिति यह है कि हम यहां बैठकर के चाहे जो भी कर लें, लेकिन बहरहाल जनता सब देख रही है।

[4 बजे अपरान्ह से]

जनता एक-एक को जानती है और आप सदन की कार्यवाही में चाहे जितनी सफाई दे दें लेकिन जनता में आप नहीं जा सकते हैं।

मान्यवर, आज देश की सम्पूर्ण स्थिति यह है कि जैसा कि श्री भोखालाल जी ने उन्नाव के बारे में कहा था कि सत्तापार्टी के जब एम० एल० ए०, एम० पी० और मिनिस्टर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो देश की स्थिति क्या होगी, यह आप जान सकते हैं। मान्यवर, दूसरा उदाहरण मैं आगरा जिले का देना चाहता हूं। हमारे यहाँ एक राजू आयल कम्पनी है, उसका मालिक कृष्ण कांत बुधिया है। उसके यहां 16 हजार लीटर डीजल, 10 हजार लीटर पेट्रोल और 66 हजार लीटर क्रूड आयल, जो उसने जमा कर रखा था, जिला अधिकारी ने पकड़ा। लेकिन तीन स्थानीय विधायकों ने 50 हजार रुपये में सौदा तय किया और

[विजय सिंह राना---]

उसको छुड़वाने की कोशिश किया। इसमें 10-10 हजार तीनों एम0 एल0 ए0 न बांटा और 20 हजार रुपये मिनिस्टर के लिये निर्धारित किया था। इस पर मन्त्री ने अनेकों बार जिला अधिकारी को टेलीफोन किया लेकिन जिला अधिकारी झुका नहीं और उसको छोड़ा नहीं। इस पर लोग उसकी चरित्र हत्या करन पर आ गय और यह बात मुख्य मन्त्री तक पहुंची किन्तु फिर भी मामले को नियन्त्रित नहीं किया गया। इसी तरह का एक और मामला आगरा का है कि विधायक ने 10 हजार रुपये की कोठी अपने नाम जबरदस्ती एलाट करा लिया और एक अन्य एम0 एल0 ए0 नें 3 कोठियां अपने नाम एलाट करा लिया ह। तो इस तरह कालाबाजारी को आप कैसे रोक पायेंगे जब आप की पार्टी के मन्त्री और विधायक ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जायेंगे, तो इस तरह अर्थ व्यवस्था और शासन कसे चलेगा ?

मान्यवर, इस बजट में सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की थी जबकि आपने पूरे आश्वासन दिये कि ग्रामीण विकास की जो योजनायें लोकप्रिय लोकदल की सरकार ने स्थापित की थीं उनको पूरा किया जायेगा लेकिन उसमें आपन क्या किया है। आपने झूठे आंकड़े दिये हैं कि 14 हजार किलो मीटर सड़कें खाद्यान्न योजना में बनायी गयी हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोकदल की सरकार के बाद आपकी सरकार ने मेरे जिले में एक फिट भी सड़क नहीं बनायी है, और यही स्थिति पूरे प्रदेश की है। आप अपनी आत्मप्रसंशा कुछ भी कर लें पर जनता को आप मुंह दिखाने लायक नहीं रह गये हैं। जब आप क्षेत्र में जायेंगे तो आपसे जनता पूछेगी कि पहले सरकार ने इतनी सड़कें बनवाई थीं और आपने कितनी बनायीं, तो आप क्या जवाब देंगे ? आप कहेंगे कि पूंजीपतियों का हम पिटारा भरते रहे। तो आपको कौन वोट देगा। पूंजीपतियों की तिजोरियों में वोट नहीं हैं। वोट जनता के हाथों में हैं और जनता के हाथ खाली हैं। क्या कभी आपने देश के बारे में सोचा है कि देश और प्रदेश कहां जा रहा है ? इसलिये अर्थ व्यवस्था और प्रदेश को सुदृढ़ बनाने के लिये आपको कुछ महत्वपूर्ण और विवेकपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे, नहीं तो आगामी आने वाली पीढ़ियां आपके नाम पर थूकेंगी।

आप क्षेत्र में जाने लायक नहीं रह गये हैं। इन्हें चिन्ता इस बात की है कि मंत्रियों के पास कितनी सुख-सुविधायें हों। आन्ध्र प्रदेश के आंकड़े मेरे पास हैं जिसमें एक मन्त्री पर कितना खर्च होता है। वहां प्रतिमाह एक मन्त्री पर 60,350 रुपये खर्च होते हैं। जिससे कि मन्त्री अपने सुख-सुविधा में डूबे हैं, उन्हें जनता का दुःख समझ में नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जायं, आपका समय समाप्त हुआ। आन्ध्र प्रदेश के आंकड़े दिये जा चुके हैं।

श्री विजय सिंह राना---

मान्यवर, अंत में मैं एक कविता कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं :---

बेसुध जो अपने सुख से, जिनको हैं सुप्त व्यथायें।
अवकाश कहां है उनको सुनने को करुण कथायें।

श्री राम नरेश शुक्ल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि इस बजट की सामान्य चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया । बधाई इसलिये देता हूं कि उन्होंने हमारी जो छठी पंचवर्षीय योजना है जिसके लिये वित्त मंत्री जी और मुख्य मन्त्री जी साथ–साथ बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने 6 हजार 2 सौ करोड़ रुपये का बजट इस प्रदेश के लिये रखा है । यह बात निश्चित है कि यह बजट, गरीबी की लड़ाई में, जो हमारे प्रदेश में हो रही है, जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है, जिसका क्षेत्र बहुत अधिक है, वहां यह बजट एक तलवार का काम करेगा । यह इसलिये निश्चित है कि छठी पंचवर्षीय योजना पूरी हो जाने पर आप देखेंगे कि प्रदेश की शक्ल ऐसी बदल जायेगी कि विपक्ष के लोग जो इस समय भद्दी तसवीर सामने रख रहे हैं, वह तसवीर बिलकुल बदल जायेगी । इस प्रदेश की शक्ल ऐसी निकल आयेगी कि जिसका मुकाबला ही नहीं होगा ।

इस बजट में सहकारिता विभाग के वितरण की प्रणाली हमारी सरकार ले आयी है । मैं विपक्ष के लोगों से निवेदन करूंगा कि वे इस वितरण प्रणाली को अपना समर्थन और सहायता दें क्योंकि जब तक वितरण व्यक्ति के हाथ में रहेगा तब तक पूंजीवादी व्यवस्था पनपेगी, फैलेगी और आग बढ़ेगी । इसलिए यह वितरण की व्यवस्था जो की गयी है उसे सभी पक्षों के विश्वास एवं सहयोग की जरूरत है । हम सब, आप सब इसमें सहायता दें क्योंकि आपके सहयोग से यदि यह वितरण प्रणाली सफल हो गयी तो हमारी और आपकी मंजिल पूरी हो जाती है ।

(इस समय 4 बजकर 7 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

इसके अतिरिक्त इस बजट में सिंचाई पर बड़ा जोर दिया गया है । यह बात अपनी जगह पर निश्चित है, कि प्रदेश की उन्नति तभी होगी जब इस प्रदेश के किसानों की उन्नति हो और किसानों की उन्नति तभी होगी जब उनके छोटे–बड़े परिवार पेट भर भोजन पायें । उनका पेट तभी भरेगा जब हमारे छोटे–बड़े सभी खेतों में पैदावार हो । पैदावार अच्छी होने के लिये अन्य चीजों के अलावा पानी की बड़ी आवश्यकता है । तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बजट में सिंचाई के लिये काफी ध्यान दिया है । किन्तु मैं अपना एक सुझाव भी देना चाहता हूं जो भी नलकूप और नहरों की व्यवस्था की गयी है वह काफी नहीं है, क्योंकि हमारा प्रदेश नदियों से भरा हुआ प्रदेश है । यह खुशी की बात है और साथ ही साथ गर्व की भी बात है कि हमारे यहां गंगा, जमुना और गोमती जैसी नदियां हैं और इसके अतिरिक्त भी अन्य छोटी–बड़ी नदियां हैं जो सिंचाई में सहायक सिद्ध होती हैं । किन्तु इन नदियों से कटाव के कारण भूमि की स्थिति ऐसी हो गयी है, कि बड़े नलकूपों के द्वारा वहां सिंचाई नहीं हो सकती है और नहरें वहां तक पहुंच नही सकती हैं । नदियों के दोनों तरफ कम से कम 4–5 मील तक ऐसी ही कटाव की भूमि पड़ी हुई है । इसलिये मैं आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह छोटे–छोटे नलकूपों की भी व्यवस्था करे । छोटे नलकूपों से 100 एकड़ तक की सिंचाई हो सकती है । नदियों के किनारे जो 100–100 एकड़ और 50–50 एकड़ भूमि पड़ी हुई है छोटे नलकूपों द्वारा वहां भी सिंचाई हो सके, तो वहां की पैदावार इस तरीके से बढ़ जायेगी ।

[श्री राम नरेश शुक्ल—]

मुझ तो इसका अनुभव है क्योंकि हमारा क्षेत्र सई नदी से दो हिस्सों में बंटता है। प्रतापगढ़ के गड़वारा क्षेत्र में सई के दोनों किनारे पर 5—6 मील जमीन बहुत उपजाऊ है और कटाव के कारण सिंचाई नहीं हो सकती। यहां छोटे नलकूप लगने चाहिए। जो सुझाव मैंने दिये हैं, उनसे इस प्रदेश की पैदावार काफी बढ़ जायगी।

इसके अतिरिक्त मैं यह बात जरूर कहूंगा कि चाहे पूंजीवादी व्यवस्था हो या साम्यवादी व्यवस्था हो अथवा प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो, लेकिन सारी व्यवस्थाओं में जो जरूरी चीज है वह पैदावार। पैदावार जहां ज्यादा होगी, पैदावार जहां बढ़ेगी, पैदावार जहां पर जरूरत से ज्यादा होगी वहां के लोग सुखी होंगे। इसलिए इन व्यवस्थाओं के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए।

दूसरी चीज यह है, अध्यक्ष महोदय, कि अभी पिछले दिनों में सारे प्रदेश में बाढ़ आई थी। विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के मध्य भाग और पूर्वी भाग में। इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं, कि जब बाढ़ आती है तो करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं राहत के काम में, मैं तो चाहूंगा कि इसके लिए एक मुस्तकिल, परमानेन्ट योजना के निर्माण पर भी विचार होना चाहिए जिससे भविष्य में बाढ़ न आ सके। हमारे मुख्य मन्त्री जो बधाई के पात्र हैं कि कम से कम इस बाढ़ में कोई मरने नहीं पाया, तकलीफ जरूर हुई। खाने का सामान पहुंचाने का सारा प्रबन्ध किया गया। लेकिन बाढ़ के हल पर विचार होना चाहिए। अति वर्षा का मतलब बाढ़ नहीं होता। अति वर्षा का मतलब पानी की रुकावट, वाटर लागिंग से है जिसके जरिये से खेतों की, घरों की बरबादी होती है।

तो मेरा निवेदन यह है कि इस बजट में इसका प्राविधान होना चाहिए था कि बाढ़ के बाद जो अनुभव प्राप्त हुआ उसके अनुसार प्रत्येक जिले के गांवों में क्या-क्या प्रबन्ध किया जाय कि उस की पुनरावृत्ति न हो। बहुत से गांव जैसे सई, गोमती के किनारे हैं, निचले हिस्से में हैं, उनको ऊपर बसाने का क्या प्रबन्ध किया जाय। जहां पर सामान नहीं पहुंचाया जा सकता वहां पर आने-जाने का रास्ता हो। इसका इस बजट में प्राविधान होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि अतिवर्षा या बाढ़ आये उस समय उसका मुकाबला किया जाय और उसके बाद चुपचाप बैठा जाय कि जब बाढ़ आयेगी फिर प्रबन्ध किया जायगा, यह सही नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस पर चाहे कोई कमीशन बैठाया जाय या इस सदन की एक कमेटी बनाई जाय जो बाढ़ के बाद आगे बाढ़ न आये इसके बारे में संस्तुति करे। इसका इस बजट में कुछ संकेत मिलना चाहिए था।

इस के अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, वह देश डेवलेप माना जाता है जिस का यातायात अच्छा हो। यातायात अगर अच्छा है और आने-जाने की सुविधा है तो उसका प्रभाव पैदावार पर भी पड़ता है, वितरण पर भी पड़ता है और भावों पर भी पड़ता है। सड़कों का निर्माण बहुत जरूरी है। सड़कें बहुत कम हैं। मैं अपने जिले की बात कह सकता हूं। मेरे ही क्षेत्र में आधा हिस्सा ऐसा है कि उसमें आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है ये सगरा, सिंघनी स्थान है। अनेकों बार, कभी सदन में, कभी सदन से बाहर प्रार्थना की कि वहां सड़क बनवा दी जाय। जनता पार्टी ने वहां एक सड़क बनवानी शुरू की थी। आप

जानते हैं कि वह सरकार कितनी चल पाई । लेकिन वहां जाने पर आप देखेंगे कि वहां पर सड़क हर साल बनाई जाती है और हर साल वह बह जाती है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उस सड़क को जल्दी बना दें । हर साल बने और हर साल बह जाय यह बात ठीक नहीं है । इसी प्रकार दूसरी सड़क और है लोलापुर से कमरुआ तेजगढ़ से होते हुये जाती है । उसकी भी वही दशा है । दो वर्ष से उस सड़क में काम हो रहा है और साल भर तक बनने के बाद बरसात में वह खतम हो जाती है । पता नहीं उस विभाग के लोग कैसे काम करते हैं । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसका उचित प्रबन्ध होना चाहिए ।

दूसरी बात, मान्यवर, यह है कि यहां पर यह कहा गया कि इस बजट में कोई कर नहीं लगाया गया । मैं कहता हूं कर लगना चाहिए और उसके ऊपर जो कर देने के लायक हैं । क्योंकि अन्डर डेवेलप्ड कन्ट्रीज होती हैं उनमें कर न लगने से वे डेवलप नहीं कर सकती हैं । इसलिए जिनके पास पैसा है, जो कर देने के लायक हैं उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कर लगाना चाहिए और उसके द्वारा प्रदेश का विकास करना चाहिए क्योंकि जहां जितना अधिक कर लगता है वहां का उतना अधिक विकास होता है यह समाजवाद की थ्योरी है । इस लिए जो छोटी-छोटी चीजें हैं उनको उठाना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं । जैसा कि अभी हमारे दोस्त भीखालाल जी ने कहा कि गेहूं आदि के भाव बाजार में बढ़ गये हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि किसान को उनकी उपज का ज्यादा मूल्य मिलना चाहिए । यह दोनों बातें कैसे सम्भव हैं ? अन्त में मान्यवर, मैं आपके द्वारा सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना सुन्दर बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया है ।

श्री अकबर हुसैन—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट में बोलने का अवसर दिया है । यह बजट तो दिशाहीन है ही लेकिन उसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है उससे यह आभास होता है कि यह माननीय मुख्य मन्त्री जी और माननीय वित मन्त्री जी की सलाह के बगैर बना दिया गया है । उन्होंने इसको पढ़ा ही नहीं है । क्योंकि इसमें मुख्य मन्त्री जी ने बजट के घाटे को पूरा करने के लिये गरीब लोगों को भी नहीं बख्शा है जैसे कि ट्रांसपोर्ट का किराया 25 प्रतिशत बढ़ा दिया है । इससे भी घाटा पूरा नहीं होगा यह समझ कर उन्होंने शराब जैसी गन्दी चीज के लिये भी कह दिया कि उससे राजस्व प्राप्त होगा और उसको खोल दिया । उस वक्त भी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि इस सुरा के साथ सुन्दरी भी उपलब्ध करा दी जाय तो आपका और जो घाटा है वह पूरा हो जायेगा । मान्यवर, मैं बजट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । कुछ सदस्यों ने यहां पर यह कहा कि जनता सरकार ने सारा भंडार खाली कर दिया ।

जनता सरकार ने खाद्यान्न योजना चलाई थी जिसका मकसद यह था कि गांवों को सड़कों से जोड़ना, सूखे की स्थिति का मुकाबला करना, प्रदेश में भुखमरी की स्थिति का सामना करना और उनको रोजगार देना । कोई हमने यह भंडार बंगलादेश और रूस को तो भेजा नहीं । भंडार खाली किया हमने तो अपने ही लोगों पर उसको लगाया जो कि भूखों मर रहे थे । मैं सत्ता पक्ष के विधायकों से कहना चाहता हूं कि जो बात वे कहते हैं, दिल से नहीं कहते हैं लेकिन मजबूर हैं अपने आकाओं की वजह से । कुछ न कुछ कहना ही पड़ता है । जो वह बताते हैं वही कहते हैं लेकिन जो इस तरफ के सदस्य हैं उनसे जो जनता कहती है उसको यहां पर कहते हैं लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य वही बात कहते हैं जो इनसे कहलवाई

[श्री अकबर हुसेन]

जाती है इसलिए सही बात नहीं कह सकते हैं। (व्यवधान) रिजवी साहब नाराज हो जायेंगे।

इसके अलावा हमारे मंत्रियों के जो आदेश होते हैं उनका पालन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता है उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी तहसील में 8 मुसलमान लेखपालों का स्थानान्तरण किया गया जिसकी शिकायत माननीय मुख्य मन्त्री जी और माननीय राजस्व मन्त्री जी से की गयी। इसके बाद एक मुसलमान कानूनगो का भी स्थानान्तरण कर दिया गया एक इ0 ओ0 मुसलमान था उसका भी ट्रांसफर कर दिया गया। तो यह आपके सैकुलर सरकार का नमूना है। आपके द्वारा आर्डर किया गया 12 अगस्त को दो बार मुख्य मन्त्री जी और राजस्व मन्त्री जी ने टेलीफोन किया और वायरलैस से आदेश भेजे कि बताया जाय कि स्थानान्तरण को क्यों नहीं रोका गया। लेकिन 6 महीने हो गये हैं अभी भी उन आदेशों का पालन नहीं हुआ है। डी0 एम0 से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह आदेश सरकार ने वापस ले लिये हैं और इस तरह के आदेश तो सरकार के आते ही रहते हैं। लेकिन सेक्रेटरी साहब से मालूम हुआ कि कोई आदेश वापस नहीं लिये हैं।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जो यह सरकार सैकुलरिजम का ढिंढोरा पीटती है मैं बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में एक गांव ग्वालखेड़ा है जिसकी आबादी एक हजार है जिसमें 6 सौ हिन्दू और 4 सौ मुसलमान हैं। वहां पर एक कच्ची मस्जिद थी उसको तोड़ कर वह पक्का बनाना चाहते थे लेकिन उसको रुकवा दिया। जबकि 6 सौ की आबादी के लिए दो मंदिर हैं लेकिन 4 सौ के लिए एक मस्जिद नहीं हो सकती। जबकि वहां पर कच्ची मस्जिद हमेशा से थी।

मान्यवर, उधर के माननीय सदस्य कह रहे थे कि सिंचाई के लिए इस बजट में बहुत बड़ा प्रोवीजन किया गया है। उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। निगम के द्वारा प्रदेश में नलकूप बनवाये जा रहे हैं जिसके लिए वर्ल्ड बैंक से सहायता मिल रही है। उसके लिए आपका विद्युत विभाग आज तक बिजली नहीं दे रहा है जिसकी वजह से वह प्रोग्राम बन्द है और जो रुपया वर्ल्ड बैंक ने दिया है उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है जिसका अंजाम यह होगा कि आगे वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं देगा और आपकी योजनायें बन्द हो जायेगी।

मेरे क्षेत्र में एक भगतपुर गांव है उसमें 40 मुसलमान परिवार रहते हैं यह कुड़ थाने में पड़ता है जो बिलारी क्षेत्र में नहीं है। इनमें से 9 आदमी ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं उनकी जो बहुसंख्यक हैं वह उस संप्रदाय के हैं जिससे माननीय मुख्य मन्त्री जी का वास्ता है। तो उन लोगों ने इन 9 मजदूरों से जबरदस्ती मजदूरी करने के लिए कहा। उनके मना करने पर उनको मारा पीटा गया और उनकी लाखों की संपत्ति थी उनका जो भी सामान था वह सब लूट लिया गया और वह बेचारे गांव से बाहर भाग गये हैं। उनको बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसकी शिकायत चाहे जिस अधिकारी से करें, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम क्या जब हमारे मन्त्रियों के आदेश मानने के लिए वह तैयार नहीं हैं? अन्त में मैं रिजवी साहब को, चूंकि उनको शेर सुनने का बहुत शौक है, एक शेर सुनाना चाहता हूं--

वही कातिल, वही मुजरिम, वही मुंसिफ

अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर।

यह सब आपकी शह पर हो रहा है, वरना यह मनमानी नहीं कर सकते हैं।

तो, पुलिस वालों को क्यूं अहल कहते हैं वतन वाले,]

जो शह हम पर निहां है उन फरिश्तों पर अयां होगी।

नजर है इनकी आदी, मुजरिमों पर इस कदर गहरी,

अगर चाहें बता सकते हैं चोरी कल कहां होगी,

अन्त में मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री अम्मार रिजवी––

मैं शेर का जवाब तो शेर में नहीं दे सकता हूं, लेकिन इन्होंने पुलिस वालों और शासन के बारे में जो कुछ कहा है, उसके बारे में कहना चाहता हूं जो फारसी में कहा गया है––

'वली रा वली खूब भी शिनासदे, यानी वली ही वली को पहचानता है।

*श्री गोरे लाल शाक्य––

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से बजट भाषण पर अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं और इसका समर्थन करता हूं। हमारे विरोधी दल के लोग थोड़ी सी कांस्ट्रक्टिव आलोचना करते हैं लेकिन अधिकतर कांस्ट्रक्टिव आलोचना नहीं करते हैं। इसके लिए हम विपक्ष को ही दोषी नहीं ठहराते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों को ठहराते हैं। विपक्ष की जोरदार शब्दों में यह मांग होनी चाहिए थी कि राजनैतिक दलों के लिए एक कोड आफ कांडक्ट बने लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहा है और ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। हमारी समझ से सत्ताधारी पक्ष की बनिस्वत विरोधी दल की जिम्मेदारी अधिक ज्यादा है। जो सरकार ने किया, हम लोग उस सम्बन्ध में सुझाव देते हैं, सरकार के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन बाद में हम यह भी कह देते हैं कि हम लोगों के निम्न सुझाव हैं। परन्तु यह तो सपने में भी नहीं कहते हैं कि सरकार की यह अच्छी योजना है। आप लोग तो कोई भी अच्छी बात को मानना ही नहीं चाहते हैं। जैसे हमारे बुनकरों के लिए जो सुविधा सरकार ने दी है, उसकी तरफ इनका ध्यान ही नहीं गया है। इससे हमारे लाखों बुनकरों को लाभ पहुंचा है। छात्र कल्याण कोष की स्थापना की गई है, इसकी तरफ आप देखते ही नहीं हैं। हमारे यहां ग्रामीण अंचल के लिए एक आवास परिषद् अलग से बनाने की जो योजना है, उसकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। जितनी बीमार और बन्द मिलें थीं, उनको चालू कर दिया गया है, आपने उसकी भी कोई प्रशंसा नहीं की है। निर्बल वर्ग के 80 हजार लोगों को आसामी बना दिया गया है, आप उसकी भी कोई प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए बात कही गई है, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं गया है। तो इस तरह के सैकड़ों कार्य हैं, जो कल्याणकारी हैं सरकार ने की है, उनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये था। 6ठवीं योजना के अंत तक जल समस्या को पूर्ण रूप से हल करने के लिए जो संकल्प लिया गया है, उसको किसी ने दोहराया नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय, सदन में कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।)

श्री गोरे लाल शाक्य--

माननीय, इस हिन्दुस्तान में और उत्तर प्रदेश में लाखों मजदूर, किसान या पढ़े-लिखे लोग चक्कर काटते हैं कचहरियों के, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं । मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए और कानूनी व्यवस्था के लिए भी अच्छा कदम उठाया गया है लेकिन इसकी ओर भी आपका ध्यान नहीं है । इसके साथ ही माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय रियासत हुसैन ने जो कहा उनके संभाषण की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस श्रीमती इन्दिरा गांधी पर उन्होंने आरोप लगाया और यह कहा कि इन्दिरा गांधी तुष्टीकरण की नीति अपना रही हैं तो माननीया इन्दिरा जी की वजह से ही माननीय रियासत हुसैन विपक्ष में आप बैठ रहे हैं, अगर उनकी चलती तो आपको कहीं और भेज दिया गया होता । आपने उन पर चार्ज लगाया और कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान की जगह गोली, कफन और कब्रिस्तान दिया । मैं कहना चाहता हूं कि आपने यह जो चार्ज लगाया है, वह बिल्कुल निराधार है ।

श्री रियासत हुसैन--

मुरादाबाद के कान्ड पर कमीशन एप्वाइन्ट करा दीजिये सब सामने आ जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री गोरे लाल शाक्य--

हम आपसे दोस्ती मानते हैं लेकिन आपकी स्पीच से हमें ऐसा सोचना पड़ रहा है कि हम आपसे दोस्ती रखें या न रखें । आपने देखा कि हमारी सरकार ने बाढ़ के लिए और जलप्लावन के लिए सौ करोड़ रुपये की यहां सहायता बांटी । इसमें 40 करोड़ केन्द्र सरकार ने और 50-60 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार ने दिया । ऐसी कोई मिसाल नहीं है जब कि इतनी सहायता दी गई हो, यह ऐतिहासिक सहायता है जिसकी आपको प्रशंसा करनी चाहिये । यह विषय कोई उत्तर प्रदेश का नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूं, अगर आप लोगों की बात को मान लिया जाय तो जो स्थिति आज चल रही है, जैसी शासन व्यवस्था चल रही है, उसमें अराजकता की स्थिति हो जाय । आसाम की समस्या का जिक्र किया गया, आप लोग उसका समर्थन करते हैं, यह बहुत कलंक की बात है । अगर उत्तर प्रदेश में उन्हीं फार्मूलों को अपना लिया जाय तो आज उत्तर प्रदेश से या पंजाब से यहां पर जो लोग व्यापार के लिए आ रहे हैं ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य बैठ जायें । श्री शाक्य, विषय से बाहर न जाकर आसन्दी पर बोलें ।

श्री गोरे लाल शाक्य--

माननीय, आपके माध्यम से, मैं इतना कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने जो भी अच्छे से अच्छा बजट हो सकता था, उतना अच्छा बजट बनाकर प्रस्तुत किया है। सारे मसलों का, सारी समस्याओं का एक साथ समाधान नहीं किया जा सकता। इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

जयहिन्द।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज मुझे बोलने का अवसर दिया। आज यहां पर सत्ता पक्ष की ओर से दुहाई दी जा रही है कि प्रदेश के बजट में कोई कर नहीं लगाया गया है। यह बात शोचनीय है कि इससे पूर्व 23 अरब रुपये का भार हमारे प्रदेश के किसानों पर डीजल, मिट्टी के तेल और खाद के रूप में डाला है और आज फिर 11 अरब रुपये का किसानों पर डीजल महंगा कर भार लाद दिया गया है। मैं तो कहता हूं कि इसके लिए सत्ता पक्ष के लोगों का सर शर्म से झुक जाना चाहिये। 23 अरब और 11 अरब, अर्थात् 34 अरब रुपया किसानों की जेब से निकाल कर भी इनको सब्र नहीं हुआ है। इसके बावजूद बिजली की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था और अन्य हमारी जिन्दगी की जरूरत की चीजों की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं परन्तु फिर भी ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने यह किया और वह किया। वास्तविकता तो यह है कि हमारी सरकार हर मायनों में असफल रही है।

आज हमारा प्रदेश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है लेकिन दुःख की बात यह है कि प्रदेश की पोलिसी गलत होने के कारण आज प्रदेश में गेहूं का एक दाना भी सस्ते गल्ले की दुकानों पर उपलब्ध नहीं है। सारा गल्ला किसानों की जेबों से निकालकर केन्द्रीय सरकार की जेब में भर दिया गया है और आज यह निकम्मा मंत्रिमंडल चिल्ला रहा है कि एक दाना नहीं मिलेगा। चावल की भी वही स्थिति है। चावल भी केन्द्रीय सरकार को दिया जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में यह प्रदेश चावल के लिए भी दाने-दाने को तरसेगा। मेरा एक सुझाव है कि इस प्रदेश में हमारे भंडारण की स्थिति करोड़ों टन की है और हम लोगों की स्थिति गल्ला खरीदने की भी है।

मेरी प्रार्थना है कि प्रदेश का मंत्रिमंडल इस बात को सोचे कि प्रदेश की जनता भूखों मर रही है। हमारी गरीब जनता आज महंगाई के बोझ से मर रही है लेकिन आपको रिश्वत खोरी से ही फुर्सत नहीं है। आपकी सरकार आज भी प्रदेश की जनता को अन्न देने में असमर्थ है। मेरा तो कहना केवल यह है कि हमारे प्रदेश में अन्न की कमी नहीं है, कमी अगर किसी चीज की है तो वह व्यवस्था की है, हमारी पोलिसी मैटर की है। हमारे भंडारण की स्थिति करोड़ों टन की है लेकिन गल्ला किसानों से खरीदा जाता है एफ० सी० आई० को दे दिया जाता है। हम इस गल्ले को खरीद कर अपने स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के गोदामों में भंडारण कर सकते हैं। यदि हमारी सरकार के पास पैसे की व्यवस्था नहीं है राष्ट्रीयकृत हमारे बैंक हैं अन्न के भंडारण पर हमें 75 प्रतिशत का एडवान्स कर सकते हैं। अनाज पर जो सबसिडी केन्द्रीय सरकार देती है वह हमारे भंडारण पर भी मंत्रिमंडल लेना केन्द्रीय सरकार से तय कर सकती है। हमारे मंत्रिमंडल के ही निकम्मेपन की बात है कि आज प्रदेश को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। 30 वर्षों से देश में कांग्रेस का शासन है लेकिन

[बलबीर सिंह–रामपुर]

बिजली की कोई सुव्यवस्था नहीं हो पायी है । डीजल के वितरण के लिए भी देहातों में पैट्रोल पंम्प की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । मेरा सुझाव है कि अगर हर 5 किलो मीटर नहीं तो कम से कम 10 किलो मीटर के फासले पर डीजल वितरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प्स की व्यवस्था की जाय और शहरी क्षेत्रों में भविष्य में पेट्रोल पम्पस के लाइसेन्स न दिये जायं । आज सीमेंट, कोयला, गेहूं, चीनी हर चीज का अभाव है । सीमेंट अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर से रामपुर जिले को 2400 टन आबंटित किया गया, लेकिन दुर्व्यवस्था के कारण केवल 525 टन सीमेंट रामपुर को पहुंचा । लानत है ऐसे मंत्रिमंडल को, सोचना, विचार करना है, ऐसे मंत्रिमंडल को हम क्या कर रहे हैं । सिवाय अपने–अपने जिलों को, अपने–अपने क्षेत्र को बनाने में लगे हुए हैं, बाकी सबको एक तरफ रख दिया गया । आज गन्ना जब किसान का मंहगा होने लगा तो पूंजीपति ने मंत्रि मंडल को पकड़ा । [× × ×] कि क्शर चीनी पर 50 प्रतिशत लेवी लगा दी जाय । क्यों लगा दी जाय ?

श्री अध्यक्ष––

माननीय सदस्य, कृपया इस तरह की आरोपात्मक बात भाषित न करें ।

(व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)––

इन्होंने क्यों लगाई लेवी क्रेसर चीनी पर ?

श्री अध्यक्ष––

माननीय सदस्य आपने अपने भाषण के दौरान माननीय मंत्रियों के लिए यह कहा [×××] इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय । यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं रहेगा ।

(व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)––

ये लोग जब पालिसी बनाते हैं, तो ये क्यों नहीं सोचते । आज कहीं पर गरीब मजदूरों की हड़ताल है, तो कहीं पर कर्मचारियों की हड़ताल है । लेकिन य मंत्री लोग सो गये हैं । इनके कानों में रुई पड़ गयी है और ये सुनने के बावजूद भी बहरे हो गये हैं । इन्होंने यह नहीं सोचा कि रजा टेक्सटाइल रामपुर के 4 हजार मजदूरों का क्या होगा ? मिल मालिकों से मिल कर गरीबों की गर्दनें काटी जा रही हैं और उन गरीब परिवारों का कोई ख्याल नहीं किया गया । लानत है ऐसे मंत्रिमंडल का । समाजवाद का थोथा नारा देने वाली सरकार शहर में 24 घंटे बिजली देती है और गांव में 7 घंटे बिजली देती है और बात करते हैं ग्राम्य विकास की । अरे क्या करोगे ग्राम्य विकास, जहाँ पर खाद नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, बिजली नहीं दे सकते, तो इस तरह से कैसे ग्रामों का विकास कर सकते हैं ।

[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आपके शासनकाल में तो आज रहने के लिए मकान भी एम0 एल0 एज0 को आठ माह में नहीं मिल सका। पूरे सदस्यों को अभी तक टेलीफोन की व्यवस्था नहीं की गयी है, जबकि टलीफोन लगाने के लिए पैसे जमा हैं। आज देश और प्रदेश में सड़कों की, अस्पतालों की इतनी बुरी हालत है कि किसी भी सड़क पर चले जाइये, सड़कें ठीक नहीं मिलेंगी। किसी भी अस्पताल में चले जाइये, किसी भी गरीब भाई को कोई भी दवा सिवाय ए0 पी0 सी0 की गोली और लाल रंग के घोल के और कुछ भी नहीं उपलब्ध है। अगर कोई गरीब जाता है, चिट लिख दी जाती है, जाइये दवाई लाइये। और मरने के बिस्तर पर मरीज पड़ा होता है, डाक्टर कहता है जाइये लाइये दवाई। इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं और बजट का विरोध करता हूं, जिसमें सड़कों के लिए, दवाइयों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तथा महंगाई के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है।

श्री सरदार सिंह--

अध्यक्ष महोदय, हमारे मथुरा जिले को रिफाइनरी मिल और किसानों से जमीन ले ली गयी। दुर्भाग्य से मथुरा जिला पश्चिम में गिना जाता है लेकिन स्थिति पूर्वी जिलों से बदतर है। पानी वहां का खारी है। रिफाइनरी इस आशा से लगी थी कि वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और इस आशा को प्रत्याशा में किसानों ने अपनी जमीन सरकार को दे दी। जैसे-जैसे रिफाइनरी बनती जा रही है थोड़ा बहुत रोजगार मिलता जा रहा है बाहर के लोगों को और वहां के लोगों के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। कहा जाता है कि यह टेक्निकल चीज है जिससे वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था की जाय ताकि जो बेरोजगार नौजवान हैं उसे प्रशिक्षित किया जा सके और वह फिर रिफाइनरी में लग सकें वर्ना वहां के लोगों के लिए दरवाजे बन्द हैं। जितने इन्टरव्यू हो रहे हैं वह बरौनी में कर रहे हैं मथुरा जिले में नहीं। मथुरा रिफाइनरी में 1200 आदमी लगेंग 200 आफिसर और 1000 वर्कर्स। इससे बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी जब तक पेट्रो केमिकल इंडस्ट्री वहां नहीं लगेगी। मुझे उम्मीद थी कि इसी बजट में इसकी व्यवस्था होगी कि मथुरा में ही पेट्रो केमिकल और नेप्था पर आधारित उद्योग लगेंगे लेकिन वह नहीं किया गया है।

मान्यवर, मांट ब्रांच गंगा नहर से वहां 30 प्रतिशत जमीन की ही सिंचाई हो पाती है, 70 फीसदी के लिए व्यवस्था नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए नलकूप लगवाये जायं। ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। तावान की भी शिकायत है। होता यह है कि पतरौल किसानों से मिलकर रजबहे को अथवा नहर को तुड़वाता है और जब वह टूट जाता है तो किसानों की फसल चौपट हो जाती है और सरकार उल्टे उन पर तावान लगा देती है जिससे लोग परेशान होते हैं। लोगों ने वहां के एक्जिक्यूटिव इंजीनियर के सामने अनशन किया और एक्जिक्यूटिव इंजीनियर चौधरी साहब से कहा कि इतना कमीशन और तावान क्यों खाते हो तो चौधरी साहब ने कहा कि यह कमीशन ऊपर तक जाता है। सरकारी कर्मचारी होने के नाते खुलकर हम नहीं कह सकते। चौधरी साहब ने यहां तक कहा कि यह कमीशन मंत्री तक खाते हैं। इसलिए यह तावान तथा कमीशन लगाना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि यह जो कमीशन की व्यवस्था है चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग हो अथवा सिंचाई विभाग हो 25 प्रतिशत तक इंजीनियर साहब पहले ही इसे ले लेते हैं, इसके बाद काम शुरू होता है। मेरा निवेदन है कि इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कृपा करें। मान्यवर, जितने एस0 एफ0

[श्री सरदार सिंह]

डी0 ए0 के प्रोजेक्ट हैं और जो किसानों को भैंस और सरकार की तरफ से ऋण मिलता है, उसमें कमीशन के रूप में सरकारी कर्मचारी खा जाते हैं। जब किसान स्वयं पैसे से भैंस लेता है, तो उसको सस्ती पड़ती है लेकिन जब सरकार के जरिये से लेता है, जो ज्यादा कीमत पर मिलती है। इसलिए गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं हो रहा है।

मान्यवर, जो भी गूलें बनवाई गई हैं वे बहुत कमजोर हैं। जिस समय पानी चलता है, तो पानी फूटकर दूसरों के खेतों में चला जाता है और किसानों के खेतों में पहुंचता ही नहीं–आधा बाहर ही रह जाता है। जो गूलें टूट जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, तो उनको ठीक करने की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है।

एक चीज यह कहना चाहता हूं कि चूंकि यहां रिफाइनरी खुल गयी है उसके बारे में है। गोकुल और मधुवन धार्मिक स्थान हैं, लेकिन वहां के लोग कह नहीं रहे हैं वहां पानी अच्छा नहीं और न अन्य कोई व्यवस्था है, जीविकोपार्जन की। सिवाय इसके कि वे पंडागीरी करें, और कोई काम नहीं। पंडागीरी में भी अब कुछ नहीं रहा। इसलिए निवेदन है कि गोकुल के पास जो ब्रिज बनाया जाय जिससे रिफाइनरी से उनका सीधा सम्बन्ध हो जाय। जो बाहर से लोग आये हैं, उनके आवास की भी अव्यवस्था रहती है। इस बांध से आवास की भी समस्या सुधर जायेगी।

मान्यवर, मेरे यहां रसखान की समाधि है। उनको हिन्दू और मुसलमान दोनों मानते हैं। लेकिन उनकी समाधि की दुर्दशा हो रही है। इसलिये निवेदन करूंगा कि उसको पर्यटन स्थल बनाया जाय। इसी तरह से वहां राजा महेन्द्र प्रताप, जोकि एक सेनानी रहे हैं, की समाधि की भी दुर्दशा हो रही है। अतः निवेदन है कि इन दोनों महान पुरुषों की समाधियों को ठीक कराया जाय और इनको दर्शनीय स्थल घोषित करें।

*श्री इन्द्रजीत––

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका अभारी हूं।

मान्यवर, यह सामान्य बजट जिसको माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, को हमारे विरोधी पक्ष के सभी लोगों ने मार्महीन कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आपके ढाई वर्ष के जो काले कारनामे रहे हैं, उन्हीं की वजह से जनता ने इसको यह परिणाम दिया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने सामान्य प्रशासन की चुस्ती के लिये डिवीजन स्तर पर इन्चार्ज बनाया है, उसमें सुझाव है कि जो भी डिवीजन के विधायक हैं और डी0 आई0 जी0 और कमिश्नर हैं, वे ऐक्टिव पार्ट लें ताकि लोकल समस्याओं का समाधान हो सके और जो जनता की कठिनाइयां हैं, उनको ठीक करने के उपाय सोचे जायं। जिला स्तर पर अधिकारियों की निगरानी समितियां बनायी जायं ताकि चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग हों, अधिकारी लोग उसकी बातों का ठीक से पालन नहीं करते। उस तरफ कुछ काम हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

दूसरे, खाद्यान्न योजना में जो सड़कें बनायी गयी हैं, हमारे जनपद में हमारे मजदूरों को खाद्यान्न योजना का गल्ला नहीं दिया गया। फतेहपुर जनपद की मैं बता रहा हूं। इन जगहों पर काम करने वाले मजदूरों को बहुत ज्यादा गल्ले का भुगतान नहीं हुआ। इसलिये इसकी भी व्यवस्था करायें क्योंकि मजदूर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

दूसरी बात, मान्यवर, यह है सामान्य बजट में माननीय सदस्यगण चाहे इधर के हों या उधर के हों, बहुत चर्चा भ्रष्टचार के बारे में करते हैं। भ्रष्टाचार नाम की ऐसी चीज समाज में व्यक्त हो गयी है, कि इसके बारे में भी सरकार को सोचना होगा कि कैसे व्यवस्था को परिवर्तित करके भ्रष्टाचार को ठीक कर सकें। हर आदमी इस बात को जानता है और प्रदेश की जनता भी इस बात पर चिन्तित है। कौन सा ऐसा पैमाना है जिसके द्वारा हम भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। इसलिये मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो डिवीजन स्तर पर हमारी समितियां बनें वह लेखपाल, सिपाही, बी० डी० ओ० पर अंकुश रखे ताकि जनता को सरकार पर विश्वास प्राप्त हो सके। हमारा जनपद बहुत ही पिछड़ा जनपद है। यहां रामगंगा और कानपुर रामगंगा नहरें हैं। इनका कमान्ड एरिया में जो ट्यूबवेल लगाने की योजना है वह अभी तक पूरी नहीं हो पायी है। उस पर कार्य हो रहा है इससे जनपद को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इनकी वजह से यहां इन नहरों की वजह से सिल्ट बहुत पायी जाती है इसकी वजह से कुछ क्षेत्र को बुन्देलखन्ड की तरह सुविधा दी जाती है। मेरा सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि पूरे क्षेत्र को ऐसी सुविधा सरकार प्रदान करने का कष्ट करे।

ला-एन्ड-आर्डर के सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि इसे कैम्प डिस्ट्रिक्ट घोषित किया जाय इससे जनपद को कन्ट्रोल करने में सुविधा होगी और समस्याओं को फेस करने के लिये जो व्यापक योजनायें बनायी गयी हैं वे पूरी हो सकेंगी। मुख्य मंत्री जी ने जगह-जगह पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये प्रयास किया है। जनता से जो हमारी सरकार ने वायदा किया है उसको पूरा करने का, यह सरकार उसे पूरा करेगी। जनता पार्टी के ढाई वर्ष के शासन काल में हरिजनों पर कैसा अत्याचार किया गया, यह किसी से छिपा नहीं है। 15 अगस्त को हमारे यहां एक आदमी को गोली मार दी गयी, शासन स्तर पर अधिकारियों को कहा गया कि इस पर कोई कार्यवाही न की जाये और पुलिस अधीक्षक को तत्काल स्थानान्तरित कराया गया था। वहां की रिपोर्ट मान्यवर, मंगाकर देखी जाये, वास्तविकता पता लग जायेगी कि जनता शासन के क्या कारनामे थे। इन्हीं कारनामों की वजह से जनता ने इनको ऐसा आंका और देश में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार आयी क्योंकि जनता ने इन पर अटूट आस्था व्यक्त की। विरोधी दल के साथी हमारे पहले कहते हैं कि आलोचना लगा रहे हैं। हमारी तरफ से जो मदद होगी हम करने और जनता को सहूलियतें पहुंचाने के लिए तैयार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो सरकार ने खाद्यान्न के बदले में रोजगार योजना बनायी है, उसे तुरन्त लागू कराया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री इन्द्रजीत--

तो मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि....

एक सदस्य--

आपके चाहने से कुछ नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री इन्द्रजीत की ओर इंगित करते हुए) आपका समय समाप्त हो गया है । आप बैठें ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्दर कुल 5 सूचनायें आयी थीं, जिसमें श्री विजय सिंह राना द्वारा आगरा मेडिकल कालेज में भीषण भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरुप व्याभिचार, बलात्कार एवं विगत पांच वर्षों में 12 डाक्टर छात्रों द्वारा आत्महत्या किये जाने से सम्बन्धित सूचना नियम 51 में स्वीकार की गयी है, शेष अस्वीकार की गयी हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, रामपुर के बारे में जो वक्तव्य होना था, उसका क्या हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

इसका हमने पता कराया था । वार्ता हो रही है । वक्तव्य अभी नहीं दे सकते हैं, 19 तारीख को वक्तव्य रखेंगे । अब हम उठते हैं, 19 तारीख को फिर 11 बजे बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 1 मिनट पर वृहस्पतिबार, 19 फरवरी, 1981 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ
6 फरवरी, 1981

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 57 का [उत्तर पीछे पृष्ठ 1127 पर।)

श्री जमीर अहमद पयाम, उपाध्यक्षनगर कांग्रेस कमेटी (ई) के शिकायती पत्र दिनांक 29-11-80 में उल्लिखित शिकायतें ।

1—यह कि अधिशासी अभियंता श्री गंगवार जब से गोरखपुर आये हैं उनके अधीनस्थ अवर अभियंता श्री वी० के० श्रीवास्तव, श्री ए० श्रीवास्तव एवं श्री राम नारायन पान्डे की लूट खसोट अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है ।

2—यह कि इन अधिकारियों द्वारा चोरी-छिपे कनेक्शन देना आम बात हो गई है और इस कार्य में तो नाजायज धन कमा रहे हैं ।

3—यह कि जब से श्री गंगवार आये हैं तब से विभाग द्वारा तथा जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा जो भी सीमेंट विद्युत विभाग को दी गई है उसका दुरुपयोग किया गया है । कहा जाता है कि सारा सीमेंट अवर अभियंता श्री वी० के० श्रीवास्तव की नई बिल्डिंग में लगाया गया है । विभाग का छड़ एंगल भी इस बिल्डिंग में लगा है । यह बिल्डिंग गोरखनाथ के औद्योगिक स्थान के निकट बना है, जिसकी लागत लगभग दो लाख रुपया है । इसी के निकट 12 डिसमिल और भी जमीन खरीदी है ।

4—यह कि गोरखपुर नगर क्षेत्र में बहुत सी जगहों पर कापर के जगह पर अल्युमिनियम का तार लगा दिया गया है । आम चर्चा है कि कापर के तार बाजार में बेच दिये जाते हैं । बिजली के खम्भे सबके सब पुराने हैं जबकि आफिस रिकार्ड में नया दिखा कर पैसा ऐंठ लिया गया है ।

5—यह कि काशीपुर पावर हाउस में एक छोटा सा टिन सेड डालकर कलेक्शन रुम बनाया गया है जबकि वह टिन सेड पहले का था लेकिन नया निर्माण दिखाकर फर्जी बिल बना कर विभाग से दस हजार रुपया हासिल कर लिया गया है । इसी तरह की बहुत फर्जी बिलें बनाई गई हैं और रुपया हासिल किया गया है ।

6—यह कि एक लाइन मैन श्री राम नारायन पान्डेय लगभग 10 वर्ष से कार्यरत हैं । भ्रष्टाचार में इसकी विशेष भूमिका रहती है ।

7—23 अक्तूबर से 22 नवम्बर के दरमियान घवन साहब (असिस्टेंट इंजीनियर) के स्टोर से ई० ई० डी०—111 के जूनियर इंजीनियर वी० के० श्रीवास्तवा, ए० श्रीवास्तव और श्री पान्डेय द्वारा 500 मीटर केबिल निकाला गया (400 एम० एम० एल० टी०) सवा 3½ बोर का 500 मीटर निकाला गया । खैरिया में एक मडल के ठेकेदार को बेच दिया गया ।

पो० एस० यू० पो०—8 वि० सभा—4-6-81—835—(पी० डी०) ।